Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

जून 2023

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- नए भारत के लिये नया संसद भवन 3
- भारतीय खिलौना क्षेत्र की विकास यात्रा 6
- GST क्षतिपूर्ति व्यवस्था के बाद की चुनौतियाँ 8
- ग्रीन जीडीपी 10
- भारत और जेनरेटिव AI 12
- कच्चे तेल का मूल्य और भारत 15
- व्यापक डेटा संरक्षण कानूनों की आवश्यकता 18
- ऊर्जा संक्रमण में राज्यों की भूमिका 20
- GDP की अपर्याप्त रिकवरी 23
- फ्रीबीज़ (Freebies): एक दोधारी तलवार 25
- मेगा फूड स्टोरेज योजना: चुनौतियाँ और आगे की राह 28
- एनसीईआरटी युक्तिकरण: भ्रम/संदेह का स्पष्टीकरण 31
- बाल श्रम में वृद्धि 33
- गिग इकोनॉमी के सामाजिक सुरक्षा संजाल का परीक्षण 36
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम 39
- समेकित बाल विकास सेवा योजना का सशक्तीकरण 42
- चक्रवातों के लिये भारत कितना तैयार? 44
- भारत में रेल दुर्घटनाएँ: कारण एवं सुरक्षा उपाय 49
- भारतीय औषधियों के समक्ष नियामक चुनौतियाँ 53
- स्थानीय निकाय निर्वाचन एवं चिंताएँ 55
- पोषक अनाजों का घटता कृषि क्षेत्र 57
- भारतीय संघवाद की जटिलता 60
- भारत-अमेरिका संबंध और भावी भविष्य 63
- न्यायपूर्ण (समान) नागरिक संहिता 66
- बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार 69
- ई-कॉमर्स निर्यात 71
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 75

नोट :

नए भारत के लिये नया संसद भवन

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के दौरान एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का अनावरण किया गया। भारतीयों द्वारा अभिकल्पित और निर्मित यह उत्कृष्ट भवन संपूर्ण देश की संस्कृति, गौरव एवं उमंग को समाहित करता है और एक बड़े संसद भवन की भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालिक आवश्यकता (जहाँ भविष्य में सीटों और संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी है) की पूर्ति के लिये तैयार है।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना (Central Vista Redevelopment project) के एक भाग के रूप में विकसित नया संसद भवन संसदीय कार्यकरण में अवसंरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करने का प्रयास है।

प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का अनावरण किया और अंग्रेज़ों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक 'सेन्गोल' (Sengol) को स्थापित किया।

नए संसद भवन की क्या आवश्यकता थी?

- **अधिक जगह की आवश्यकता:**
  - सरकारी डेटा के अनुसार वर्ष 1927 में निर्मित मौजूदा संसद भवन को एक पूर्ण लोकतंत्र के लिये द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने हेतु डिज़ाइन नहीं किया गया था।
    - वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित परिसीमन के साथ लोकसभा सीटों की संख्या 545 निर्धारित किये जाने के बाद से संसद भवन में बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल हो गई थी।
    - संयुक्त सत्रों के दौरान बैठने की सीमित क्षमता समस्या को बढ़ा देती थी। इसके अलावा, आवागमन के लिये जगह की कमी उल्लेखनीय सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करती थी। वर्ष 2026 के बाद समस्या में व्यापक वृद्धि होने की संभावना थी क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक वर्ष 2026 तक के लिये ही लागू है।
- **विरासत का विस्तार:**
  - वर्ष 1927 में कमीशन किया गया मौजूदा संसद भवन लगभग एक शताब्दी पुरानी विरासत है जो हेरिटेज ग्रेड-I इमारत है। गुज़रते वर्षों में संसदीय गतिविधियों और उपयोगकर्ताओं में पर्याप्त वृद्धि के साथ इस भवन की आयु और सीमित अवसंरचना अब जगह, सुविधाओं एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है।
    - हेरिटेज ग्रेड-I में राष्ट्रीय या ऐतिहासिक महत्त्व के ऐसे भवन और परिसर शामिल हैं जो स्थापत्य शैली, डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी एवं भौतिक उपयोग और/या सौंदर्य में उत्कृष्टता रखते हैं।
    - वे किसी महान ऐतिहासिक घटना, व्यक्तित्व, आंदोलन या संस्थान से संबद्ध हो सकते हैं। वे इस भूभाग के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल या लैंडमार्क रहे हैं। सभी प्राकृतिक स्थल भी ग्रेड-I के अंतर्गत शामिल होते हैं।
- **अवसंरचना संबंधी संकट:**
  - तदर्थ निर्माण और संशोधनों ने संसद भवन के बुनियादी ढाँचे पर दबाव बढ़ाया है। जल आपूर्ति, एयर कंडीशनिंग और सीसीटीवी कैमरों जैसी आवश्यक सेवाओं को जोड़े जाने से रिसाव की समस्या उत्पन्न हुई है जिसने भवन के सौंदर्य को प्रभावित किया है।
  - इसके अलावा, पुरानी पड़ चुकी संचार संरचनाएँ और अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय उपस्थित लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
- **संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
  - पुरानी संसद भवन का निर्माण तब हुआ था जब नई दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र-द्वितीय (Seismic Zone-II) में शामिल थी, लेकिन अब नई दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र-चतुर्थ में शामिल है।
  - इस परिवर्तन ने उल्लेखनीय संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म दिया था और आधुनिक भूकंपीय मानकों को पूरा करने वाले एक नए भवन के निर्माण की आवश्यकता महसूस हो रही थी।
- **अपर्याप्त कार्यालय स्थान:**
  - समय के साथ आंतरिक सेवा गलियारों (inner service corridors) के कार्यालयों में रूपांतरण के परिणामस्वरूप खराब गुणवत्ता के कार्यस्थलों का निर्माण हुआ।
  - उप-विभाजन ने पहले से ही सीमित जगह को और कम कर दिया, जिससे कर्मियों की उत्पादकता एवं सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

नए संसद भवन की प्रमुख विशेषताएँ

- **इष्टतम स्थान उपयोग:**
  - पुराने भवन के समीप निर्मित नया संसद भवन लगभग 65,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र को दायरे में लेता है। इसका त्रिकोणीय आकार उपलब्ध स्थान के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है और एक विकास करते राष्ट्र की उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करता है।

नोट :

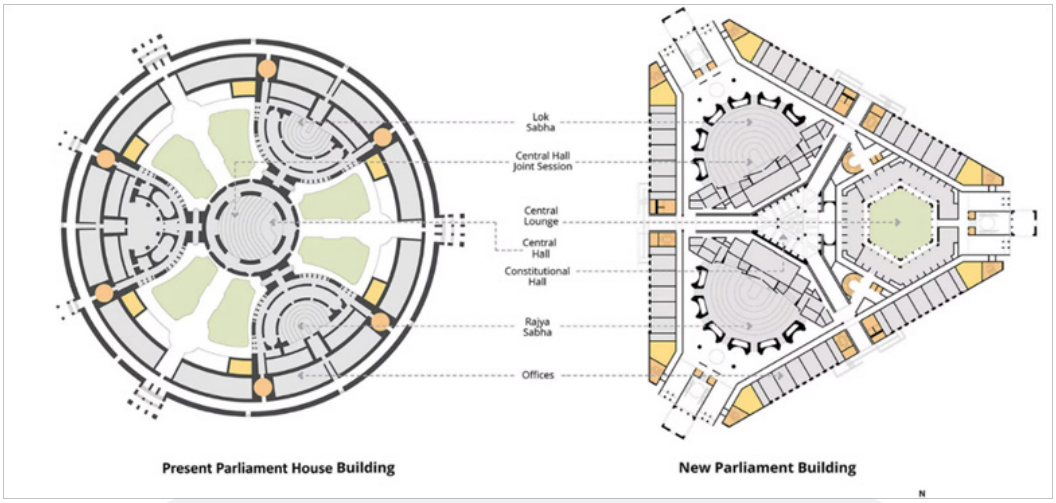

- **सीटिंग क्षमता की वृद्धि:**
  - नए भवन में 888 सीटों वाला एक बड़ा लोकसभा हॉल और 384 सीटों वाला एक बड़ा राज्यसभा हॉल शामिल है।
  - संसद के संयुक्त सत्र अब 1,272 सीटों को समायोजित कर सकते हैं, जो समावेशी और सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक कार्यवाही की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **अत्याधुनिक सुविधाएँ:**
  - अत्याधुनिक संवैधानिक हॉल भारतीय लोकतंत्र के हृदय के रूप में कार्य करेगा जहाँ नागरिकों को शासन के केंद्र में रखा गया है।
  - नवनिर्मित भवन अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अति-आधुनिक कार्यालय स्थान भी प्रदान करता है, जो दक्षता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- **संवहनीयता के लिये प्रतिबद्धता:**
  - नया संसद भवन 'प्लैटिनम-रेटेड ग्रीन बिल्डिंग' के रूप में स्थापित है, जो पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति भारत के समर्पण को प्रदर्शित करता है।
- **सांस्कृतिक एकीकरण:**
  - नया संसद भवन क्षेत्रीय कलाओं, शिल्पों एवं सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करते हुए आधुनिक भारत की जीवंतता और विविधता को निर्बाध रूप से एकीकृत करता है।
- **सभी के लिये समावेशिता:**
  - अभिगम्यता के महत्त्व को समझते हुए, नए संसद भवन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी गई है।
  - समावेशिता और समान भागीदारी को बढ़ावा देते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि दिव्यांगजन परिसर के भीतर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकें।
- **गैलरी और प्रदर्शनियाँ:**
  - सार्वजनिक प्रवेश द्वार तीन दीर्घाओं की ओर ले जाते हैं- संगीत गैलरी, जो भारत के नृत्य, गीत एवं संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करती है; स्थापत्य गैलरी, जो देश की स्थापत्य विरासत को दर्शाती है; और शिल्प गैलरी, जो विभिन्न राज्यों की विशिष्ट हस्तकला परंपराओं को प्रदर्शित करती है।
- **उन्नत सुविधाएँ और पहुँच:**
  - लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में प्रभावी विधायी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये एक डिजीटल मतदान तंत्र, सु-अभियांत्रिक ध्वनिकी और अत्याधुनिक दृश्य-श्रव्य तंत्रों की स्थापना की गई है।
  - भवन की त्रिकोणीय सीमा के समानांतर विस्तृत गलियारों के माध्यम से मंत्री कक्षों तक पहुँचा जा सकता है।
- **प्रतीकात्मक डिज़ाइन:**
  - लोकसभा कक्ष की आंतरिक साज-सज्जा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, जबकि राज्यसभा कक्ष को राष्ट्रीय पुष्प कमल की प्रेरणा से सुसज्जित किया गया है। ये राष्ट्र की समृद्ध प्रतीकात्मकता को प्रकट करते हैं।
  - सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक 'सेन्गोल' की स्थापना के साथ भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रति प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि दी गई है।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है ?

- सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य रायसीना हिल, नई दिल्ली के पास स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र 'सेंट्रल विस्टा' का पुनरुद्धार करना है।

नोट :

- यह क्षेत्र मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा इसे बनाए रखा गया था। परियोजना के पुनर्विकास की देखरेख एआर. Ar बिमल पटेल द्वारा की जा रही है।
- नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि अवस्थित हैं।
- दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने आयोजित दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी।
- इस पुनर्विकास परियोजना में शामिल हैं:
  - वर्तमान संसद भवन के बगल में एक त्रिकोणीय नए संसद भवन का निर्माण।
  - सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण।
  - राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबे राजपथ (जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है) का पुनरुद्धार।
    - नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का संग्रहालयों के रूप में विकास।

'सेन्गोल' का क्या ऐतिहासिक महत्त्व है?

- **चोल काल:**
  - ' सेन्गोल' शब्द तमिल शब्द 'सेम्मई' से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है 'नीतिपरायणता' (Righteousness)।
  - यह स्वर्ण का बना था और चोल साम्राज्य में अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये औपचारिक अवसरों के दौरान शासकों द्वारा धारण किया जाता था। इसे उत्तराधिकार एवं वैधता के निशान के रूप में एक राजा द्वारा दूसरे राजा को सौंपा जाता था।
    - चोलों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना , ओडिशा और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।
  - समारोह आमतौर पर एक उच्च पुरोहित या गुरु द्वारा संपन्न किया जाता था जो नए शासक को आशीर्वाद देते थे और उसे ' सेन्गोल' सौंपते थे।
- **आजादी से पहले:**
  - स्वतंत्रता से पहले यह प्रश्न मौजूद था कि अंग्रेज़ों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिये?'
  - सी. राजगोपालाचारी ने सत्ता हस्तांतरण के लिये उपयुक्त समारोह के रूप में ' सेन्गोल' सौंपने के चोल अनुष्ठान का सुझाव दिया क्योंकि यह भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के साथ-साथ विविधता में इसकी एकता को प्रतिबिंबित करेगा।
  - थिरुवदुथुराई आधीनम (500 वर्ष पुराना एक शैव मठ ने) प्रधानमंत्री नेहरू को सेन्गोल भेंट किया था 14 अगस्त, 1947 को अधीनम (500 साल पुराना शैव मठ)।
  - यह सुनहरा राजदंड वुम्मिडी बंगारु चेट्टी द्वारा मद्रास (अब चेन्नई) में एक प्रसिद्ध जौहरी द्वारा तैयार किया गया था।
  - नंदी, 'न्याय' के धारक के रूप में अपनी अदम्य दृष्टि के साथ शीर्ष पर हाथ से उत्कीर्ण किया गया है।
- **स्वतंत्रता के बाद :**
  - वर्ष 1947 में सेन्गोल प्राप्त करने के बाद नेहरू ने इसे कुछ समय के लिये दिल्ली में अपने आवास पर रखा और फिर इसे इलाहाबाद (प्रयागराज) में आनंद भवन संग्रहालय को दान कर दिया।
    - यह सात दशकों से भी अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में पड़ा रहा।
  - वर्ष 2021-22 में जब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चल रही थी, सरकार ने एक ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने और नए भवन में सेन्गोल स्थापित करने का निर्णय लिया।
    - इसे नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया गया है, जिसके पास एक पट्टिका भी रखी गई है जो इसके इतिहास और अर्थ को प्रकट करेगी।
  - नए संसद भवन में सेन्गोल की स्थापना सिर्फ़ एक सांकेतिक मुद्रा नहीं है, बल्कि एक सार्थक संदेश भी है।
    - यह दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र अपनी प्राचीन परंपराओं एवं मूल्यों में निहित है और यह भी कि यह समावेशी है और इसकी विविधता एवं बहुलता का सम्मान करता है।

पुराना संसद भवन अस्तित्व में कैसे आया था?

- पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1921 में शुरू हुआ था और यह वर्ष 1927 में पूरा हुआ। इसे आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था।
- इस भवन को मूल रूप से 'काउंसिल हाउस' कहा जाता था और इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश भारत की विधायिका आदि मौजूद थे।

नोट :

- पुराने संसद भवन का गोल आकार रोमन ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम (Colosseum) से प्रेरित था।
- डिज़ाइन में जाली एवं छतरी जैसे कुछ भारतीय तत्व भी जोड़े गए थे।

निष्कर्ष

- भारत का नया संसद भवन एक अत्याधुनिक प्रतिष्ठान है जो प्रभावी विधायी कार्यवाही के लिये आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। सरकार की योजना है कि संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिये दोनों भवनों को संयोजन में उपयोग किया जाए।
- यह न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है बल्कि एक समावेशी एवं कुशल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मार्ग भी प्रशस्त करता है। चूँकि राष्ट्र इस नए अध्याय की ओर आगे बढ़ा है, नया संसद भवन आशा एवं एकता का प्रकाश-स्तंभ बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

भारतीय खिलौना क्षेत्र की विकास यात्रा

भारत दशकों होने वाली आयात की आवश्यकता को समाप्त करते हुए वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बन गया है। भारत में पिछले 3 वर्षों में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई है जबकि इसके निर्यात में 61% की वृद्धि हुई है।

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों में इस उपलब्धि का श्रेय व्यापक रूप से वर्ष 2014 में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल और संबंधित नीतियों को दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने कथित रूप से अपने टॉक शो 'मन की बात' में भी खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही थी।

यद्यपि यह सच है कि चीन निर्मित खिलौनों पर भारत की निर्भरता कम हुई है और हाल के महीनों में भारतीय खिलौनों के निर्यात में सुधार हुआ है लेकिन भारत से होने वाला निर्यात अभी भी काफी निम्न स्तर पर है और चीन की तुलना में यह लगभग 200 गुना कम है।

भारत के खिलौना उद्योग की वर्तमान स्थिति:

- भारत का खिलौना उद्योग अत्यंत छोटे आकार का है। वैश्विक खिलौना व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग नगण्य ही है जहाँ इसकी निर्यात हिस्सेदरी मात्र 0.5 प्रतिशत ही है।
- वर्ष 2015-16 में इस उद्योग में लगभग 15,000 उद्यम या प्रतिष्ठान सक्रिय थे जिनके द्वारा 1688 करोड़ रुपए मूल्य के खिलौनों का उत्पादन होता था और इसमें 35,000 कामगार नियोजित थे।
- कुल कारखानों और उद्यमों में पंजीकृत कारखानों (जो नियमित रूप से 10 या अधिक कामगारों को रोज़गार देते हैं) की हिस्सेदारी महज 1% थी, जिसमें इस क्षेत्र से संबंधित लगभग 20% श्रमिक नियोजित थे और इनका उत्पादन मूल्य (value of output) कुल मूल्य का लगभग 77% था।
- वर्ष 2000 से 2016 के बीच के डेढ़ दशक के दौरान खिलौना उद्योग का उत्पादन शुद्ध रूप से आधा रह जाने के साथ इसमें रोज़गार की हानि हुई थी।
- कुछ समय पहले तक घरेलू बिक्री में आयात की हिस्सेदारी 80% तक थी। वर्ष 2000 और 2018-19 के बीच निर्यात की तुलना में आयात लगभग तीन गुना बढ़ गया था।
- पूर्व में लगभग 80 प्रतिशत खिलौनों का आयात किया जाता था, जिसके कारण भारत से विदेश में करोड़ों रुपए का स्थानांतरण होता था।
- FICCI और KPMG की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत का खिलौना उद्योग वर्ष 2019-20 के 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य से दोगुना होकर वर्ष 2024-25 तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य का हो सकता है।

भारत के खिलौना उद्योग के विकास हेतु प्रेरक तत्त्व:

- **व्यापक उपभोक्ता आधार:** भारत में 0-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या काफी अधिक (कुल जनसंख्या का लगभग 26.62%) है। इससे देश में खिलौनों और गेम्स (games) की मांग को प्रोत्साहन मिल रहा है।
- **उपभोग आय में वृद्धि होना:** भारत की GDP और मध्यम वर्ग की आबादी में होने वाली वृद्धि से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है, जिससे अब लोग अपने बच्चों के लिये अधिक खिलौने खरीद सकते हैं।
- **ई-कॉमर्स:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान के प्रसार ने उपभोक्ताओं की खिलौनों एवं गेम्स तक पहुँच को आसान बना दिया है। ई-कॉमर्स के द्वारा खिलौना निर्माताओं को खुदरा विक्रेताओं तक पहुँचने में आसानी होने के साथ परिचालन लागत में कमी को प्रोत्साहन मिल रहा है।
- **सरकारी सहायता प्राप्त होना:** भारत सरकार ने घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कई पहलें शुरू की हैं जैसे कि 'वोकल फॉर लोकल टॉयज कैंपेन', टॉयकैथॉन (Toycathon), आत्मनिर्भर टॉयज इनोवेशन चैलेंज आदि। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय खिलौनों के नवाचार, गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
- **लोगों की पसंद में परिवर्तन आना:** 'टॉय एसोसिएशन' की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार 67% माता-पिता छोटे बच्चों में

नोट :

विज्ञान एवं गणित के विकास को प्रोत्साहित करने के अपने प्राथमिक तरीके के रूप में STEM पर केंद्रित खिलौनों पर विश्वास करते हैं। पारंपरिक खिलौनों से आधुनिक एवं हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की ओर बदलती पसंद से बाज़ार की वृद्धि को प्रोत्साहन मिल रहा है।

- **वैश्विक प्रवृत्ति:** खिलौना क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है, जहाँ निर्माता नए बाज़ारों की खोज कर रहे हैं जिससे मध्य-पूर्व एवं अफ्रीकी देशों में निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। खिलौनों के निर्यात में भारत की हाल की प्रगति मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण हुई है जिसके लिये भारत खिलौनों के 9वें बड़े स्रोत के रूप में उभरा है।
- **संरक्षणवाद:** भारत का खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बनना मुख्य रूप से बढ़ते संरक्षणवाद (Protectionism) और कुछ मायनों में संभवत: घरेलू क्षमताओं के विस्तार के कारण है। 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान का इस वृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

खिलौना उद्योग का महत्त्व:

- **बाल विकास:** खिलौने बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक होते हैं।
- **मनोरंजन:** खिलौनों से बच्चों के लिए मनोरंजक और कल्पनाशील खेल उपलब्ध होते हैं।
- **शिक्षण और अधिगम/लर्निंग:** खिलौने लर्निंग को सुगम बनाने के साथ बाल-जिज्ञासा और आवश्यक कौशल को बढ़ावा देते हैं।
- **आर्थिक प्रभाव:** खिलौना उद्योग से राजस्व एवं रोज़गार का सृजन होने के साथ संबंधित व्यवसायों को समर्थन प्राप्त होता है।
- **नवाचार और प्रौद्योगिकी:** खिलौनों से नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:** खिलौने सांस्कृतिक मूल्यों एवं प्रवृत्तियों को परिलक्षित करने के साथ विविधता को बढ़ावा देते हैं।

खिलौना उद्योग के विकास हेतु सरकारी पहल:

- **स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना:** सरकार ने स्टार्ट-अप उद्यमियों से खिलौना क्षेत्र में विस्तार करने का आह्वान किया है। सरकार ने औद्योगिकी क्षेत्र से स्थानीय खिलौनों का समर्थन करने और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने का भी आग्रह किया है। भारतीय लोकाचार एवं मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिये ऑनलाइन गेम सहित खिलौना प्रौद्योगिकी एवं डिज़ाइन में नवाचार के लिये शिक्षण संस्थानों से छात्रों के लिये हैकेथॉन (hackathons) का आयोजन करने का भी आह्वान किया गया है।
- **आयात शुल्क में वृद्धि:** सरकार ने वर्ष 2020 में खिलौनों और उसके घटकों पर आयात शुल्क को 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया। इन उत्पादों के आयात में कटौती करने तथा घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे और बढ़ाकर 70% कर दिया गया है।
- **अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन:** सरकार ने स्वदेशी उद्योग के पुनरुद्धार के लिये खिलौना गुणवत्ता प्रमाणन को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने 1 सितंबर, 2020 से आयातित खिलौनों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण लागू करना भी शुरू कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल मानकों के अनुरूप उत्पाद ही देश में प्रवेश कर सकें।
- **राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना:** घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में विकसित करने के लिये भारत सरकार द्वारा यह पहल की गई है। इसमें 15 मंत्रालयों को शामिल करते हुए विभिन्न हस्तक्षेपों (जैसे खिलौना उत्पादन क्लस्टर स्थापित करना, विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये योजनाएँ शुरू करना, अनुसंधान एवं विकास और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना, शिक्षा के साथ खिलौनों को एकीकृत करना तथा खिलौना मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना) पर बल दिया गया है।
- पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु कोष की योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries- SFURTI): सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने इस योजना के तहत 19 खिलौना क्लस्टर्स को मंज़ूरी दी है।

भारतीय खिलौना उद्योग के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:

- **कच्चे माल की प्राप्ति के लिये विदेशों पर निर्भरता:** भारतीय विनिर्माता बोर्ड गेम, सॉफ्ट टॉयज एवं प्लास्टिक के खिलौने और पज़ल्स आदि के निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं। कंपनियों को इन खिलौनों के निर्माण के लिये दक्षिण कोरिया और जापान से सामग्री आयात करनी पड़ती है।
- **प्रौद्योगिकी का अभाव:** यह भारतीय खिलौना उद्योग के लिये बाधक है। अधिकांश घरेलू विनिर्माता पुरानी तकनीक और मशीनरी का उपयोग करते हैं, जिससे खिलौनों की गुणवत्ता एवं डिज़ाइन प्रभावित होती है।
- **करों की उच्च दरें:** खिलौनों पर उच्च जीएसटी दरें भारत में खिलौना उद्योग के लिये एक अन्य चुनौती है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर 18% जबकि गैर-इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर 12% जीएसटी अधिरोपित किया जाता है।

नोट :

- **अवसंरचनात्मक संरचना का कमज़ोर होना:** कमज़ोर अवसंरचना और एंड-टू-एंड विनिर्माण सुविधाओं का अभाव होने से खिलौना क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। भारत में खिलौना उद्योग के लिये पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं, खिलौना पार्कों, संकुलों और लॉजिस्टिक्स समर्थन का अभाव है।
- **सस्ते विकल्प उपलब्ध होना:** चीन जैसे देशों से सस्ते और निम्न गुणवत्तापूर्ण आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्द्धा भारतीय खिलौना उद्योग के लिये एक अन्य चुनौती है। भारत के खिलौना आयात में चीन की 80% हिस्सेदारी है, जिससे घरेलू खिलौना निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **इस क्षेत्र का असंगठित होना:** भारतीय खिलौना उद्योग अभी भी व्यापक (लगभग 90%) रूप से असंगठित है जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

आगे की राह:

- प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम के माध्यम से उच्च-गुणवत्तापूर्ण, प्रतिस्पर्द्धी खिलौनों हेतु विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना।
- समर्थन, कौशल विकास और वित्तीय सहायता के साथ लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को बढ़ावा देना।
- नवाचार को बढ़ावा देने और बाजार विस्तार हेतु सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ावा देना।
- उपभोक्ताओं की विश्वास बहाली हेतु कड़े सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों पर बल देना।
- खिलौनों की बिक्री बढ़ाने तथा ऑनलाइन बाज़ारों में इनके प्रसार हेतु डिजिटल परिवर्तन को अपनाना।
- समग्र बाल विकास के लिये खिलौना पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करना और खिलौनों को शिक्षण व्यवस्था के साथ एकीकृत करना।
- उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाना तथा उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं/पसंदों एवं आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें शैक्षिक, डिजिटल, पारंपरिक और अनुकूलित खिलौनों का विकास करना शामिल हो सकता है जो विभिन्न आयु समूहों एवं वर्गों को आकर्षित करते हैं।
- खिलौना निर्माण में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना, जैसे कि अपशिष्ट एवं पुनर्नवीनीकृत सामग्री का उपयोग करना, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग करना और री-यूज़ एवं री-शेयर मॉडल को बढ़ावा देना।

GST क्षतिपूर्ति व्यवस्था के बाद की चुनौतियाँ

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) ने भारत के कराधान परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण रूपांतरण का सूत्रपात किया है। हालाँकि आरंभ में कुछ विनिर्माता राज्यों ने संभावित राजस्व प्रभाव के बारे में चिंता जताई थी। इन आशंकाओं को दूर करने के लिये केंद्र ने राज्यों को जीएसटी के लागू होने के बाद पाँच वर्ष की अवधि के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (GST compensation cess) के माध्यम से राजस्व हानि के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन दिया था।

यद्यपि महामारी के कारण कुछ राज्यों के राजस्व में गिरावट आई, केंद्र ने राज्यों को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए उधारी के माध्यम से बकाया राशि को चुकाने में सफलता प्राप्त की।

इस क्षतिपूर्ति उपकर को मार्च 2026 तक के लिये बढ़ाया गया था ताकि केंद्र केंद्रीय खजाने के माध्यम से राज्यों को वितरित राशि की क्षतिपूर्ति कर सके, हालाँकि राज्यों को विस्तारित लेवी की आय से कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा।

जीएसटी व्यवस्था के बारे में राज्यों की क्या आशंकाएँ थीं?

- **राजस्व वितरण के बारे में चिंताएँ:**
  - 'उत्पादक' (Producing) राज्य जीएसटी प्रणाली के तहत 'उपभोगकर्त्ता' (Consuming) राज्यों के समक्ष राजस्व की हानि उठाने को लेकर आशंकित थे।
  - उन्नत राज्य, जो अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे और उन्हें कम विकसित राज्यों को बेचते थे, वे तुलनात्मक रूप से कम जीएसटी संग्रहण को लेकर चिंतित थे।
- **कर दर निर्धारण में शक्ति की हानि:**
  - राज्यों ने जीएसटी का विरोध किया क्योंकि इसने पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये एक समान कर दर का प्रस्ताव किया था। इसका अभिप्राय यह था कि राज्य विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरें निर्धारित करने का अधिकार खो देंगे, जो राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) को कमज़ोर करेगा और उनकी स्वायत्तता कम हो जाएगी।
- **राजस्व हानि का डर:**
  - पूर्ववर्ती कर व्यवस्था से जीएसटी प्रणाली की ओर संक्रमण के दौरान राजस्व की संभावित हानि को लेकर राज्य चिंतित थे। चूँकि 17 विद्यमान अप्रत्यक्ष करों को एक में विलय कर दिया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिये 'राजस्व-तटस्थ' (revenue-neutral) दर निर्धारित करना महत्त्वपूर्ण था कि पूर्व की तरह राजस्व की समान राशि एकत्र हो सके।
  - जीएसटी दर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण से राजस्व संग्रह में कमी आ सकती थी, जिससे राजकोषीय चुनौतियाँ बढ़ सकती थीं।

नोट :

वस्तु एवं सेवा कर क्या है?

- वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) एक मूल्य-वर्द्धित कर (value-added tax) है जो घरेलू उपभोग के लिये बिक्री की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। यह एक गंतव्य-आधारित कर (destination-based tax) है।
- जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद वर्ष 2017 से लागू हुआ।
- इसका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री करने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।
- केंद्र और राज्य समान रूप से एक साझा आधार पर कर लगाते हैं। केंद्र द्वारा अधिरोपित जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (CGST) कहा जाता है और राज्यों द्वारा अधिरोपित जीएसटी को राज्य जीएसटी (SGST) कहा जाता है।

जीएसटी पर राज्य सहमत कैसे हुए?

जब उनकी चिंताओं को संबोधित किया गया तो राज्य साथ आने पर सहमत हो गए। कई कारक थे जिन्होंने राज्यों की सहमति के निर्णय को प्रभावित किया:

- **राजस्व संग्रह की स्वायत्तता:**
  - एक महत्त्वपूर्ण कारक जिसने राज्यों को जीएसटी के लिये सहमत किया, यह प्रावधान था कि उन्हें शराब और पेट्रोलियम उत्पादों से राजस्व प्राप्ति पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी गई थी।
  - इन वस्तुओं को जीएसटी ढाँचे से बाहर रखा गया था, जिससे राज्यों को शराब पर उत्पाद शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट (VAT) लगाने की स्वायत्तता प्राप्त हुई।
  - महामारी के दौरान यह स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई जब कर संग्रह में गिरावट आ गई थी।
- **राजस्व क्षतिपूर्ति:**
  - राज्यों की राजस्व संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के लिये केंद्र सरकार ने उन्हें पाँच वर्ष की अवधि के लिये 14% (वर्ष 2015-16 बेसलाइन पर आधारित) की वृद्धि दर से राजस्व की किसी भी कमी के लिये क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया।
  - इस क्षतिपूर्ति के वित्तपोषण के लिये विलासिता एवं हानिकारक वस्तुओं (luxury and sin goods) पर एक क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया।
- **जीएसटी परिषद में शामिल करना:**
  - जीएसटी परिषद के गठन ने राज्यों का समर्थन प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था।
  - जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित सभी मामलों के लिये निर्णयकारी संस्था बन गई, जहाँ सर्वसम्मति की कमी के मामले में मतदान के प्रावधान किये गए थे।
  - परिषद में केंद्र सरकार के पास एक-तिहाई मत हैं, जबकि राज्यों को सामूहिक रूप से दो-तिहाई मत सौंपे गए हैं। इस संरचना का उद्देश्य निर्णय लेने के मामले में एक सहकारी एवं समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

GST क्षतिपूर्ति की समाप्ति पर राज्य कौन-से कदम उठा सकते हैं?

सुनिश्चित राजस्व सुरक्षा के अभाव का अर्थ है कि राज्यों को अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिये वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे। यह स्थिति अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राजस्व संग्रह को अधिकतम करने हेतु सक्रिय उपायों की मांग करती है।

राजस्व उगाही की सीमित शक्तियों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य निम्नलिखित रणनीतियाँ अपना सकते हैं:

- **कर विश्लेषिकी का उपयोग करना:**
  - व्यापक डेटा विश्लेषण से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिये राज्यों को कर विश्लेषिकी रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिये। राज्य विभिन्न स्रोतों से एकत्र किये गए डेटा का लाभ उठाकर सटीक राजस्व अनुमानों के आधार पर सूचना-संपन्न निर्णय ले सकते हैं।
- **अनुपालन निगरानी को सुदृढ़ करना:**
  - राज्यों को सड़क परिवहन विभागों के डेटा के साथ ई-वे बिल रिपोर्ट की क्रॉस-रेफरेंसिंग के माध्यम से माल आवाजाही से संबंधित सूचना का मिलान करना चाहिये।
  - यह दृष्टिकोण संभावित विसंगतियों का पता लगाने और गैर-अनुपालक करदाताओं की पहचान करने में मदद करता है। हालाँकि ऐसी तुलनाओं पर निर्भरता विवेकपूर्ण ही होनी चाहिये क्योंकि विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से विविधताएँ भी उत्पन्न होती हैं।
- **गैर-अनुपालक करदाताओं के लिये अनुकूलित उपाय:**
  - राज्यों को करदाताओं को जोखिम मूल्यांकन और विगत अनुपालन पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिये। करदाताओं को वर्गीकृत करके और प्रत्येक समूह के लिये विशिष्ट नीतिगत उपायों को लागू करके प्रवर्तन कार्रवाइयों को

नोट :

प्रभावी ढंग से लक्षित किया जा सकता है। सर्कुलर ट्रेडिंग और धोखाधड़ीपूर्ण चालान जैसे मुद्दों से निपटने के लिये यह दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

- **सेवा उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना:**
  - चूँकि राज्य सेवाओं पर जीएसटी लगाने का अधिकार रखते हैं, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में सक्रिय सेवा उद्योग का आकलन करना चाहिये।
  - सेवा-संबंधित लेन-देन के मूल्यांकन में क्षमता निर्माण एवं विशेषज्ञता करदाता आधार को व्यापक बनाएगी और राजस्व संग्रह को बढ़ाएगी।
  - राज्यों को जीएसटी ऑडिट करना चाहिये और व्यापार सुविधा कियोस्क एवं संलग्नता कार्यक्रमों के माध्यम से करदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिये।
- **सहकारी संघवाद का संपोषण करना:**
  - राज्यों को सहकारी संघवाद की भावना से एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिये। जीएसटी कानूनों के सिद्धांतों का अनुपालन करके और अनावश्यक क्षेत्रीय विवादों से बचकर राज्य व्यापार हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और करदाताओं के विश्वास को बढ़ा सकते हैं।
  - यह दृष्टिकोण अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा, राजस्व को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को संवृद्ध करेगा।

निष्कर्ष:

राज्यों को राजस्व सृजन की बदलती गतिशीलता के अनुकूल बनना चाहिये। जबकि आरंभिक चिंताओं को केंद्र द्वारा संबोधित किया गया था, अब राज्यों को स्वतंत्र रूप से राजस्व बढ़ाने और कर जाल को विस्तृत करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

कर विश्लेषिकी का लाभ उठाने, अनुपालन निगरानी को सुदृढ़ करने, सेवा उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने जैसे सक्रिय उपायों को नियोजित करके राज्य इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। राज्यों के लिये यह अनिवार्य है कि वे एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो कारोबार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा दे और करदाताओं में विश्वास पैदा करे; इस प्रकार, सतत राजस्व वृद्धि और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाए।

ग्रीन जीडीपी

बढ़ती पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए हरित राष्ट्रीय लेखाओं (Green National Account) की मांग शुरू हुई है जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य की स्थिति और इसके पारंपरिक राष्ट्रीय लेखाओं में समाज द्वारा इसके उपयोग एवं इसमें कमी को उजागर करते हैं।

हरित सकल घरेलू उत्पाद या ग्रीन जीडीपी (Green GDP) में पर्यावरण के लिये लाभप्रद एवं हानिकारक, दोनों तरह के उत्पादों और उनके सामाजिक मूल्य का लेखा-जोखा होना चाहिये। यह उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर उनके वर्गीकरण तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के आपूर्ति एवं उपयोग तालिका का प्रयोग कर डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण की एक पद्धति का भी प्रस्ताव करता है।

पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद में हरित लेखाओं को शामिल करने के लिये उत्पादन, उपभोग और धन की परिभाषा के विस्तार की आवश्यकता है। पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी और हानिकारक, दोनों तरह के उत्पादों को राष्ट्रीय लेखाओं में शामिल किया जाना चाहिये। ऐसे उत्पादों का सामाजिक मूल्य संबंधित आर्थिक गतिविधियों के साथ एकीकृत होना चाहिये।

ग्रीन जीडीपी और ग्रीन नेशनल अकाउंट

- ग्रीन जीडीपी और ग्रीन नेशनल अकाउंट ऐसी अवधारणाएँ हैं जो पर्यावरणीय लागत एवं लाभों को ध्यान में रखते हुए किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन की गणना या मापन का प्रयास करती हैं।
- **ग्रीन जीडीपी:** ग्रीन जीडीपी एक संकेतक है जो किसी देश के पारंपरिक जीडीपी से प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षति की लागत का घटाव करता है। इसे पर्यावरणीय रूप से समायोजित घरेलू उत्पाद (environmentally adjusted domestic product) के रूप में भी जाना जाता है। ग्रीन जीडीपी दर्शा सकता है कि किसी देश का आर्थिक विकास कितना संवहनीय है और यह उसके लोगों की रहन-सहन को कैसे प्रभावित करता है।
- **ग्रीन नेशनल अकाउंट:** ग्रीन नेशनल अकाउंट एक ऐसा ढाँचा है जो पर्यावरण संबंधी विचारों को राष्ट्रीय लेखा ढाँचों में एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों से संलग्न पर्यावरणीय लागतों एवं लाभों को मापना और उनका लेखा-जोखा करना है। हरित लेखांकन विधियाँ (Green accounting methods) प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य, प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षति की लागत और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लाभों को शामिल करने का प्रयास करती हैं।

पर्यावरणीय लागतों एवं लाभों के कुछ उदाहरण

- पर्यावरणीय लागतें (Environmental costs) पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों— जैसे प्रदूषण, संसाधनों का घटना, पर्यावास का विनाश, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट उत्पादन आदि को संदर्भित करती हैं।

- दूसरी ओर, पर्यावरणीय लाभ पर्यावरण के लिये आर्थिक गतिविधियों के सकारात्मक परिणामों को संदर्भित करते हैं, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ (जैसे खाद्य प्रावधान, जल शोधन एवं जलवायु विनियमन), जैव विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण, सतत् कृषि पद्धतियाँ और विभिन्न संरक्षण एवं पुनर्बहाली प्रयास शामिल हैं।

ग्रीन जीडीपी का क्या महत्त्व है?

- **पर्यावरणीय मूल्यांकन (Environmental Valuation):** ग्रीन जीडीपी प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन को शामिल करती है, जो आमतौर पर पारंपरिक जीडीपी गणनाओं में बाह्य कारण (externalities) होते हैं। इन पर्यावरणीय कारकों के आर्थिक मूल्य की मात्रा निर्धारित करने से, यह आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक लागतों एवं लाभों का अधिक सटीक मापन प्रदान करता है।
- **संवहनीयता (Sustainability):** ग्रीन जीडीपी आर्थिक आकलन में पर्यावरणीय कारकों पर स्पष्ट रूप से विचार करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों की अवधारणा के साथ संरेखित होती है। यह नीति निर्माताओं को आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय स्थिरता के बीच के समंजन (trade-offs) को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है, जिससे अधिक सूचना-संपन्न नीतियों एवं रणनीतियों के निर्माण में सुगमता होती है।
- **नीतिगत प्रासंगिकता (Policy Relevance):** ग्रीन जीडीपी आर्थिक प्रदर्शन की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करके (पर्यावरणीय आयाम सहित) नीति निर्माताओं को संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता प्रदान करने और आवंटित करने में मदद करती है। यह उन क्षेत्रों और गतिविधियों की पहचान करने में सक्षम बनाती है जिनका महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होता है; यह सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये लक्षित हस्तक्षेपों एवं विनियमों का मार्गदर्शन करती है।
- **संसाधन प्रबंधन (Resource Management):** ग्रीन जीडीपी प्राकृतिक संसाधनों की कमी को उजागर करती है और उनके सतत् प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। संसाधनों के आर्थिक मूल्य की पहचान कर, यह उनके संरक्षण एवं कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे संसाधन आवंटन में सुधार होता है और पर्यावरणीय गिरावट में कमी आती है।

ग्रीन जीडीपी के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **डेटा उपलब्धता और विश्वसनीयता (Data Availability and Reliability):** पर्यावरणीय लागत, लाभ और प्राकृतिक संसाधन मूल्य पर अविश्वसनीय डेटा के कारण हरित जीडीपी की गणना करना कठिन है। अनुमान में धारणाएँ एवं व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं, जो विश्वसनीयता एवं तुलनीयता (comparability) को प्रभावित करते हैं।
- **मूल्य समनुदेशन (Value Assignments):** पर्यावरणीय वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक संदर्भ में मूल्य निर्धारण एक विवादास्पद विषय रहा है। आलोचकों का तर्क है कि पर्यावरण के कुछ पहलुओं, जैसे कि जैव विविधता या सांस्कृतिक विरासत, का अंतर्निहित मूल्य होता है जिसे आर्थिक मूल्यांकन विधियों द्वारा पर्याप्त रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण को आर्थिक मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरलीकरण और वस्तुकरण प्रकृति का माना जा सकता है।
- **जटिलता और संकेतक (Complexity and Indicators):** ग्रीन जीडीपी गणना करने के लिये एक कठिन संकेतक है क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक शामिल होते हैं। इन कारकों के संयोजन के लिये कोई सहमत तरीका मौजूद नहीं है और सही संकेतक चुनना चुनौतीपूर्ण है।
- **नीति कार्यान्वयन और समंजन (Policy Implementation and Trade-offs):** ग्रीन जीडीपी उपयोगी है, लेकिन इसे नीतियों में रूपांतरित करना कठिन हो सकता है। नीतियों की सफलता के लिये हमें सहयोग, राजनीतिक समर्थन और बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना जटिल है और यह स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, इसलिये केवल ग्रीन जीडीपी पर आधारित सार्वभौमिक नीतियाँ बनाना कठिन है।

ग्रीन जीडीपी के कार्यान्वयन के लिये आगे की राह

ग्रीन जीडीपी के कार्यान्वयन के लिये आगे की राह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ संभावित कदम निम्नानुसार हो सकते हैं :

- पर्यावरणीय लागतों एवं लाभों के मापन और उनके मूल्यांकन के लिये एक सामान्य रूपरेखा और कार्यप्रणाली विकसित करना एवं अपनाना, जो सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक एवं आर्थिक ज्ञान पर आधारित हो। ग्रीन जीडीपी पद्धतियों का परीक्षण एवं परिशोधन करने के लिये पायलट परियोजनाओं एवं केस स्टडी का संचालन करना।
- पर्यावरणीय संकेतकों, जैसे उत्सर्जन, संसाधन उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं आदि पर डेटा की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार करना और देश भर में उनकी निरंतरता एवं तुलनीयता सुनिश्चित करना।

नोट :

- नीतिनिर्माताओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच ग्रीन जीडीपी के बारे में जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा देना और आर्थिक प्रदर्शन एवं सामाजिक कल्याण के उपाय के रूप में पारंपरिक जीडीपी के ऊपर इसके लाभों को उजागर करना।
- ग्रीन जीडीपी नीतियों एवं पहलों की अभिकल्पना और कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों, जैसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने, विभिन्न समूहों एवं क्षेत्रों के बीच समानता एवं न्याय सुनिश्चित करने जैसे हरित जीडीपी लक्ष्यों की दिशा में उत्पन्न होने वाले समंजन/ट्रेड-ऑफ एवं संघर्षों को संबोधित करना।

कौन-से देश ग्रीन जीडीपी का उपयोग करते हैं?

- **चीन:** चीन ने वर्ष 2004 में ग्रीन जीडीपी के आँकड़े प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, लेकिन एक आरंभिक रिपोर्ट (जिसमें पर्यावरणीय लागत के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कमी होना प्रकट हुआ था) के बाद राजनीतिक एवं पद्धति-संबंधी चुनौतियों का सामना करते हुए इसे समाप्त कर दिया।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिका ने पर्यावरणीय-आर्थिक लेखाओं की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है जो अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण, पर्यावरणीय व्यय और पर्यावरणीय करों के बीच परस्पर क्रियाओं के विभिन्न संकेतक प्रदान करती है। हालाँकि, अमेरिका ग्रीन जीडीपी का कोई भी मापन प्रस्तुत नहीं करता है।
- **यूरोप:** अमेरिका के पास पर्यावरणीय-आर्थिक लेखा तो हैं लेकिन कोई ग्रीन जीडीपी मापक नहीं है। यूरोपीय संघ (EU) सदस्य राज्यों के लिये उत्सर्जन, कर, सामग्री और संरक्षण व्यय को कवर करने वाले लेखाओं को संकलित करने को आवश्यक बनाता है, जिसका उपयोग ग्रीन जीडीपी या समायोजित घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है।
- **स्वीडन:** स्वीडन वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था सूचकांक (Global Green Economy Index- GGEI) में शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता देशों में से एक है, जो चार आयामों—नेतृत्त्व एवं जलवायु परिवर्तन, दक्षता क्षेत्र, बाज़ार एवं निवेश और पर्यावरण एवं प्राकृतिक पूंजी के आधार पर 130 देशों की हरित अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का मापन करता है। स्वीडन ने हरित विकास की दिशा में अपनी प्रगति की निगरानी के लिये संकेतकों का एक डैशबोर्ड भी विकसित किया है।
- **भारत:** भारत में ग्रीन जीडीपी का आधिकारिक तौर पर मापन या रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, लेकिन विभिन्न शोधकर्त्ताओं और संस्थानों द्वारा इसका अनुमान लगाने के कुछ प्रयास किये गए हैं। अक्तूबर 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक पत्र के अनुसार शोधकर्त्ताओं ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2019 के लिये भारत की ग्रीन जीडीपी लगभग 167 ट्रिलियन रुपए की थी। यह उसी वर्ष 185.8 ट्रिलियन रुपए के पारंपरिक जीडीपी से 10 प्रतिशत की कमी को प्रकट करता है।

वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था सूचकांक

- वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था सूचकांक (GGEI) 'ड्यूल सिटिज़न' (Dual Citizen) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो संवहनीयता के लिये डेटा-संचालित समाधानों में विशेषज्ञ एक कंसल्टेंसी फर्म है।
- GGEI 160 देशों की हरित अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक पैमाना है।
  - वर्ष 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 160 देशों के बीक 60वें स्थान पर है।
- GGEI में चार आयाम शामिल हैं:
  - जलवायु परिवर्तन एवं सामाजिक समानता
  - सेक्टर डीकार्बोनाइजेशन
  - बाज़ार एवं निवेश
  - पर्यावरणीय स्वास्थ्य।
- GGEI का उद्देश्य किसी देश के सतत् प्रदर्शन का एक व्यापक एवं पारदर्शी मापन प्रदान करना और नीति निर्माण एवं निवेश निर्णयों को सूचना-संपन्न करना है।

भारत और जेनरेटिव AI

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Generative Artificial Intelligence- GAI) कृत्रिम बुद्धिमत्ता/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के ऐसे प्रकार से है जिससे नए डेटा का सृजन हो सकता है। वर्तमान समय में विश्व में जेनरेटिव AI के कई दृष्टांत मौजूद हैं जिनका उपयोग आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा टेक्स्ट, इमेज और कोड उत्पन्न करने के लिये किया जाता है (हालाँकि ये अन्य कई कार्यों में भी सक्षम होते हैं)।

व्यापक स्तर पर इनको अपनाए जाने से इनकी क्षमताओं पर प्रकाश पड़ा है, जिससे प्रारंभ में तो इस संदर्भ में विस्मय उत्पन्न हुआ और फिर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। OpenAI का चैटजीपीटी चैटबॉट्स (ChatGPT chatbot) इंटेलिजेंस की बेहतर नकल करने में सक्षम है; वर्तमान में यह बड़े पैमाने पर जेनरेटिव AI की क्षमताओं का पर्याय बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़े डेटासेट पर प्रशिक्षित और पर्याप्त कंप्यूटिंग शक्ति तक पहुँच रखने वाले न्यूरल नेटवर्क द्वारा

नोट :

समर्थित AI मॉडल्स का उपयोग विभिन्न विषयों में सफलतापूर्वक किया गया है (जैसे कि नए एंटीबायोटिक्स बनाने एवं मिश्र धातु की खोज करने के साथ प्रभावी मनोरंजक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संबंध में कई अन्य छोटे कार्यों में), लेकिन डेटा की नकल कर सकने की इसकी उल्लेखनीय क्षमता ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है।

जेनरेटिव AI:

जेनरेटिव AI का आशय एक प्रकार की ऐसी AI प्रणाली है जो ऐसे नए कंटेंट या डेटा का सृजन कर सकती है जो मानव निर्मित कंटेंट (जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, म्यूज़िक, कोड आदि) से मिलता-जुलता होता है। यह बड़ी मात्रा में डेटासेट से सीखने के क्रम में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करने और फिर सीखे गए पैटर्न एवं नियमों के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करने के रूप में कार्य करती है।

जेनरेटिव AI के लाभ:

- **कंटेंट का सृजन (Content Creation):** जेनरेटिव AI प्रणाली विभिन्न प्रकार के कंटेंट (जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, म्यूज़िक एवं अन्य) के स्वचालित सृजन को सक्षम बनाती है। इससे विज्ञापन, मनोरंजन और मार्केटिंग जैसे उद्योगों के लिये कंटेंट तैयार करने की प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से तेज़ किया जा सकता है।
- **वैयक्तिकरण (Personalization):** जेनरेटिव AI का उपयोग उपयोगकर्ताओं के लिये वैयक्तिकृत अनुभव प्रदान करने हेतु किया जा सकता है। जेनरेटिव AI प्रणालियाँ उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं एवं व्यवहार का विश्लेषण करके उसके अनुरूप अनुशंसाओं, उत्पाद सुझाव और अनुकूलित कंटेंट का निर्माण कर सकती हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा मिल सकता है।
- **रचनात्मक सहायता (Creative Assistance):** जेनरेटिव AI उपकरण रचनात्मक पेशेवरों को उनके कार्य में सहायता देने के साथ उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। कलाकार, डिज़ाइनर और लेखक विचारों के सृजन, नई संभावनाओं का पता लगाने के साथ 'क्रिएटिव ब्लॉक' (नया सृजित कर सकने की अक्षमता का दौर जिसका सामना प्राय: लेखक एवं अन्य रचनात्मक लोग करते हैं) को दूर करने के लिये जेनरेटिव AI का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रणाली नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने एवं रचनात्मक प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के क्रम में सहयोगी के रूप में कार्य कर सकती है।
- **डेटा संवर्द्धन (Data Augmentation):** जेनरेटिव AI से सिंथेटिक डेटा उत्पन्न हो सकता है जो वास्तविक डेटा के समान दिखता है। यह मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों में विशेष रूप से उपयोगी है जहाँ बड़ी मात्रा में लेबलकृत डेटा (labelled data) की आवश्यकता होती है। मौजूदा डेटासेट के संवर्द्धन के लिये सिंथेटिक डेटा उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे मशीन लर्निंग मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
- **सिमुलेशन और प्रशिक्षण (Simulation and Training):** जेनरेटिव AI का उपयोग प्रशिक्षण उद्देश्यों हेतु यथार्थवादी परिदृश्यों का अनुकरण या 'सिमुलेशन' करने के लिये किया जा सकता है। उदाहरण के लिये स्वचालित वाहनों या रोबोटिक्स जैसे उद्योगों में जेनरेटिव AI से भौतिक संसाधनों की आवश्यकता के या सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना एल्गोरिदम एवं परीक्षण प्रणालियों को प्रशिक्षित करने के क्रम में वर्चुअल आधार का निर्माण किया जा सकता है।
- **समस्या समाधान (Problem Solving):** जेनरेटिव AI का अनुप्रयोग समस्या-समाधान में किया जा सकता है जैसे कि नए दवा यौगिकों का निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्सर का अनुकूलन या कुशल डिज़ाइन तैयार करना। जेनरेटिव AI एल्गोरिदम से व्यापक समाधान अवसरों के क्रम में अभिनव एवं भिन्न समाधान प्रस्तुत हो सकते हैं और इससे अनुसंधान प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकता है।
- **वर्चुअल कैरेक्टर और एजेंट (Virtual Characters and Agents):** जेनरेटिव AI से वर्चुअल कैरेक्टर और एजेंटों को जीवंत किया जा सकता है। जेनरेटिव क्षमताओं से संपन्न ये चरित्र और एजेंट भाषा को प्राकृतिक रूप से समझने के साथ उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद कर सकते हैं और विभिन्न स्थितियों में गतिशील रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंस, चैटबॉट्स, गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी आदि क्षेत्र में इनके व्यापक अनुप्रयोग हो सकते हैं।
- **कला और मनोरंजन (Art and Entertainment):** जेनरेटिव AI से कलात्मक अभिव्यक्ति के नए रास्ते सृजित हुए हैं। इससे अद्वितीय कलाकृति सृजित करने के साथ संगीत का निर्माण किया जा सकता है, यथार्थवादी एनिमेशन बनाया जा सकता है और यहाँ तक कि पूरी कहानी या स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकती है। मानव रचनात्मकता और मशीनी बुद्धिमत्ता के इस मिश्रण से कला एवं मनोरंजन के क्षेत्र में रोमांचक संभावनाओं को जन्म मिला है।

जेनरेटिव AI से संबद्ध हानियाँ:

- **मतिभ्रम (Hallucinations):** ये ऐसी त्रुटियाँ हैं जिनको AI प्रणालियों द्वारा दोहराया जा सकता है क्योंकि ये उत्तर देने के लिये डेटा एवं प्रशिक्षण पर निर्भर होती हैं। जेनरेटिव AI प्रणालियों द्वारा कभी-कभी गलत या भ्रामक आउटपुट उत्पन्न हो सकते हैं।

नोट :

- **डीपफेक (Deepfakes) :** ये सिंथेटिक मीडिया का एक रूप है जिसे जेनरेटिव AI के उपयोग द्वारा मौजूदा इमेज, वीडियो या ऑडियो में हेरफेर करके निर्मित किया जा सकता है। डीपफेक का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है जैसे भ्रामक सूचना का प्रसार करना, लोगों का प्रतिरूपण (impersonating people) या ब्लैकमेलिंग करना।
- **डेटा गोपनीयता (Data Privacy):** जेनरेटिव AI मॉडल को लर्निंग और आउटपुट उत्पन्न करने के लिये बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। इस डेटा में संवेदनशील या व्यक्तिगत सूचना शामिल हो सकती है जिससे तीसरे पक्ष द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। जेनरेटिव AI मॉडल के तहत उपयोगकर्ताओं के डेटा को उनकी सहमति या जानकारी के बिना भी एकत्र किया जा सकता है।
- **साइबर सुरक्षा (Cybersecurity):** जेनरेटिव AI मॉडल का उपयोग हैकर्स द्वारा नए एवं जटिल प्रकार के मैलवेयर के सृजन, फ़िशिंग या अन्य साइबर हमलों के लिये किया जा सकता है जिन पर पारंपरिक सुरक्षा उपायों द्वारा नियंत्रण करना कठिन हो सकता है। इस तरह के हमलों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जैसे डेटा का उल्लंघन होना, वित्तीय हानि होना या प्रतिष्ठा की क्षति होना।
- **कॉपीराइट संबंधी मुद्दे (Copyright issues):** जेनरेटिव AI मॉडल से ऐसे कंटेंट सृजित हो सकते हैं जो मौजूदा मानव-निर्मित कंटेंट (जैसे टेक्स्ट, म्यूजिक या आर्ट) से मिलते-जुलते हों। इससे मूल और जेनरेटेड कंटेंट के स्वामित्व एवं अधिकारों के बारे में नैतिक और विधिक प्रश्न उठ सकते हैं।

भारत जेनरेटिव AI से किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता है ?

- **स्वास्थ्य सेवा:** जेनरेटिव AI से चिकित्सा संबंधी गतिविधियों एवं डेटा के विश्लेषण के माध्यम से अधिक सटीक रूप से रोगों के निदान एवं उपचार में मदद मिल सकती है। इससे रोगी के परिणामों का अनुमान लगाने और निवारक उपाय अपनाने में भी मदद मिल सकती है।
- **शिक्षा:** जेनरेटिव AI से छात्रों के लिये उनकी क्षमताओं और रुचियों के आधार पर वैयक्तिकृत लर्निंग कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सकती है। इससे ग्रेडिंग, फीडबैक और पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षकों को भी मदद मिल सकती है।
- **कृषि:** जेनरेटिव AI द्वारा मौसम, मृदा और पौधों से संबंधित डेटा के आधार पर सिंचाई, उर्वरक प्रयोग, कीट नियंत्रण और कटाई संबंधित अनुशंसाएँ प्रदान कर फसल की उपज एवं गुणवत्ता को इष्टतम करने में मदद मिल सकती है।
- **विनिर्माण:** जेनरेटिव AI द्वारा बाज़ार के रुझान और उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण कर ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं की पूर्ति करने वाले नए उत्पादों एवं सेवाओं को डिज़ाइन एवं विकसित करने में मदद मिल सकती है। इससे उत्पादन प्रक्रियाओं में दक्षता और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार लाने में भी मदद मिल सकती है।
- **मनोरंजक गतिविधियाँ:** जेनरेटिव AI से कला, संगीत, साहित्य और खेलों के नए रूपों के सृजन में मदद मिल सकती है जिससे लोगों को मनोरंजन के साथ प्रेरणा प्रदान की जा सकती है। इससे उपयोगकर्ताओं की पसंदों/प्राथमिकताओं के आधार पर कंटेंट अनुशंसा करने और विज्ञापनों को वैयक्तिकृत करने में भी मदद मिल सकती है।

जेनरेटिव AI से संबंधित भारत की प्रमुख पहलें:

- **जेनरेटिव AI रिपोर्ट लॉन्च करना:** भारत सरकार के राष्ट्रीय AI पोर्टल 'INDIAai' द्वारा जेनरेटिव AI, AI नीति, AI शासन एवं शिक्षा जगत से संलग्न कई प्रमुख व्यक्तियों के साथ जेनरेटिव AI के प्रभाव, इससे संबंधित नैतिक एवं विनियामक प्रश्न और भारत के समक्ष इससे संबंधित मौजूद अवसरों के संदर्भ में तीन बैठकों का आयोजन किया गया है।
- **GPAI में शामिल होना:** वर्ष 2020 में भारत, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Global Partnership on Artificial Intelligence-GPAI) की स्थापना हेतु 15 अन्य देशों के साथ शामिल हुआ था। इस गठबंधन का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग हेतु ढाँचा स्थापित करना है।
- **देश के अंदर AI पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना:** भारत सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास में निवेश, स्टार्टअप्स एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना, AI संबंधी नीतियों एवं रणनीतियों का निर्माण तथा AI संबंधी शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देकर देश के अंदर AI पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये राष्ट्रीय रणनीति:**
  - सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान और विकास हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Artificial Intelligence) शुरू की है।
- **अंत:विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन:**
  - अंत:विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Interdisciplinary

नोट :

Cyber-Physical Systems) के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर 'टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब' (TIH) स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अगली पीढ़ी के विकास हेतु वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन के निर्माण हेतु अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ इनका क्षमता निर्माण करना है।

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म:**
  - यह एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत को AI के संबंध में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनाना और इसके शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शहरीकरण एवं परिवहन जैसे क्षेत्रों को रूपांतरित करना है।

जेनरेटिव AI द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने के लिये भारत द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदम:

- एक ऐसा स्पष्ट और व्यापक विनियामक ढाँचा विकसित करना जो जेनरेटिव AI विनियमन के उद्देश्य, दायरे और सिद्धांतों को परिभाषित करता हो। इस ढाँचे को नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ संभावित खतरे से व्यक्तियों की सुरक्षा को संतुलित करने में सक्षम होना चाहिये।
- पारदर्शी एवं निष्पक्ष दायित्व ढाँचे का विकास करना, जिससे जेनरेटिव AI प्रणाली से संबंधित कार्यों एवं परिणामों के लिये ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेही तय की जा सके। इस ढाँचे के तहत विभिन्न हितधारकों जैसे डेवलपर्स, प्रोवाइडर्स, उपयोगकर्ताओं और नियामकों की भूमिकाओं एवं दायित्वों पर विचार किया जाना चाहिये।
- पारदर्शिता, जवाबदेहिता, गोपनीयता, सुरक्षा, नैतिकता और मानवीय निरीक्षण जैसे आवश्यक नियामक पहलुओं को शामिल करना। इन पहलुओं द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जेनरेटिव AI प्रणालियाँ भरोसेमंद एवं विश्वसनीय होने के साथ मानवाधिकारों एवं मूल्यों का सम्मान करने वाली हों।
- ऐसी जेनरेटिव AI प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हों। भारत को विभिन्न क्षेत्रों और विषयों के लिये अभिनव समाधान तैयार करने के लिये डेटा विज्ञान, इंजीनियरिंग और उद्यमिता में अपनी शक्ति का लाभ उठाना चाहिये।
- सरकार, उद्योग, शिक्षा, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देने के साथ भारत को ऐसे अन्य देशों और क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिये जो जेनरेटिव AI के विकास एवं विनियमन में अग्रणी स्थिति रखते हैं।

निष्कर्ष:

जेनरेटिव AI एक प्रभावशाली एवं आशाजनक प्रौद्योगिकी है जिससे भारत को विभिन्न लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हालाँकि इससे संबंधित कई चुनौतियाँ और जोखिम भी हैं जिन्हें प्रभावी तरीके से हल करने की आवश्यकता है। भारत को जेनरेटिव AI के कार्यान्वयन के प्रति सक्रिय और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जिससे इस प्रणाली की कमी को दूर करते हुए इससे अधिकतम लाभ प्राप्त किये जा सकें।

कच्चे तेल का मूल्य और भारत

कच्चे तेल उत्पादकों का विश्व का सबसे बड़ा समूह (जिसे आमतौर पर ओपेक प्लस (OPEC+) के रूप में जाना जाता है) तेल उत्पादन में की जाने वाली कटौती को वर्ष 2024 तक बढ़ाने पर सहमत हुआ है क्योंकि यह वैश्विक आर्थिक मंदी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच तेल मूल्यों में होने वाली गिरावट को रोकने हेतु समर्पित हैं। ओपेक के प्रमुख एवं अग्रणी उत्पादक सऊदी अरब ने भी जुलाई 2023 में अतिरिक्त 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन (bpd) की उत्पादन कटौती करने की स्वैच्छिक प्रतिज्ञा की है।

20 से अधिक सदस्य देशों के ओपेक प्लस समूह (जो बढ़ती मांग की स्थिति में मूल्यों की स्थिरता हेतु आपूर्ति को कम करने का प्रयास कर रहा है) ने अप्रैल में आश्चर्यजनक रूप से 1.66 मिलियन bpd की अतिरिक्त उत्पादन कटौती की घोषणा की थी। भारत के लिये (जो कच्चे तेल की अपनी आवश्यकताओं के 80% से अधिक की पूर्ति आयात से करता है) सऊदी अरब एवं ओपेक प्लस द्वारा की गई कटौती की घोषणा से कुछ चिंता उत्पन्न हुई है क्योंकि इससे वैश्विक तेल मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद में तेज़ी से वृद्धि के साथ भारत द्वारा तेल के आयातित बैरल के लिये भुगतान की जाने वाली कीमत में भी लगातार गिरावट आ रही है।

ओपेक प्लस:

- ओपेक प्लस (OPEC+) 23 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जो नियमित रूप से यह तय करने के लिये बैठकें करता है कि विश्व बाज़ार में कितने कच्चे तेल की बिक्री की जाएगी।
  - इस समूह में मूल रूप से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन/ओपेक (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC) के रूप में 13 सदस्य देश शामिल थे जो मुख्यत: मध्य-पूर्वी देश और अफ्रीकी देश हैं।

- ओपेक का गठन वर्ष 1960 में किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर में तेल की आपूर्ति और इसका मूल्य तय करना था।
  - वर्ष 2016 में जब तेल की कीमतें निम्न स्तर पर थीं तब ओपेक समूह ने 10 अन्य तेल उत्पादकों के साथ मिलकर ओपेक प्लस का गठन किया था।
  - इस विस्तारित समूह के सदस्यों में रूस भी शामिल है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करता है।
- ओपेक प्लस देश संयुक्त रूप से विश्व के कुल कच्चे तेल के लगभग 40% भाग का उत्पादन करते हैं।
  - उल्लेखनीय है कि ओपेक देश विश्व के कच्चे तेल के लगभग 30% भाग का उत्पादन करते हैं।
  - सऊदी अरब इस समूह का सबसे बड़ा एकल तेल आपूर्तिकर्ता है, जो प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करता है।
- ओपेक प्लस बाज़ार को संतुलित करने के लिये आपूर्ति और मांग में हस्तक्षेप करता है। जब तेल की मांग कम होती है तो यह आपूर्ति कम करके मूल्यों को उच्च बनाए रखता है। यह बाज़ार में तेल की आपूर्ति को बढ़ाकर कीमतों को कम भी कर सकता है ।

ओपेक प्लस समूह द्वारा तेल उत्पादन में की जाने वाली कटौती के कारण:

- **वैश्विक मांग में कमी से संबंधित चिंताएँ:**
  - कोविड-19 लॉकडाउन के बाद चीन की आर्थिक सुधार की गति मंद पड़ रही है जिससे और भी चिंताएँ बढ़ गई हैं। चूँकि चीन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है इससे वैश्विक स्तर पर तेल की मांग एवं मूल्यों पर प्रभाव पड़ सकता है।
  - बाज़ार गतिशीलता में हस्तक्षेप (रूसी तेल की कीमतों पर पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रण लगाना)
  - हाल के महीनों में एक और बैंकिंग संकट की आशंका ने निवेशकों को जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों जैसे कि तेल मूल्यों से संबद्ध स्टॉक को बेचने के लिये प्रेरित किया है।
  - विकसित देशों में विकास की मंद गति और कम मांग तथा वैश्विक मंदी के भय से तेल की कीमतें कम हो सकती हैं।
  - अमेरिका में ऋण सीमा संबंधी वार्ताओं (debt ceiling negotiations) ने भी इसे प्रभावित किया है। निवेशकों को भय है कि इससे तेल की मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कीमतें गिर सकती हैं, जिससे बाज़ार में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।
- **सटोरियों को दंडित करना:**
  - नियोजित कटौती से तेल की कीमतों में गिरावट पर दाँव लगाने वाले तेल के सटोरियों/शॉर्ट सेलर (short sellers) पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने व्यापारियों को तेल बाज़ार पर भारी सट्टेबाजी में लिप्त होने के विरुद्ध चेतावनी दी है। कुछ निवेशकों ने इसे संभावित उत्पादन कटौती के संकेत के रूप में देखा है।
- **अमेरिका द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि:**
  - प्रौद्योगिकी उन्नति के कारण अमेरिकी में कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष 2023 में 5.1% और वर्ष 2024 में 1.3% तक बढ़ने का अनुमान है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और मूल्यों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है।
- **अमेरिका के साथ तनाव:**
  - अमेरिका NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) पारित करने पर विचार कर रहा है जिससे बाज़ार में इसका अधिक हस्तक्षेप साबित होने पर अमेरिकी क्षेत्र में ओपेक की संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य मूल्य हेरफेर पर रोक लगाना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना है लेकिन इसे संभावित प्रतिशोध के रूप में देखते हुए ओपेक द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है।
  - ओपेक प्लस ने पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IAE) द्वारा तेल स्टॉक जारी करने की वकालत करने की आलोचना की है, जहाँ वह इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम मानता है क्योंकि अमेरिका IAE का सबसे बड़ा वित्तीय दाता है ।
    - IEA का तर्क था कि तेल मूल्यों को कम करने के लिये ये आवश्यक थे लेकिन कीमतों में मज़बूती का IAE का पूर्वानुमान सार्थक साबित नहीं हुआ।
    - इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसने अधिकांश स्टॉक जारी किये) ने कहा था कि वह वर्ष 2023 में कुछ तेल वापस खरीदेगा, लेकिन बाद में उसने इससे मना कर दिया।
- **अपने मुख्य निर्यात मूल्य को बनाए रखना:**
  - ओपेक पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में तेल के मुख्य निर्यात मूल्य को बनाए रखने के लिये समूह को सांकेतिक तेल मूल्यों (nominal oil prices) की आवश्यकता है।
    - हाल के वर्षों में पश्चिमी देशों द्वारा अपनी मुद्रा का प्रसार करने के कारण अमेरिकी डॉलर (जिस मुद्रा में तेल का कारोबार होता है) के मूल्य में कमी आई है।

नोट :

इस उत्पादन कटौती का भारत पर प्रभाव:

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और यह कच्चे तेल की अपनी कुल आवश्यकता के 80% से अधिक का आयात करता है। भारत अपने कच्चे तेल आयात का लगभग 70% ओपेक सदस्यों से प्राप्त करता है। दशकीय तुलना करें तो ओपेक से तेल आयात में भारी कमी आई है जहाँ यह पूर्व के 87% से घटकर वर्ष 2021-22 में 70% रह गया है। हालाँकि ओपेक की अभी भी भारत के तेल आयात में प्रमुख हिस्सेदारी है। इस स्थिति में ओपेक प्लस द्वारा कम उत्पादन का भारत पर निश्चित ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके कुछ संभावित प्रभाव निम्नलिखित होंगे:

- **आयातित मुद्रास्फीति (Higher Imported Inflation) का उच्च होना:** उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी जिससे भारत के आयात मूल्य में वृद्धि होगी और चालू खाता घाटे (current account deficit) की स्थिति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के स्तर पर 0.4% तक प्रभावित होगी। इसका असर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर भी पड़ेगा, जो पहले से ही देश भर में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू वस्तुओं की कीमतों में और भी वृद्धि होगी।
- **आर्थिक विकास (Lower Economic Growth) में कमी आना:** तेल के अधिक मूल्य से विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन एवं परिवहन की लागत में वृद्धि होगी जिससे उनकी लाभप्रदता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होगी। इससे उपभोक्ताओं के प्रयोज्य/उपभोज्य आय (disposable income) में भी कमी आएगी, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की उनकी मांग प्रभावित होगी। उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक वृद्धि की स्थिति से मौद्रिक नीति के लिये भी चुनौती उत्पन्न होगी।
- **राजकोषीय घाटा (Higher Fiscal Deficit) का उच्च होना:** तेल की कीमतों में वृद्धि से सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। इससे राजकोषीय घाटे में और भी वृद्धि होगी तथा आधारभूत संरचना एवं सामाजिक कल्याण पर सार्वजनिक व्यय में कमी आएगी।
- **बाह्य निर्भरता के प्रति भेद्यता (Higher External Vulnerability):** तेल के उच्च मूल्य से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने के साथ बाह्य उधारी पर भारत की निर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत मुद्रा में उतार-चढ़ाव के साथ वैश्विक वित्तीय असंतुलन के प्रति संवेदनशील होगा। तेल के उच्च मूल्य से व्यापार संतुलन (trade balance) तथा अन्य देशों के साथ भारत की आयात-निर्यात स्थिति (terms of trade) भी प्रभावित होगी।

भारत के लिये आगे की राह:

- **ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना:** भारत वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और इसमें निवेश करने के रूप में अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसमें सौर, पवन, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करना शामिल है। जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत तेल आयात के लिये ओपेक पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है।
- **घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन को बढ़ावा देना:** भारत के पास तेल और गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। सरकार घरेलू एवं विदेशी तेल कंपनियों को तटवर्ती और अपतटीय दोनों तरह की अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों में संलग्न होने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है।
  - कर प्रोत्साहन और सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियाओं जैसी अनुकूल नीतियों को कार्यान्वित करने से निवेश में वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
- **ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना:** भारत परिवहन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और भवनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों को प्राथमिकता दे सकता है। इसमें ऊर्जा-कुशल तकनीकों को अपनाना, औद्योगिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना और मजबूत ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करना शामिल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को सुदृढ़ करना:** भारत तेल के वैकल्पिक स्रोतों को सुरक्षित करने के लिये ओपेक से इतर तेल उत्पादक देशों के साथ रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं अन्य ऐसे देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने से आयात स्रोतों में विविधता लाने और अनुकूल आपूर्ति समझौतों पर वार्ता करने के अवसर मिल सकते हैं।
- **रणनीतिक तेल भंडार विकसित करना:** पर्याप्त रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Oil Reserves) बनाए रखना, आपूर्ति में व्यवधान या मूल्य में उतार-चढ़ाव के दौरान बफ़र के रूप में कार्य कर सकता है। भारत को आपात स्थिति के दौरान तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और ओपेक के निर्णयों पर निर्भर भेद्यता को कम करने के लिये अपने रणनीतिक तेल भंडार का निर्माण एवं विस्तार करना जारी रखना चाहिये।
- **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना:** उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करने से ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य

नोट :

वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। यह भारत को दीर्घावधि में ओपेक पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ एवं अधिक सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर अपने संक्रमण को तीव्र करने में मदद कर सकता है।

- **सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना:** सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उपयोग को बढ़ावा देने से भारत की तेल खपत में पर्याप्त कमी आ सकती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के साथ EVs अपनाने के लिये प्रोत्साहन देने से सतत परिवहन विकल्पों की ओर तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।
- **ऊर्जा कूटनीति में संलग्नता:** भारत ऊर्जा कूटनीति में सक्रिय रूप से संलग्न हो सकता है और निष्पक्ष एवं स्थिर तेल मूल्यों की वकालत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी कर सकता है। अन्य तेल आयातक देशों के साथ सहयोगात्मक प्रयास, ओपेक की निर्णयन प्रक्रिया को प्रभावित करने एवं अधिक संतुलित एवं पारदर्शी वैश्विक ऊर्जा बाज़ार का सृजन करने में मदद कर सकते हैं।

व्यापक डेटा संरक्षण कानूनों की आवश्यकता

डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा का व्यापक संग्रहण एवं प्रसंस्करण डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर संचार एवं लेनदेन का आधार बन गया है। हालाँकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग की संभावना ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के संबंध में चिंताओं को भी जन्म दिया है। यूरोपीय संघ (EU) का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation- GDPR), प्रभावी डेटा सुरक्षा ढाँचे का एक प्रमुख उदाहरण है।

भारत भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Bill), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act-IT Act) जैसी पहलों के माध्यम से अपने डेटा संबंधी शासन (Data Governance) को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। भारत में डिजिटल इंडिया अधिनियम के द्वारा आईटी अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करना भी प्रस्तावित है।

डेटा शासन के संबंध में वैश्विक विनियमन:

- **यूरोपीय संघ (EU) का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR):**
  - GDPR व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण हेतु एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है।
  - यूरोपीय संघ में निजता या गोपनीयता का अधिकार (right to privacy) मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित है, जो व्यक्ति की गरिमा और उसके द्वारा सृजित डेटा पर उसके अधिकार का संरक्षण करने पर लक्षित है।
  - GDPR द्वारा लगाए गए जुर्माना या अर्थदंड ने विश्व भर के संगठनों को इस संबंध में अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित किया है। इस क्रम में गूगल, व्हाट्सएप, ब्रिटिश एयरवेज़ और मैरियट सहित कई बड़ी कंपनियों पर पर्याप्त जुर्माना लगाया गया है।
  - इसके अलावा तीसरे विश्व के देशों पर डेटा ट्रांसफर के संबंध में GDPR के सख्त मानदंडों के कारण यूरोपीय संघ से परे भी डेटा सुरक्षा ढाँचे का प्रभाव पड़ा है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटा शासन:**
  - अमेरिका में निजता के अधिकारों या सिद्धांतों का कोई व्यापक सेट मौजूद नहीं है जो यूरोपीय संघ के GDPR की तरह डेटा के उपयोग, संग्रहण एवं प्रकटीकरण को संबोधित करता हो।
  - इसके बजाय यहाँ सीमित स्तर पर क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन मौजूद हैं। इसके साथ ही डेटा सुरक्षा के संबंध में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है।
    - यहाँ व्यक्तिगत सूचना के संबंध में सरकार की गतिविधियों एवं शक्तियों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और इन्हें निजता अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधिनियम जैसे व्यापक कानूनों द्वारा संबोधित किया गया है।
    - इसके साथ ही निजी क्षेत्र के लिये कुछ क्षेत्र-विशिष्ट मानदंड तय किये गए हैं।
- **चीन में डेटा शासन:**
  - डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर पिछले 2 वर्षों में जारी किये गए चीन के नवीन कानूनों में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून (Personal Information Protection Law- PIPL) शामिल है, जो नवंबर 2021 में लागू हुआ था।
    - इससे चीन में डेटा सिद्धांतों (data principals) से संबंधित विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं जिससे व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया है।

नोट :

- सितंबर 2021 में लागू हुए डेटा सुरक्षा कानून (Data Security Law- DSL) द्वारा व्यावसायिक डेटा के महत्त्व के स्तरों के आधार पर डेटा को वर्गीकृत करना आवश्यक बनाया गया है तथा सीमा-पार स्थानांतरण पर नए प्रतिबंध लागू किये गए हैं।

भारत में डेटा शासन से संबंधित प्रावधान

- **आईटी संशोधन अधिनियम, 2008:**
  - आईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत भारत में कुछ गोपनीयता संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
  - हालाँकि ये प्रावधान व्यापक रूप से कुछ स्थितियों के लिये विशिष्ट हैं, जैसे कि मीडिया मंचों पर किशोरों और बलात्कार पीड़ितों के नाम प्रकाशित करने पर प्रतिबंध आरोपित करना।
- **जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, 2017:**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि भारतीयों को संवैधानिक रूप से संरक्षित निजता का मौलिक अधिकार प्राप्त है जो अनुच्छेद 21 में उपबंधित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अंतर्निहित अंग है।
- **बी.एन. श्रीकृष्ण समिति 2017:**
  - सरकार ने अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी, जिसने जुलाई 2018 में डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
  - इस रिपोर्ट में भारत में निजता कानून को सुदृढ़ करने के लिये अनुशंसाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रस्तुत की गई थी, जिसमें डेटा के प्रसंस्करण एवं संग्रहण पर प्रतिबंध लगाना, डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना, भूल जाने का अधिकार (right to be forgotten), डेटा स्थानीयकरण आदि पहलुओं को शामिल किया गया था।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:**
  - आईटी नियम (2021) के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के संबंध में वृहत तत्परता रखने हेतु बाध्य किया गया है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Bill):**
  - यह विधेयक भारत के अंदर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर ऐसी स्थिति में लागू होगा जहाँ इस तरह के डेटा को ऑनलाइन एकत्र किया जाता है अथवा ऑफ़लाइन एकत्र कर डिजिटाइज़ किया जाता है। यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या भारतीय व्यक्तियों की प्रोफ़ाइलिंग पर लक्षित हो।
  - इसके तहत व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिये प्रसंस्करित/संसाधित किया जा सकता है जिसके लिये व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो। कुछ मामलों में माना जा सकता है कि सहमति प्राप्त है।
  - डेटा फिड्यूशरी (Data fiduciaries) डेटा की परिशुद्धता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने और उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा की समाप्ति करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
    - 'डेटा फिड्यूशरी' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करता है।
  - यह विधेयक व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जिसमें सूचना प्राप्त करने, सूचना में सुधार करने एवं इसे मिटाने की मांग करने और शिकायत निवारण के अधिकार शामिल हैं।
  - केंद्र सरकार राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम जैसे निर्दिष्ट आधारों के हित में विधेयक के प्रावधानों के अनुप्रयोग से सरकारी एजेंसियों को छूट दे सकती है।
  - केंद्र सरकार विधेयक के प्रावधानों का पालन न करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India) की स्थापना करेगी।
- **आईटी अधिनियम, 2000 को डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 से प्रस्थापित करने का प्रस्ताव:**
  - आईटी अधिनियम मूल रूप से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन की सुरक्षा करने और साइबर अपराध को परिभाषित करने के लिये डिज़ाइन किया गया था। यह वर्तमान में साइबर सुरक्षा परिदृश्य की जटिलताओं से पर्याप्त रूप से निपटने और डेटा गोपनीयता अधिकारों से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है।
  - नया 'डिजिटल इंडिया अधिनियम' अधिक नवाचारी, अधिक स्टार्ट-अप्स को सक्षम करने और साथ ही सुरक्षा, विश्वास एवं

नोट :

जवाबदेही के संदर्भ में भारत के नागरिकों की रक्षा करने के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने पर केंद्रित है।

भारत में डेटा शासन से संबद्ध चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त जागरूकता:**
  - भारत में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने की राह में प्राथमिक बाधाओं में से एक यह है कि डेटा सुरक्षा के महत्त्व और डेटा उल्लंघनों से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में व्यक्तियों एवं संगठनों के बीच समझ सीमित है। नतीजतन, व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये आवश्यक सावधानी बरतने में कठिनाई हो सकती है।
- **प्रवर्तन तंत्र का कमज़ोर होना:**
  - भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित मौजूदा कानूनी ढाँचे के प्रवर्तन के लिये सुदृढ़ तंत्र का अभाव है। यह अभाव डेटा उल्लंघनों और डेटा सुरक्षा नियमों का पालन न करने के संबंध में संगठनों को जवाबदेह ठहराना कठिन बना देता है।
- **मानकीकरण का अभाव:**
  - भारत में डेटा संरक्षण नियमों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन में एक प्रमुख बाधा यह है कि विभिन्न संगठनों के बीच इस संबंध में मानकीकरण का अभाव है। डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में एकरूपता की कमी से इसके अनुपालन प्रयासों के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **संवेदनशील डेटा के लिये अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:**
  - भारत में मौजूदा डेटा सुरक्षा ढाँचा स्वास्थ्य डेटा एवं बायोमेट्रिक डेटा जैसे संवेदनशील डेटा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने में विफल रहता है। चूँकि संगठनों द्वारा इस प्रकार के डेटा के संग्रहण में वृद्धि हो रही है इसीलिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी चिंता का विषय है।

आगे की राह:

- **रोल मॉडल के रूप में सरकार:** एक डेटा फिड्यूशरी और प्रोसेसर के रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार को चाहिये कि डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने के संदर्भ में रोल मॉडल के रूप में कार्य करे।
- प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के क्रम में संसदीय या न्यायिक निरीक्षण के साथ एक स्वतंत्र एवं सशक्त डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किया जाना महत्त्वपूर्ण है।
- इस संदर्भ में नवाचार और विनियमन को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये कड़े नियम आवश्यक हैं लेकिन अत्यधिक निर्देशात्मक एवं प्रतिबंधात्मक मानदंड नवाचार को रोक सकते हैं और सीमा-पार डेटा प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। व्यक्तिगत डेटा की प्रभावी ढंग से रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के लिये सही संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
- एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण कानून डिजिटल शासन के व्यापक ढाँचे का केवल एक पहलू है। व्यापक विनियमन सुनिश्चित करने के लिये साइबर सुरक्षा, प्रतिस्पर्द्धा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यूरोपीय संघ का दृष्टिकोण, जिसमें उसने डेटा अधिनियम, डिजिटल सेवा अधिनियम, डिजिटल बाज़ार अधिनियम और AI अधिनियम जैसे अतिरिक्त पहलुओं को भी शामिल किया है, हमारे लिये भी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

ऊर्जा संक्रमण में राज्यों की भूमिका

भारत विविध संदर्भों और देशों के विकास पथ को समायोजित करने के लिये एक बहु ऊर्जा मार्ग (Multiple Energy Pathways) दृष्टिकोण का प्रस्ताव करने की योजना बना रहा है। भारतीय राज्यों की विविधता, जिसके लिये विभिन्न या बहु मार्गों की आवश्यकता है, इसके स्वयं के घरेलू ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) की दिशा को निर्धारित करेगी। भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिज्ञा, जहाँ वर्ष 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) प्राप्त करने की प्रतिबद्धता प्रकट की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू ऊर्जा लक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं।

- भारत के ऊर्जा संक्रमण में राज्य महत्त्वपूर्ण अभिकर्ता होंगे क्योंकि ऊर्जा उत्पादन और उपयोग की बहु-स्तरीय शासन व्यवस्था मौजूद है। एक प्रभावी संक्रमण के लिये केंद्र और राज्यों के बीच महत्त्वाकांक्षाओं और कार्यान्वयन के अंतराल को दूर करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओं को राज्य स्तर पर अलग-अलग प्रोत्साहन संरचनाओं, प्रक्रियाओं और संस्थागत क्षमताओं में शामिल करने की आवश्यकता होगी।

राज्य क्यों मायने रखते हैं?

- **राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने के लिये महत्त्वपूर्ण:** कार्यान्वयन क्षेत्र के रूप में राज्यों की स्थिति राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये महत्त्वपूर्ण है। जबकि केंद्र लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और उन्हें प्राप्त करने में मदद करने के लिये दाम-दंड का उपयोग कर सकता है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति प्राय: इस बात पर निर्भर करती है कि वे राज्य की प्राथमिकताओं एवं क्षमताओं के साथ कैसे संरेखित होते हैं।

नोट :

- **समावेशी विकास के लिये महत्त्वपूर्ण:** 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में भारत की प्रगति जटिल है। केवल तीन राज्यों ने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा किया है और वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 80% पश्चिम एवं दक्षिण में छह राज्यों में संकेंद्रित है। एक सफल स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिये सभी राज्यों को शामिल करते हुए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
- **ऊर्जा नीति निर्माण:** राज्य अपनी विशिष्ट ऊर्जा आवश्यकताओं और संसाधनों को पूरा करने के लिये अपनी नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, प्रोत्साहन और विनियमन को स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित स्वच्छ ऊर्जा अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के दौरान बिजली क्षेत्र के अनसुलझे मुद्दे (जैसे उच्च हानि एवं अविश्वसनीय आपूर्ति) और जटिल बन सकते हैं। इस परिदृश्य में राज्य-स्तरीय समाधानों की आवश्यकता है क्योंकि ये मुद्दे राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:** भारत के विविधतापूर्ण भूगोल एवं जलवायु के कारण विभिन्न राज्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता के मामले में भिन्नता रखते हैं। राज्य परियोजनाओं की स्थापना, निवेश आकर्षित करने और देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान करने के लिये अपने विशिष्ट संसाधनों (जैसे सौर, पवन या पनबिजली) का लाभ उठा सकते हैं।
- **नीतिगत नवाचारों की प्रयोगशालाएँ:** राज्यों ने भारत के ऊर्जा संक्रमण से संबंधित नीतिगत नवाचारों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिये, सौर ऊर्जा पर गुजरात और राजस्थान तथा पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु की आरंभिक पहलों ने राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के अंगीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।
  - इसी प्रकार, कृषि के सोलराइजेशन (solarisation) पर राज्य के सफल प्रयोगों को पीएम कुसुम (PM KUSUM) के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है।
- **राष्ट्रीय लक्ष्यों की राह में बाधक:** जबकि राज्यों के पास स्वच्छ ऊर्जा अंगीकरण को बढ़ावा देने की शक्ति है, वे राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिये भी बाधक बन सकते हैं, विशेष रूप से यदि इन लक्ष्यों को राज्य की प्राथमिकताओं के साथ संघर्ष की स्थिति में या इनके प्रतिकूल देखा जाए।
  - उदाहरण के लिये, कोयले पर निर्भर कोई राज्य कोयला-संचालित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का विरोध कर सकता है। सभी राज्यों के सहयोग के बिना राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- **मांग-पक्ष प्रबंधन:** राज्य प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ताओं के रूप में मांग-पक्ष प्रबंधन रणनीतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। वे स्थानीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता उपायों, स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा संरक्षण अभ्यासों को बढ़ावा दे सकते हैं। राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों, रूफटॉप सोलर इनस्टॉलेशन और ऊर्जा-कुशल भवन डिज़ाइनों के उपयोग को भी प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं।
- **सहकार्यता और ज्ञान साझेदारी:** राज्य एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी कर सकते हैं और सफल पहलों से प्रेरणा ले सकते हैं। नीति आयोग (National Institution for Transforming India- NITI Aayog) जैसे मंच और अन्य राज्य-स्तरीय एजेंसियाँ ज्ञान साझेदारी (Knowledge Sharing) की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे राज्यों को एक-दूसरे के अनुभवों और सबक से लाभ प्राप्त होता है।

संबद्ध चुनौतियाँ:

- **भिन्न-भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:** भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पाई जाती है, जिससे इनके योगदानों और लक्ष्यों को संतुलित करना कठिन हो जाता है। कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में योगदान करने की अधिक क्षमता मौजूद है।
- **नीतिगत भिन्नताएँ:** राज्यों की अपनी अलग-अलग ऊर्जा नीतियाँ होती हैं, जिससे उनके दृष्टिकोण और लक्ष्यों में अंतर उत्पन्न होता है। इन नीतियों को संरेखित करना और एक समन्वित ढाँचे का निर्माण करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- **वित्तीय विषमताएँ:** भारत के अलग-अलग राज्यों में वित्तीय संसाधनों के अलग-अलग स्तर मौजूद हैं, जिससे कुछ राज्यों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विभिन्न राज्यों में वित्तपोषण तंत्र की उपलब्धता और पूंजी तक पहुँच की स्थिति भी एक जैसी नहीं है।
- **तकनीकी क्षमता:** राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के योजना-निर्माण, कार्यान्वयन और संचालन के लिये आवश्यक तकनीकी क्षमता एवं विशेषज्ञता भी भिन्न-भिन्न हो सकती है। कुछ राज्यों में अधिक विकसित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और तकनीकी विशेषज्ञता की स्थिति हो सकती है तो अन्य राज्यों में आवश्यक विशेषज्ञता की कमी हो सकती है।

नोट :

- **अनुकूल अवसंरचना:** विभिन्न राज्यों में ग्रिड अवसंरचना की स्थिति भिन्न-भिन्न है और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिये इनमें उन्नयन की आवश्यकता है। सीमित संसाधनों के कारण कुछ राज्यों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक दक्षता:** सार्वभौमिक ऊर्जा संक्रमण के लिये सभी राज्यों में राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक दक्षता का होना आवश्यक है। प्राथमिकताओं और क्षमताओं में अंतर, गति एवं प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। इस क्षेत्र में सफलता के लिये राज्यों के बीच समन्वय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **क्षेत्रीय हित और प्राथमिकताएँ:** प्रत्येक राज्य क्षेत्रीय हितों और प्राथमिकताओं में अंतर रखते हैं, जो कभी-कभी व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में भी हो सकते हैं। ऊर्जा संक्रमण में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय हितों को संतुलित करना जटिल है और इसके लिये राज्यों के बीच प्रभावी वार्ता एवं सहमति निर्माण की आवश्यकता है।
- **हितधारक संलग्नता:** एक सफल ऊर्जा संक्रमण के लिये हितधारकों को संलग्न करना महत्त्वपूर्ण है। उनकी चिंताओं को दूर करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये समावेशी एवं भागीदारीपूर्ण प्रक्रियाओं को आकार दिया जाना चाहिये, विशेष रूप से इसलिये क्योंकि राज्यों के बीच दृष्टिकोण एवं हितों का अंतर हो सकता है।

आगे की राह:

- **एक राज्यस्तरीय ढाँचा:** तकनीकी-आर्थिक विमर्श को पूरकता प्रदान करने के लिये एक राज्यस्तरीय ढाँचा होना चाहिये जो ऊर्जा संक्रमण की दिशा में योजनाओं, कार्यान्वयनों और शासन प्रक्रियाओं को समझ सके। इस तरह के ढाँचे के उपयोग से कई तरीकों से त्वरित संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा।
  - यह संक्रमण विमर्श को, परिणामों को आकार देने वाली प्रक्रियाओं को शामिल करने तक विस्तृत करेगा। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, वहनीयता और विश्वसनीयता पर संक्रमण के प्रभावों को समझना महत्त्वपूर्ण है।
  - यह अधिक पारदर्शिता की ओर ले जाएगा जिससे इन प्रक्रियाओं में हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है और जटिल निर्णयों में सार्वजनिक वैधता एवं भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है।
  - राज्य की तैयारी या तत्परता से राज्यस्तरीय अंतरों की बेहतर समझ बनेगी और एक व्यावहारिक और तीव्र ऊर्जा संक्रमण के लिये साक्ष्य-आधारित नीतिगत विकल्पों के निर्माण में मदद मिलेगी।
- **राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति ढाँचा:** एक राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति ढाँचा (National Renewable Energy Policy Framework) तैयार किया जाना चाहिये जो राज्य-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करते हुए और समन्वय एवं निरंतरता को बढ़ावा देते हुए राज्यों को अपनी नीतियों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करे।
- **क्षमता निर्माण और साझेदारी:** राज्यों के बीच तकनीकी विशेषज्ञता और संबंधित ज्ञान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिये क्षमता निर्माण में निवेश किया जाना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, सम्मेलन और सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं।
- **वित्तीय सहायता तंत्र:** वित्त तक उपयुक्त पहुँच सुनिश्चित की जाए और राज्यों के बीच वित्तीय अंतर को दूर करने के लिये तंत्र स्थापित किया जाए। उपलब्ध विकल्पों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये धन का सृजन, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और निम्न-लागत वित्तपोषण तक पहुँच को सुगम बनाना शामिल हो सकता है।
- **मानकीकरण और सामंजस्य:** राज्यों के बीच नीतियों, विनियमों और तकनीकी मानकों के मानकीकरण एवं सामंजस्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। यह निरंतरता को बढ़ावा दे सकता है, जटिलता को कम कर सकता है और सहज अंतर-राज्य परियोजना कार्यान्वयन एवं ग्रिड एकीकरण को सुगम बना सकता है।
- **ग्रिड अवसंरचना विकास:** ग्रिड अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये (विशेष रूप से उच्च नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता रखने वाले राज्यों में)। पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उन्नयन, उन्नत ग्रिड प्रबंधन तकनीकों को लागू करना और सुदृढ़ अंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क स्थापित करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण का समर्थन कर सकता है।
- **संस्थागत समन्वय और सहयोग:** केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नियामक निकायों और अन्य हितधारकों के बीच संस्थागत समन्वय एवं सहयोग को मज़बूत किया जाना चाहिये। नियमित संचार, विचारों के आदान-प्रदान और ऊर्जा संक्रमण से संबंधित मामलों पर समन्वय की सुविधा प्रदान करने वाले समर्पित प्लेटफॉर्म या टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिये।
- **समावेशी और न्यायसंगत संक्रमण:** यह सुनिश्चित किया जाए कि ऊर्जा संक्रमण सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखे (विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो जीवाश्म ईंधन आधारित

नोट :

उद्योगों पर अत्यधिक निर्भर हैं)। प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिये विभिन्न उपाय किये जाएँ, वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान किये जाएँ और सभी के लिये न्यायसंगत एवं उचित संक्रमण सुनिश्चित किया जाए।

नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में राज्य सरकारों की कुछ प्रमुख नीतियाँ:

- आंध्र प्रदेश ने सौर, पवन और पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिये नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात नीति, 2020 कार्यान्वित की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा विद्युत खरीद के किसी दायित्व के बिना राज्य के बाहर नवीकरणीय ऊर्जा के निर्यात को बढ़ावा देना है।
- गुजरात की सौर ऊर्जा नीति 2021 द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये विद्युत शुल्क से छूट, बैंकिंग सुविधा, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार से छूट जैसे विभिन्न लाभ प्रदान होते हैं।
- कर्नाटक की नवीकरणीय ऊर्जा नीति (2022-2027) के माध्यम से 10 GW अतिरिक्त RE परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाने का लक्ष्य रखा गया है (राज्य में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ या उसके बिना)।
- तमिलनाडु की सौर ऊर्जा नीति, 2019 का लक्ष्य वर्ष 2023 तक 9 GW सौर ऊर्जा प्राप्त करना है, जहाँ ग्रिड-कनेक्टेड एवं ऑफ-ग्रिड परियोजनाओं, रूफटॉप सौर प्रणाली, सौर पार्क आदि के संबंध में प्रावधान मौजूद हैं।

निष्कर्ष:

भारत ने अपने ऊर्जा संक्रमण के लिये सराहनीय लक्ष्य निर्धारित किये हैं और यह प्रोत्साहन एवं प्रवर्तन तंत्र के निर्माण की दिशा में कार्यरत है लेकिन इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण अगला कदम यह होगा कि क्षमताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाए। इसे उपलब्ध तकनीकी-आर्थिक विकल्पों, राजकोषीय अवसर और सामाजिक एवं राजनीतिक अनिवार्यताओं सहित विभिन्न प्रेरकों, बाधाओं एवं सक्षमताओं के बीच परस्पर क्रिया द्वारा आकार मिलेगा।

GDP की अपर्याप्त रिकवरी

भारत के नवीनतम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुमानों ने सबसे आशावादी अनुमानों को भी पार कर लिया है, जिससे चालू वित्तीय वर्ष के लिये आर्थिक विकास अनुमानों में ऊर्ध्वगामी संशोधन किये गए हैं। भारत के जी.डी.पी. अनुमान महामारी के दौरान अनुभव किये गए गिरावटों से उबरने का संकेत दे रहे हैं।

हालाँकि ग्रामीण मांग, विनिर्माण प्रदर्शन, अनौपचारिक क्षेत्र के विकास, निवेश पैटर्न, उदासीन घरेलू व्यय आदि में व्याप्त चुनौतियों के साथ रिकवरी पर्याप्त नहीं है और आर्थिक हानि देश की विकास संभावनाओं के लिये चुनौतियाँ पेश कर रही है। सतत् एवं संतुलित आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिये इन विरोधाभासों को सुलझाना अत्यंत आवश्यक है।

जी.डी.पी. रिकवरी चुनौतीपूर्ण क्यों है?

- **कृषि विकास के बावजूद ग्रामीण मांग में कमी:**
  - ग्रामीण बाज़ारों का पिछड़ापन:
    - कृषि क्षेत्र में मज़बूत वृद्धि के बावजूद ग्रामीण मांग कमज़ोर बनी हुई है, जहाँ ग्रामीण बाज़ारों में 'वॉल्यूम ग्रोथ' (volume growth) सुस्त बनी हुई है।
  - प्रति व्यक्ति आय में गिरावट:
    - कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है।
  - गैर-कृषि क्षेत्र का कमज़ोर प्रदर्शन:
    - गैर-कृषि क्षेत्र, जो ग्रामीण घरेलू आय में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, संभवत: कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है।
    - मनरेगा (MGNREGA) के तहत परिवारों द्वारा कार्य की मांग में हालाँकि कोविड वर्षों के दौरान गिरावट देखी गई थी, यह महामारी-पूर्व स्तरों से पर्याप्त ऊपर बनी हुई है।
    - वर्ष 2022-23 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8.76 करोड़ व्यक्तियों को काम मिला (वर्ष 2019-20 में 7.88 करोड़ और वर्ष 2018-19 में 7.77 करोड़ व्यक्तियों की तुलना में)।
- **औद्योगिक क्षेत्र में मंदी और विनिर्माण प्रदर्शन:**
  - औद्योगिक क्षेत्र में मंदी:
    - औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय मंदी आई है।
    - चौथी तिमाही में टर्न-अराउंड (turnaround) के बावजूद पूरे वर्ष के लिये विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि मात्र 1.3% रही।
- **गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र रोज़गार में वृद्धि:**
  - अनौपचारिक क्षेत्र रोज़गार:
    - गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत स्वामित्व और साझेदारी उद्यमों (अनौपचारिक क्षेत्र की फर्में) में संलग्न श्रमिकों की हिस्सेदारी 68.2% (वर्ष 2017-18) से बढ़कर 71.8% (वर्ष 2021-22) हो गई।

नोट :

- अनौपचारिक क्षेत्र रोज़गार में वृद्धि अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और रोज़गार अवसरों को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों से भिन्न तस्वीर पेश करती है।

- **निवेश गतिविधि और चालू खाता गतिशीलता:**
  - स्वस्थ निवेश वृद्धि:
    - निवेश-जी.डी.पी. अनुपात के 29.2% (2022-23) तक पहुँचने के साथ निवेश गतिविधि में स्वस्थ प्रवृत्ति नज़र आई।
  - घरेलू क्षेत्र द्वारा प्रेरित विकास:
    - निवेश अनुपात में दो-तिहाई वृद्धि घरेलू क्षेत्र द्वारा संचालित थी, जिसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की फर्मों का योगदान रहा।
  - चालू खाता अधिशेष की संभावना:
    - हाल के जी.डी.पी. आँकड़े चालू खाता अधिशेष (current account surplus) या न्यूनतम घाटे की संभावना प्रकट करते हैं, जो बचत के सापेक्ष कमज़ोर निवेश मांग का संकेत देते हैं।
- **कमज़ोर घरेलू व्यय और मुद्रास्फीति का प्रभाव:**
  - हाई-एंड खर्च बनाम समग्र घरेलू व्यय:
    - हाई-एंड वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च बढ़ा है, जबकि निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवारों द्वारा कम खर्च करने के कारण समग्र घरेलू व्यय में गिरावट बनी हुई है।
  - निम्न आय वृद्धि:
    - उत्पादक रोज़गार के सीमित अवसर और निम्न आय वृद्धि ने कमज़ोर घरेलू व्यय में योगदान दिया है।
  - मुद्रास्फीति द्वारा क्रय शक्ति का क्षरण:
    - स्थिर मुद्रास्फीति परिवारों की क्रय शक्ति को कम करती है और उपभोग को संकुचित करती है।
- **आर्थिक हानि और असमान रिकवरी:**
  - वास्तविक विकास की कमी:
  - महामारी से पहले की वृद्धि की तुलना में, भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि वर्तमान स्तरों से कम बनी हुई है, जो आर्थिक हानि को दर्शाती है।

आर्थिक विकास के प्रमुख चालक कौन-से हैं?

- **निवेश:**
  - भौतिक अवसंरचना, मशीनरी, प्रौद्योगिकी और मानव पूंजी में निवेश आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है।
  - इससे उत्पादन क्षमता, दक्षता और नवाचार में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च उत्पादकता और उत्पादन की स्थिति बनती है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:**
  - तकनीकी प्रगति और नवाचार उत्पादकता में सुधार, नए उद्योगों एवं बाज़ारों के सृजन और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के रूप में आर्थिक विकास को प्रेरित करते हैं।
  - अनुसंधान एवं विकास (R&D) और प्रौद्योगिकी अंगीकरण में निवेश आर्थिक विस्तार में योगदान देता है।
- **मानव पूंजी विकास:**
  - शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास आर्थिक विकास के आवश्यक चालक हैं।
  - एक सुशिक्षित एवं कुशल कार्यबल अधिक उत्पादक, नई तकनीकों के प्रति अनुकूल और नवाचार एवं उद्यमिता को प्रेरित करने में सक्षम होता है।
- **व्यापार और वैश्वीकरण:**
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - व्यापार बाज़ारों का विस्तार करके, विशेषज्ञता को सुगम बनाकर और संसाधनों एवं पूंजी तक पहुँच को बढ़ावा देकर उत्पादकता की वृद्धि कर सकता है, आर्थिक दक्षता को प्रेरित कर सकता है तथा रोज़गार के अवसर सृजित कर सकता है।
- **अवसंरचना विकास:**
  - आर्थिक विकास के लिये परिवहन, संचार, ऊर्जा और स्वच्छता सहित पर्याप्त अवसंरचना अत्यंत आवश्यक है।
  - सुविकसित अवसंरचना लेनदेन लागत को कम करती है, वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाती है और निवेश को आकर्षित करती है।
- **संस्थागत ढाँचा:**
  - आर्थिक विकास के लिये एक सुदृढ़ एवं कुशल संस्थागत ढाँचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसमें विधि का शासन, संपत्ति अधिकारों की रक्षा, पारदर्शी शासन, कुशल विधिक प्रणालियाँ और उद्यमशीलता एवं निवेश को बढ़ावा देने वाला व्यवसाय-अनुकूल माहौल शामिल है।
- **मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता:**
  - निवेश, व्यापार और आर्थिक विकास के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिये सुदृढ़ राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों, निम्न मुद्रास्फीति दर और विनिमय दर स्थिरता के माध्यम से मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।
- **उद्यमिता और नवाचार:**
  - उद्यमशील गतिविधियाँ और नवाचार नए व्यवसायों, उत्पादों एवं सेवाओं का सृजन कर, रोज़गार उत्पन्न कर और प्रतिस्पर्धा एवं बाज़ार की गतिशीलता को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं।

नोट :

संभावित समाधान

- **ग्रामीण मांग को बढ़ावा देना:**
  - विकास एवं रोज़गार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिये लक्षित नीतियों एवं पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना।
  - निवेश आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी में सुधार करना।
  - उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास को प्रोत्साहित करने के लिये ग्रामीण परिवारों एवं उद्यमियों के लिये ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाना।
  - आर्थिक लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करते हुए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच आय के अंतर को दूर करने के उपाय करना।
- **विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार:**
  - विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों को लागू करना, जैसे कर प्रोत्साहन, सरलीकृत विनियमन और कारोबार सुगमता संबंधी सुधार।
  - उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।
  - श्रम बल में व्याप्त कौशल अंतराल को दूर करने के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों को सशक्त करना और इसे विनिर्माण उद्योग की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करना।
  - निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं सहयोग को सुगम बनाना।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारीकरण:**
  - अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम पेश करना, जैसे कि वित्त तक पहुँच प्रदान करना, पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा अनुपालन के लिये प्रोत्साहन (incentives) की पेशकश करना।
  - अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की आय सुरक्षा और समग्र कल्याण में सुधार के लिये सामाजिक सुरक्षा जाल को बढ़ाना।
  - व्यापार विकास सहायता, प्रशिक्षण और बाज़ारों तक पहुँच प्रदान कर औपचारिक क्षेत्र की ओर संक्रमण हेतु अनौपचारिक उद्यमों के लिये एक सक्षमकारी माहौल का संपोषण करना।
- **आय असमानता को संबोधित करना और घरेलू व्यय को बढ़ावा देना:**
  - आय के पुनर्वितरण और धन असमानताओं को कम करने के लिये प्रगतिशील कराधान नीतियों को लागू करना।
  - निम्न आय वाले परिवारों और कमज़ोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिये सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और सुरक्षा तंत्रों को बढ़ाना।
  - व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उनकी रोज़गार क्षमता में सुधार के लिये शिक्षा एवं कौशल विकास में निवेश बढ़ाना।
  - परिवारों की क्रय शक्ति की रक्षा के लिये प्रभावी मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति के दबावों का सामना करना।
- **निगरानी एवं मूल्यांकन:**
  - कार्यान्वित नीतियों एवं हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिये सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना।
  - प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर नीतिगत उपायों के प्रभाव का नियमित रूप से आकलन करना और वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समायोजन करना।
  - नीति निर्माण और कार्यान्वयन को सूचना-संपन्न बनाने के लिये अनुसंधान एवं डेटा-संचालित निर्णयन को प्रोत्साहित करना।

फ्रीबीज़ (Freebies): एक दोधारी तलवार

यह सुस्थापित तथ्य है कि प्रत्येक चुनावी मौसम में सभी राजनीतिक दल चुनावी सफलता के लिये महत्त्वाकांक्षी व्यय प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं।

चुनाव जीतने के उद्देश्य से राजनीतिक दल बिजली, पानी और परिवहन जैसे विभिन्न फ्रीबीज़/मुफ्त वस्तुओं (Freebies) को प्रदान करने का वादा करते हैं। इनमें मुफ्त बिजली देना सबसे लोकप्रिय वादा रहा है।

बिजली के लिये उच्च सब्सिडी न केवल राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को खतरे में डालती है बल्कि इससे अन्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध धन सीमित हो जाता है।

उदाहरण के लिये, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये कर्नाटक का बजट आवंटन अन्य सभी राज्यों द्वारा इन क्षेत्रों में औसत आवंटन की तुलना में कम है।

फ्रीबीज़:

- भारतीय रिज़र्व बैंक की वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में फ्रीबीज़ को ''एक लोक कल्याणकारी उपाय (जो नि:शुल्क प्रदान किया जाता

है)'' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि फ्रीबीज़ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे व्यापक एवं दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली सार्वजनिक/ मेरिट वस्तुओं (public/ merit goods) से भिन्न हैं।

'फ्रीबीज़' और 'वेलफेयर' अंतर:

फ्रीबीज़ और वेलफेयर या कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन लाभार्थियों और समाज पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव के आलोक में उनके मध्य के अंतर को समझा जा सकता है। कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, जबकि यह निर्भरता या विकृति उत्पन्न कर सकते हैं।

- फ्रीबीज़ वे वस्तुएँ और सेवाएँ हैं जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के मुफ़्त में प्रदान की जाती हैं।
  - इनको आमतौर पर अल्पावधि में लक्षित आबादी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है।
  - उन्हें प्राय: मतदाताओं को लुभाने या लोकलुभावन वादों के साथ रिश्वत देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
  - नि:शुल्क लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली, पानी आदि उपलब्ध कराना फ्रीबीज़ के कुछ उदाहरण हैं।
- दूसरी ओर, कल्याणकारी योजनाएँ सुविचारित योजनाएँ होती हैं जिनका उद्देश्य लक्षित आबादी को लाभान्वित करना और उनके जीवन स्तर के साथ संसाधनों तक पहुँच में सुधार करना होता है।
  - वे सामान्यत: नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्वों (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुपालन में) की पूर्ति करने का उद्देश्य रखती हैं।
  - उन्हें प्राय: सामाजिक न्याय, समता और मानव विकास को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), मध्याह्न भोजन योजना आदि कल्याणकारी योजनाओं के कुछ उदाहरण हैं।

फ्रीबीज़ एक दोधारी तलवार:

- **फ्रीबीज़ के लाभ:**
  - सार्वजनिक आउटरीच और संलग्नता: सरकार के फ्रीबीज़ सरकार के प्रति जनता के भरोसे एवं संतुष्टि की वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार वे लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा फ्रीबीज़ सरकार और नागरिकों के बीच प्रतिक्रिया एवं संवाद के अवसरों का सृजन कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र की संवृद्धि हो सकती है।
    - 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च' के एक अध्ययन में पाया गया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लैपटॉप, साइकिल एवं नकद हस्तांतरण जैसे फ्रीबीज़ का मतदाता रुझान, राजनीतिक जागरूकता और सरकार के प्रति संतुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
  - आर्थिक विकास: फ्रीबीज़ कार्यबल की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करके (विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों में) आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिये लैपटॉप, साइकिल या सिलाई मशीन जैसे फ्रीबीज़ गरीब एवं ग्रामीण आबादी के कौशल, गतिशीलता एवं आय के अवसरों को बढ़ा सकते हैं।
    - नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में स्कूली छात्राओं को साइकिल जैसे फ्रीबीज़ प्रदान करने से उनके नामांकन में वृद्धि हुई है, स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी आई है और उनके अधिगम प्रतिफल (learning outcomes) में सुधार हुआ है।
  - समाज कल्याण: वे समाज के गरीब और हाशिये पर स्थित वर्गों को खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिये यूनिफ़ॉर्म, पाठ्यपुस्तक या स्वास्थ्य बीमा जैसे फ्रीबीज़ ज़रूरतमंद एवं भेद्य समूहों के बीच साक्षरता, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।
    - विश्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्य सब्सिडी जैसे फ्रीबीज़ ने वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात को 7% तक कम करने में भूमिका निभाई है।
    - NSSO के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा जैसे फ्रीबीज़ ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (BPL households) के लिये जेब के खर्च (out-of-pocket expenditure) और विनाशकारी स्वास्थ्य आघातों को कम करने में योगदान किया है।
  - आय समानता: फ्रीबीज़ धन एवं संसाधनों को अधिक समान रूप से पुनर्वितरित करके आय असमानता एवं गरीबी को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिये ऋण माफी या नकद हस्तांतरण जैसे फ्रीबीज़ ऋणी या निम्न आय वाले परिवारों को संपत्ति, ऋण या आय समर्थन तक पहुँच प्रदान कर उन्हें सशक्त बना सकते हैं।

नोट :

- भारतीय रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट में पाया गया कि ऋण माफी से ऋण बोझ से राहत मिली और संकटग्रस्त किसानों की साख क्षमता में सुधार हुआ है।

- **फ्रीबीज़ की हानियाँ:**
  - 'डिपेंडेंसी सिंड्रोम': फ्रीबीज़ प्राप्तकर्ताओं के बीच निर्भरता और पात्रता के एक नकारात्मक पैटर्न का निर्माण कर सकते हैं, जिससे यह भविष्य में और अधिक फ्रीबीज़ की उम्मीद कर सकते हैं और कठिन श्रम करने या करों का भुगतान करने के लिये कम प्रेरित हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, 1 रुपए प्रति किलो चावल या शून्य लागत पर बिजली जैसे फ्रीबीज़ लाभार्थियों की ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेही की भावना को कम कर सकते हैं और उन्हें बाह्य सहायता पर निर्भर बना सकते हैं।
    - 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के एक सर्वेक्षण से पता चला कि तमिलनाडु में 41% मतदाताओं ने मतदान के लिये फ्रीबीज़ को एक महत्त्वपूर्ण कारक माना, जबकि 59% ने कहा कि वे राज्य सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।
  - राजकोषीय बोझ: फ्रीबीज़ के राज्य या देश के राजकोषीय स्वास्थ्य एवं मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता के लिये प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इससे सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, घाटे, ऋण और मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिये कृषि ऋण माफी, बेरोज़गारी भत्ते या पेंशन योजनाओं जैसे फ्रीबीज़ सरकार के बजटीय संसाधनों और राजकोषीय अनुशासन पर दबाव बढ़ा सकते हैं तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश करने या अपने दायित्वों की पूर्ति करने की इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
    - RBI की एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिये पेंशन योजनाओं जैसे फ्रीबीज़ ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिये राजकोषीय जोखिम उत्पन्न किया है, क्योंकि इन्होंने वृद्ध होती आबादी के साथ बढ़ती पेंशन देनदारी को निहित किया।
  - संसाधनों का गलत आवंटन: फ्रीबीज़ अवसंरचना, कृषि, उद्योग जैसे अधिक उत्पादक एवं आवश्यक क्षेत्रों से धन को दूसरी ओर मोड़कर व्यय प्राथमिकताओं और संसाधनों के आवंटन को विकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिये मोबाइल फोन, लैपटॉप या एयर कंडीशनर जैसे फ्रीबीज़ पर सार्वजनिक व्यय का बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है जिससे सड़कों, पुलों, सिंचाई प्रणालियों या बिजली संयंत्रों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के लिये निवेश कम हो सकता है।
    - नीति आयोग की एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल अवसंरचना, शिक्षक गुणवत्ता या अधिगम प्रतिफल में सुधार लाने जैसी अधिक आवश्यकताओं के इतर लैपटॉप प्रदान करने जैसे फ्रीबीज़ की ओर धन को खर्च करने की आलोचना की गई है।
  - गुणवत्ता से समझौता: फ्रीबीज़ नवाचार एवं सुधार के लिये प्रोत्साहन को कम करके मुफ़्त में दी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिये साइकिल या लैपटॉप जैसे फ्रीबीज़, बाज़ार में उपलब्ध या अन्य देशों द्वारा उत्पादित इन उत्पादों की तुलना में घटिया गुणवत्ता या पुरानी तकनीक के हो सकते हैं।
    - 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग' की एक रिपोर्ट ने मूल्यांकन किया कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त लैपटॉप जैसे फ्रीबीज़ पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी एवं सॉफ़्टवेयर पर आधारित थे, जो उनकी कार्यक्षमता एवं प्रदर्शन को सीमित करते थे।
  - पर्यावरण पर प्रभाव: फ्रीबीज़ द्वारा जल, बिजली या ईंधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग एवं अपव्यय को प्रोत्साहित करने के रूप में पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिये मुफ़्त बिजली, पानी या मुफ़्त गैस सिलेंडर जैसे फ्रीबीज़, इनके संरक्षण एवं कुशल उपयोग के लिये प्रोत्साहन को कम कर सकते हैं और इस तरह कार्बन फुटप्रिंट एवं प्रदूषण के स्तर को बढ़ा सकते हैं।
    - कैग (CAG) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में किसानों के लिये मुफ़्त बिजली के कारण बिजली के अत्यधिक उपयोग के साथ इसकी दक्षता प्रभावित हुई।

आगे की राह:

- **कल्याण कार्य और फ्रीबीज़ के बीच अंतर रखना:** फ्रीबीज़ को आर्थिक नजरिये से और करदाताओं के पैसे से संबद्धता के संदर्भ में देखा जाना चाहिये।
  - सब्सिडी और फ्रीबीज़ के बीच अंतर रखना भी आवश्यक है। सब्सिडी उचित हैं और विशिष्ट मांगों की पूर्ति के लिये विशेष रूप से लक्षित लाभ हैं जबकि फ्रीबीज़ मुख्यत: लोकलुभावनवाद की पुष्टि करते हैं।
- **निधियों का स्पष्ट औचित्य प्रदर्शित करना:** राजनीतिक दलों को फ्रीबीज़ की घोषणा करने से पहले मतदाताओं और ECI के समक्ष उनके वित्तपोषण एवं ट्रेड-ऑफ के बारे में बताना चाहिये।

नोट :

इसमें राजस्व के स्रोतों को निर्दिष्ट करना, राजकोषीय संतुलन पर प्रभाव, सार्वजनिक व्यय की अवसर लागत और फ्रीबीज़ की संवहनीयता के बारे में स्पष्टीकरण शामिल होना चाहिये।

- **भारत निर्वाचन आयोग को सशक्त करना:** चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज़ की घोषणा एवं कार्यान्वयन को विनियमित करने और इनकी निगरानी करने के लिये ECI को सशक्त किया जाना चाहिये। इसमें ECI को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने, जुर्माना लगाने या आदर्श आचार संहिता या फ्रीबीज़ पर न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिये अवमानना कार्रवाई करने की वृहत शक्तियाँ प्रदान करना शामिल होगा।
- **मतदाता जागरूकता:** लोकतंत्र में फ्रीबीज़ के प्रसार की अनुमति देने या इसे रोकने की शक्ति अंततः मतदाताओं के पास है। मतदाताओं को फ्रीबीज़ के आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें राजनीतिक दलों से प्रदर्शन एवं जवाबदेही की मांग करने के लिये प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मतदाताओं को तर्कसंगत एवं नैतिक विकल्प चुनने हेतु सूचना-संपन्न और सशक्त करने में जागरूकता अभियान, मतदाता साक्षरता कार्यक्रम, नागरिक समाज पहल और मीडिया मंचों की उल्लेखनीय भूमिका होगी।
- **न्यायिक हस्तक्षेप:** फ्रीबीज़ पर संसद में रचनात्मक बहस एवं चर्चा कठिन है क्योंकि फ्रीबीज़ संस्कृति का हर राजनीतिक दल पर प्रभाव है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इस परिदृश्य में विभिन्न उपायों का प्रस्ताव करने के लिये न्यायापालिका की संलग्नता आवश्यक है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने फ्रीबीज़ के मुद्दे और अर्थव्यवस्था एवं लोकतंत्र पर उनके प्रभाव पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया है। इस समिति में नीति आयोग, वित्त आयोग, RBI के सदस्य और अन्य हितधारक शामिल होंगे। यह समिति चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज़ की पेशकश को नियंत्रित करने के बारे में सुझाव देगी।
- **समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** इससे गरीबी एवं असमानता के मूल कारणों को हल किया जा सकेगा जो लोगों को फ्रीबीज़ के प्रति भेद्य या संवेदनशील बनाते हैं। समावेशी विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिये अधिक अनुकूल वातावरण का भी निर्माण करेगा, जो दीर्घावधि में समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा। इस प्रकार समावेशी विकास फ्रीबीज़ का अधिक प्रभावी एवं वांछनीय विकल्प हो सकता है।
  - इसे इस उद्धरण के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है- ''किसी आदमी को एक मछली दो तो तुम एक दिन के लिये उसका पेट भरोगे लेकिन अगर किसी आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो तो तुम जीवन भर के लिये उसके पेट भरने का उपाय कर दोगे।'' ("Give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime.")

मेगा फूड स्टोरेज योजना: चुनौतियाँ और आगे की राह

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए परिव्यय वाली ''सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज योजना/अनाज भंडारण योजना'' को मंज़ूरी प्रदान की है। प्रखंड स्तर पर अतिरिक्त विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण का सृजन करने का नवीनतम निर्णय कृषि क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

नई पहल कृषि कानूनों के दो सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने पर केंद्रित है—पहला, बाज़ार अवसंरचना को सुदृढ़/विस्तारित करना और दूसरा, किसानों के लिये लाभकारी मूल्य (remunerative prices) सुनिश्चित करना।

हज़ारों टन अनाज को बाज़ार यार्ड में भीगते हुए और खराब होते हुए देखना दुर्भाग्यजन स्थिति है। बाज़ार यार्ड अपने परिसर में कृषि उपज को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं। ये समस्याएँ उन अनाजों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं जिनकी हाल में कटाई की गई है और उन फसलों को भी प्रभावित करती हैं जिनकी कटाई होने वाली है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान होता है। कटाई उपरांत होने वाले नुकसान (post-harvest losses) को कम करना नई भंडारण अवसंरचना का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये।

मेगा फूड स्टोरेज योजना:

- यह सहकारी क्षेत्र (cooperative sector) में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में 70 मिलियन टन की वृद्धि करेगी।
  - यह सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना होगी।
- यह योजना सहकारी समितियों को देश भर में विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाएँ स्थापित करने का अवसर देगी जो भारतीय खाद्य निगम (FCI) पर बोझ कम करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने और किसानों को उनकी बिक्री की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी।

नोट :

- इस योजना में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं का अभिसरण होगा और इन योजनाओं के तहत उपलब्ध धन का उपयोग किया जाएगा।

नवीन भंडारण योजना की प्रमुख बातें:

- **योजनाओं का अभिसरण:** नवीन योजना भारत में कृषि भंडारण अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिये तीन मंत्रालयों की आठ कार्यान्वित योजनाओं का अभिसरण करने का लक्ष्य रखती है।
- **अंतर-मंत्रालयी समिति:** अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये एक अंतर-मंत्रालयी समिति (Inter-Ministerial Committee- IMC) का गठन किया जाएगा।
  - इस समिति की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री करेंगे और इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों के साथ ही विभिन्न संबंधित सचिव शामिल होंगे।
- **सहकारी समितियों को सशक्त करना:** सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों की शक्ति का लाभ उठाने और उन्हें सफल व्यावसायिक उद्यमों में बदलने के लिये अनाज भंडारण योजना विकसित की है। यह ''सहकार-से-समृद्धि'' (Cooperation for Prosperity) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- **PACS के स्तर पर कृषि-अवसंरचना का निर्माण:** यह योजना प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies- PACS) के स्तर पर कृषि-अवसंरचना (गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों सहित) के निर्माण पर लक्षित है।
  - इस विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य PACS की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाना और भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान करना है।
- **पायलट परियोजना:** सहकारिता मंत्रालय कम से कम 10 चयनित ज़िलों में अनाज भंडारण योजना की कार्यान्वयन रणनीतियों का परीक्षण एवं परिशोधन करने और इसके परिणामों का आकलन करने के लिये एक पायलट परियोजना लागू करेगा।

इस योजना के लाभ कैसे प्राप्त होंगे ?

- स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता का निर्माण कर (जिससे खाद्यान्नों की बर्बादी और उन्हें खराब होने से रोका जा सकेगा) कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करना।
- किसानों के लिये विभिन्न विकल्प—जैसे कि राज्य एजेंसियों या FCI को अपनी उपज की बिक्री करना, गोदामों में अपनी उपज का भंडारण करना या साझा इकाइयों में अपनी उपज का प्रसंस्करण करना, उपलब्ध कर संकटपूर्ण बिक्री (distress sale) पर अंकुश लगाना।
- PACS को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने, जैसे कि उचित मूल्य की दुकानों के रूप में सेवा देने, कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने आदि के लिये सक्षम बनाकर आय में वृद्धि करना।
- उपभोक्ताओं, विशेष रूप से गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता एवं पहुँच में वृद्धि कर खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाना।
- खरीद केंद्रों से गोदामों तक और गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्नों की आवाजाही को न्यूनतम कर परिवहन लागत को कम करना।

कटाई उपरांत होने वाला नुकसान (Post Harvest losses):

- कटाई उपरांत होने वाले नुकसान किसी उत्पाद के मापनीय मात्रात्मक एवं गुणात्मक नुकसान हैं जो फसल कटाई और मानव उपभोग के बीच घटित होते हैं।
- ये नुकसान उत्पाद के विभिन्न पहलुओं जैसे कि इसकी मात्रा, गुणवत्ता, पोषण मूल्य और विपणन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

कटाई उपरांत होने वाले नुकसान के आँकड़े:

- कटाई उपरांत होने वाले औसत नुकसान निम्नलिखित सीमा के बीच होते हैं:
  - प्रमुख अनाज फसलों के लिये 10-16%
  - गेहूँ के मामले में 26%
  - फलों और सब्जियों के मामले में 34%।
- इन नुकसानों का आर्थिक मूल्य वर्ष 2014 में 926.51 बिलियन रुपए (15.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आकलित किया गया।

कटाई उपरांत होने वाले नुकसान के कारण:

- **अवसंरचना की कमी:** इष्टतम भंडारण क्षमता और कोल्ड चेन अवसंरचना के अभाव में गुणवत्ता में गिरावट आती है। आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों की कमी के परिणामस्वरूप एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की स्थिति बनती है और उत्पादों की खराब होने की अवधि (shelf life) कम हो जाती है।

नोट :

- **हैंडलिंग और पैकेजिंग संबंधी त्रुटियाँ:** हैंडलिंग और अनुपयुक्त पैकेजिंग से जैविक एवं अजैविक जोखिम उत्पन्न होता है। इसके अलावा अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना के कारण पारगमन में देरी और यांत्रिक क्षति की स्थिति बनती है।
- **बाज़ार से संपर्कहीनता:** सीमित बाज़ार पहुँच और कीमतों में उतार-चढ़ाव, कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को बढ़ाते हैं।
- **कीट और रोग का प्रकोप:** अपर्याप्त कीट और रोग प्रबंधन के कारण फसल बर्बादी और संदूषण की स्थिति बनती है।
- **वित्तीय बाधाएँ:** अपर्याप्त संसाधनों के साथ ऋण तक सीमित पहुँच, बेहतर सुविधाओं तथा प्रौद्योगिकियों में निवेश में बाधा उत्पन्न करती है।

कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय:

- उपयुक्त उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हुए फसल की परिपक्वता का आकलन करना और उपयुक्त अवस्था में फसल की कटाई करना।
- जल की गुणवत्ता एवं तापमान की जाँच करना और धुलाई एवं सफाई के दौरान संदूषण या क्षति से बचना।
- उपज बिक्री में देरी को कम करने के लिये कुशल आपूर्ति शृंखला स्थापित कर, उपयुक्त खरीदारों से संपर्क और उचित मूल्य निर्धारण तंत्र को बढ़ावा देकर किसानों के लिये बाज़ार पहुँच में सुधार करना।
- हर्मेटिक या एयर-टाइट कंटेनरों जैसे उचित भंडारण विधियों का उपयोग करना जो उपज को कीड़ों, कृंतकों, मोल्ड और नमी से खराब होने से रोक सकते हैं।
- प्राप्त उपज के लिये गुणवत्ता मानकों एवं प्रमाणीकरण को कार्यान्वित करना ताकि उचित रखरखाव, भंडारण एवं प्रसंस्करण का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- सड़क नेटवर्क एवं लॉजिस्टिक्स सहित परिवहन अवसंरचना का उन्नयन करना और पारगमन के दौरान देरी एवं क्षति को कम करने के लिये प्रशीतित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना।

इस योजना से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

- **FPOs से संघर्ष:** किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisation-FPOs) को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों की व्यापक रूप से चिह्नित सीमितताओं को हल करना है और यह देश के सभी प्रखंडों को कवर करने पर लक्षित है। FPOs उपज के कटाई उपरांत प्रबंधन से भी संलग्न होते हैं जो फिर कृषि सहकारी समितियों के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
- **कृषि सहकारी समितियों में सक्षमता की कमी:** कृषि सहकारी समितियाँ पर्याप्त सक्षम नहीं हैं लेकिन उन्हें वित्तीय उत्तरदायित्व और भंडारण अवसंरचना का कार्यान्वयन सौंप दिया गया है।
  - कृषि सहकारी समितियों से संबद्ध समस्याओं में अभिजात वर्ग का नियंत्रण, नौकरशाही/राजनीतिक हस्तक्षेप, खराब विपणन आदि शामिल हैं।
  - नतीजतन, लघु और सीमांत किसान प्रतिस्पर्द्धी बाज़ारों तक पहुँच बनाने और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने से बंचित रह जाते हैं।
- **अवसंरचना प्रबंधन और रखरखाव:** अवसंरचना का निर्माण आसान है लेकिन इसे प्रबंधित करना और इसका रखरखाव एक बड़ी चुनौती है। भारत अवसंरचना के रखरखाव के संबंध में अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखता, चाहे वह FCI भंडारण हो या पेयजल और सिंचाई से संबंधित प्रणालियाँ। पूंजीगत रखरखाव व्यय (Capital maintenance expenditure-Capex) को शायद ही कभी वार्षिक बजट में शामिल किया जाता है।
  - इसके अलावा, भारत के पास अपनी वार्षिक खराब होने योग्य उपज के मात्र आठवें भाग के भंडारण की ही क्षमता है।
- **खाद्य गुणवत्ता प्रबंधन:** पोषण सुरक्षा के लिये खाद्य की गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। परंपरागत तकनीकों (FCI गोदामों) के साथ निम्न गुणवत्ता की भंडारण अवसंरचना और भंडारण की लंबी अवधि के कारण, PDS के तहत प्राय: निम्न गुणवत्ता के अनाजों का वितरण होता है।

संभावित समाधान:

- **PPP या FPOs के माध्यम से कार्यान्वयन:** खाद्य भंडारण पहल बेहतर तरीके से काम कर पाती यदि इसे FPOs की तर्ज पर निजी-सार्वजनिक-भागीदारी (PPP) पहल के तहत लागू किया जाता। यहाँ तक कि इसे FPOs के अंतर्गत लाना भी बेहतर विकल्प साबित होता।
- **मौजूदा भंडारण का आधुनिकीकरण:** मौजूदा भंडारण अवसंरचना को आधुनिक बनाना प्राथमिकता होनी चाहिये। यह कदम अनाज तक ही सीमित नहीं हो बल्कि खराब होने वाली अन्य वस्तुओं (फल, सब्जियाँ, दूध, माँस, मछली आदि) के लिये भी भंडारण अवसंरचना का निर्माण किया जाना चाहिये।
- **बागवानी फसलों की अनदेखी न करना:** बागवानी फसलों के बढ़ते उत्पादन के कारण पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकता है।

नोट :

- प्रति वर्ष बर्बाद होने वाले खाद्य (कृषि उपज, बागवानी उपज, दूध, माँस, मछली आदि) का मूल्य 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

- **खराब होने योग्य खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना:** खराब होने योग्य खाद्य पदार्थों के मामले में प्रसंस्करण से खाद्य की आयु तो बढ़ सकती है लेकिन इसके पोषण मूल्य में कमी आ सकती है। इस परिदृश्य में उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिये आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है।

एनसीईआरटी युक्तिकरण: भ्रम/संदेह का स्पष्टीकरण

हाल ही में ऐसी चिंताजनक खबरें प्रसारित हुईं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training-NCERT) द्वारा विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से प्रमुख अवधारणाओं और खंडों को (उल्लेखनीय रूप से विकासवाद के सिद्धांत और आवर्त सारणी को) हटा दिया गया है।

आम संदेहकर्ताओ के लिये यह एक अवसर बना क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत में धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच के अंत होने का प्रसार किया। इस ओर वैश्विक स्तर पर भी ध्यान गया और अल-जज़ीरा, डॉयचे वेले तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर' आदि ने इस पर टिप्पणी की।

इस मामले में सोशल मीडिया पर असत्यापित सूचना का प्रसार होना एक चिंताजनक बात थी, जिसे मुख्यधारा की मीडिया द्वारा और प्रसारित किया गया। एक समाचार माध्यम से दूसरे समाचार माध्यम तक इसका विस्तार होने से दुष्प्रचार और भ्रम का प्रसार हुआ।

इससे न केवल एनसीईआरटी की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी संदेह उत्पन्न हुआ। देश की शिक्षा प्रणाली की नकारात्मक छवि को दूर करने के लिये सरकार पहले से ही प्रयासरत है। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत पूर्ण नहीं है — इसे चुनौती दी जा सकती है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत (Theory of Eevolution) को प्रश्नगत करने वाले नवीनतम विमर्शों को भी पाठ्यक्रम का अंग बनाये जाने की आवश्यकता है।

पाठ्यक्रम युक्तिकरण के लिये मानदंड:

एनसीईआरटी को सभी कक्षाओं और विषयों की पाठ्यपुस्तकों के युक्तिकरण (rationalisation) का कार्य सौंपा गया था। इस प्रक्रिया में पाँच व्यापक मानदंडों पर विचार किया गया:

- एक ही कक्षा के लिये विभिन्न विषयों में समान पाठ्य सामग्री की ओवरलैपिंग
- निम्न कक्षा या उच्च कक्षा में समान पाठ्य सामग्री
- जटिलता का स्तर
- आसानी से उपलब्ध सामग्री जहाँ शिक्षकों की ओर से अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं हो और इसे स्वाध्याय या सहपाठी-अधिगम (peer-learning) के माध्यम से सीखा जा सकता हो।
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री

युक्तिकरण से संबंधित तर्क:

पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन करना एनसीईआरटी द्वारा क्रियान्वित एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि ये परिवर्तन यादृच्छिक नहीं होते हैं। ये परिवर्तन विशिष्ट संदर्भों में किये जाते हैं:

- **बदलती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये:** कुछ परिवर्तन बदलती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये किये गए – इनमें सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से संबंधित सामग्री का समावेश शामिल है।
- **नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना:** देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया जाता है। इस मामले में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP), 2020 ने पथ-प्रदर्शन किया जहाँ "पाठ्य सामग्री के भार को कम करने और रचनात्मक मानसिकता के साथ अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है।"
- **महामारी का प्रभाव:** महामारी के दौरान शिक्षण समय का नुकसान होने के परिणामस्वरूप अधिगम/लर्निंग की हानि हुई और छात्रों पर भार बढ़ गया। शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस बारे में भी चिंता व्यक्त की गई थी।
  - इस परिदृश्य में "अधिगम निरंतरता में तेज़ी से सुधार और छात्रों के समय के नुकसान की भरपाई" को सुगम बनाने के लिये युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

आलोचकों द्वारा व्यक्त प्रमुख चिंताएँ:

- इसमें आरोप लगाया गया है कि पाठ्य सामग्री में बदलाव की कवायद राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य भारत के इतिहास, संस्कृति एवं विविधता के ऐसे कुछ पहलुओं को मिटाना या विकृत करना है जो शासन की विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं।
- इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रगतिशील ध्येय से विसंगत बताया गया है जहाँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बहु-विषयक अधिगम एवं विविधता के प्रति सम्मान पर बल दिया गया है।

नोट :

- इसमें कहा गया है कि युक्तिकरण में पारदर्शिता की कमी है और शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविदों एवं नागरिक समाज समूहों जैसे हितधारकों के साथ परामर्श नहीं किया गया है।
- इसको कोविड-19 महामारी के कारण हुई अधिगम की हानि को दूर करने के संबंध में अनावश्यक एवं अप्रभावी बताया गया है और कहा गया है कि इसे हल करने के लिये वस्तुत: कक्षा-स्तरीय हस्तक्षेप और शिक्षकों के सशक्तीकरण की आवश्यकता है।
- इसमें कहा गया है कि युक्तिकरण से पाठ्यक्रम की व्यापकता एवं गहनता के बारे में भी चिंता उत्पन्न हुई है क्योंकि आवर्त सारणी, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और फाइबर एवं फैब्रिक जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण अध्यायों को हटा दिया गया है।

सरकार का दृष्टिकोण:

- आवर्त सारणी को ''स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से नहीं हटाया गया है'' बल्कि इसे कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक में इकाई 3 में शामिल किया गया है।
- डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक के छठे अध्याय में 'विस्तृत विवरण' के साथ शामिल किया गया है।
- कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक (भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार) में मौलाना आज़ाद के संदर्भ को हटाना, युक्तिकरण की वर्तमान प्रक्रिया का अंग नहीं है।
  - इस संदर्भ को वर्ष 2014-15 से ही हटा दिया गया था।
  - लेकिन फिर भी इसे वृहत विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि पूर्व में भी कई राजनेताओं का उल्लेख पाठ्यपुस्तकों में मौजूद नहीं रहा है।
- जारी बहस में एक और महत्त्वपूर्ण बात छूट गई है कि ये पाठ्य पुस्तकें केवल इस वर्ष के लिये हैं। NEP, 2020 का अनुपालन करने के क्रम में पाठ्य पुस्तकों के सिंक्रनाइज़ेशन के अलावा, पाठ्यपुस्तकों को वर्ष 2005 में गठित पाठ्यपुस्तक विकास समिति (Textbook Development Committee) द्वारा नियमित रूप से संशोधित किया जाना है।
  - इस समिति को वर्ष 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework-NCF) के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।
    - प्रत्येक प्रस्तावित परिवर्तन को पहले पाठ्यपुस्तक समिति को भेजा जाता है जिसे उनका विश्लेषण करने और अनुशंसा करने का कार्य सौंपा गया है।
- आलोचकों का तर्क है कि कुछ मदों को हटाने की बात युक्तिकरण की अधिसूचना में शामिल नहीं थी। लेकिन इसका किसी साजिश से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह पुनर्मुद्रण की नियमित प्रक्रिया का परिचायक है जहाँ अनावश्यक भ्रम से बचने के लिये मामूली परिवर्तन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है।
- इसके अलावा ये कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हैं क्योंकि हितधारकों के सुझावों का ध्यान रखने के लिये पाठ्यपुस्तकों का पुनर्मुद्रण एक जारी प्रक्रिया है जो हर वर्ष होती है।
- परिवर्तन के ये निर्णय विशेषज्ञ पैनल द्वारा लिये गए हैं। पाठ्य पुस्तकों का हालिया युक्तिकरण महामारी के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े बोझ को कम करने के लिये एक आवश्यकता-आधारित अभ्यास है।
  - एनसीईआरटी से संलग्न विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ 25 बाहरी विशेषज्ञों के परामर्श के बाद परिवर्तन के ये निर्णय लिये गए हैं।

युक्तिकरण से संबद्ध पूर्व के कुछ विवाद:

- वर्ष 1978-79 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान इतिहास की पुस्तकों को संशोधित करने पर राजनीतिक स्तर पर विवाद उत्पन्न हुआ था।
- वर्ष 2006 में यूपीए शासनकाल के दौरान भारी विवाद के कारण सिख धर्म संबंधी एक अध्याय को बदलना पड़ा था।
- एक अन्य विवाद वर्ष 2012 में हुआ था जब दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से दो मध्ययुगीन चित्रों को इस आधार पर हटाने की मांग की थी कि इनका समावेशन शरिया कानून का उल्लंघन करता है।

आगे की राह:

- भागीदारीपूर्ण और साक्ष्य-आधारित प्रक्रिया: यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम विकास और संशोधन प्रक्रिया अधिक सहभागितापूर्ण, पारदर्शी एवं साक्ष्य-आधारित हो।
  - इसका अभिप्राय यह है कि एनसीईआरटी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में विशेषज्ञों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को शामिल करना चाहिये तथा किसी भी बदलाव या विलोपन के पीछे के तर्क एवं साक्ष्य को सार्वजनिक रूप से साझा करना चाहिये।
- फीडबैक और सुझावों को शामिल करना: एनसीईआरटी को पाठ्य पुस्तकों के उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक एवं सुझावों पर भी विचार करना चाहिये और शिक्षा क्षेत्र में नवीनतम शोध एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आधार पर संशोधन करना चाहिये।

नोट :

- पाठ्येतर गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करना: खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिये। खेलों में भागीदारी से न केवल शारीरिक सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है बल्कि सामाजिक कौशल, टीमवर्क और नेतृत्वकारी गुणों को भी बढ़ावा मिलता है।
  - इससे छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों से इतर भी अपनी रुचियों-अभिरुचियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान होता है।

निष्कर्ष:

परिवर्तनों की तब तक ही सराहना की जानी चाहिये जब तक यह सुदृढ़ तथ्यों एवं साक्ष्य आधारित हों। गलत अफवाह या पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के अभाव से ऐसी प्रक्रियाएँ कमज़ोर होती हैं। इस संदर्भ में कोई भी विवाद या बहस करने से पहले संदर्भ और तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। दुष्प्रचार के खतरों के बारे में सीखना, स्वयं में एक शिक्षा है।

बाल श्रम में वृद्धि

कोविड-19 महामारी से विश्व काफी प्रभावित हुआ है और स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न कमियाँ उजागर हुई हैं। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहा है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार WHO ने भारत में लगभग 5,31,843 मौतों का आँकड़ा लगाया है।

समाज के हाशिये पर स्थित वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिये इस महामारी का प्रभाव अत्यंत गहन और दीर्घावधिक रहा है। पहले से ही कमज़ोर आर्थिक स्थिति में जी रहे परिवार गरीबी के कगार पर पहुँच गए हैं। इन स्थितियों ने सामाजिक असमानताओं की भी वृद्धि की है और महिलाओं एवं बच्चों के लिये दुर्व्यवहार, हिंसा एवं सुरक्षा की कमी का जोखिम उत्पन्न किया है।

यूनिसेफ (UNICEF) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization- ILO) की वर्ष, 2022 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि कोविड ने वैश्विक स्तर पर बच्चों को बाल श्रम के खतरे में डाल दिया है, इसलिये वर्ष 2022 के अंत तक बाल श्रम के मामलों में 8.9 मिलियन तक की वृद्धि हो सकती है। अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने लोगों को बेरोज़गारी की ओर धकेल दिया है जिससे गरीबी में वृद्धि हुई है।

भारत में बाल श्रम से संबंधित आँकड़े:

- जनगणना 2011 के अंतिम उपलब्ध आँकड़े के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक मौजूद थे।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत लगभग 982 मामले दर्ज किये गए, जिनमें सबसे अधिक मामले तेलंगाना में दर्ज हुए और इसके बाद असम का स्थान रहा।
- भारत में प्रवासी बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव पर 'Aide et Action' के अध्ययन से पता चलता है कि COVID-19 महामारी की पहली लहर के बाद ईंट निर्माण उद्योग में अपने कार्यशील माता-पिता के साथ शामिल होने वाले बच्चों की संख्या में दोगुना वृद्धि हुई है।
- 'Campaign Against Child Labour' (CACL) के एक अध्ययन के अनुसार 818 बच्चों के बीच किये गए सर्वेक्षण में कार्यशील बच्चों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (28.2% से बढ़कर 79.6%), जिसका मुख्य कारण था COVID-19 महामारी का प्रकोप और विद्यालयों का बंद होना।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 के प्रभावों के कारण बाल श्रम से संलग्न बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है और लाखों अन्य बच्चे इसके जोखिम में हैं।
- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भारत में बाल श्रम के सबसे बड़े नियोक्ता राज्य हैं।

भारत में बाल श्रम के प्रमुख कारण:

- **गरीबी:** कई परिवार जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का वहन करने में असमर्थ होते हैं और अपने बच्चों को स्कूल के बजाय काम करने के लिये भेजते हैं। गरीबी कुछ बच्चों को बंधुआ मज़दूर के रूप में काम करने या काम की तलाश में अन्य स्थानों की ओर पलायन करने के लिये भी मजबूर करती है।
- **सामाजिक मानदंड:** कुछ समुदायों और परिवारों में अपने बच्चों को कृषि, कालीन बुनाई या घरेलू सेवा जैसे कुछ व्यवसायों में संलिप्त करने की परंपरा पाई जाती है। कुछ समुदाय या परिवार बालिकाओं के लिये शिक्षा को महत्त्वपूर्ण या उपयुक्त नहीं मानते हैं।
- **वयस्कों और किशोरों के लिये अच्छे कार्य अवसरों की कमी:** उच्च बेरोज़गारी दर और कम मज़दूरी के कारण कई वयस्क और युवा लोग सभ्य एवं सम्मानजनक कार्य अवसर पाने में असमर्थ होते हैं। यह उन्हें अनौपचारिक एवं खतरनाक कार्यों से संलग्न होने या अपने बच्चों को श्रम में धकेलने के लिये प्रेरित करता है।

नोट :

- **कमज़ोर स्कूल अवसंरचना:** भारत में कई स्कूलों में पर्याप्त सुविधाओं, शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव पाया जाता है। कुछ स्कूल शुल्क या अन्य राशि की भी मांग करते हैं जो गरीब परिवारों के लिये अवहनीय होता है। ये कारक माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हतोत्साहित करते हैं या वे उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लेते हैं।
- **आपात स्थितियाँ:** प्राकृतिक आपदाएँ, संघर्ष और महामारी समाज के सामान्य कार्यकलाप को बाधित कर सकती हैं और बच्चों की भेद्यता को बढ़ा सकती हैं। कुछ बच्चे अनाथ हो सकते हैं या घर एवं बुनियादी सेवाओं तक पहुँच से वंचित हो सकते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिये कार्य करने हेतु विवश किया जा सकता है या बाल तस्करों और अन्य अपराधियों द्वारा उनका शोषण किया जा सकता है।

कोविड महामारी ने बाल श्रम की समस्या को किस प्रकार बढ़ा दिया है?

- **जीवन स्तर में गिरावट:** महामारी ने कई परिवारों के लिये आर्थिक असुरक्षा, बेरोज़गारी, गरीबी और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिससे बच्चों को जीवित रहने के लिये काम करने हेतु मजबूर होना पड़ा है।
- **बच्चों का अनाथ होना:** महामारी ने कई लोगों की जान ली, जिससे कई बच्चे अनाथ हो गए। परिणामस्वरूप, इनमें से कुछ बच्चे बाल श्रम में संलग्न होने के लिये विवश हो गए।
- आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार और विदेशी निवेश में व्यवधान ने वयस्कों के लिये श्रम की मांग और आय के अवसरों को कम कर दिया है, जिससे बच्चे शोषण के प्रति अधिक भेद्य हो गए हैं।
- **अनौपचारिकता में वृद्धि:** महामारी ने अनौपचारिक कामगारों की हिस्सेदारी में वृद्धि की है, जिनकी सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य दशा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच की कमी होती है। बच्चों को प्राय: कृषि, घरेलू कार्य, स्ट्रीट वेंडिंग, खनन और निर्माण जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में नियोजित किया जाता है।
- **प्रवासन:** महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों और व्यवधानों के परिणामस्वरूप आंतरिक और सीमा-पार, दोनों तरह के प्रवासन में वृद्धि संभावित है। प्रवासी बच्चे, विशेष रूप से वे बच्चे जो अकेले हैं या अपने परिवारों से अलग हैं, शोषण और बलात श्रम के लिये अतिसंवेदनशील होते हैं।
- **स्कूलों का अस्थायी रूप से बंद होना:** महामारी ने लाखों बच्चों की शिक्षा को बाधित किया है, विशेष रूप से उन बच्चों के लिये जिनकी ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच नहीं है या जो बिजली, उपकरणों या इंटरनेट की कमी जैसी बाधाओं का सामना करते है। स्कूलों के बंद होने से स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट), अल्पायु विवाह, किशोर गर्भधारण और बाल श्रम का खतरा बढ़ गया है।

बाल श्रम का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- **मानव पूंजी संचय में कमी:** बाल श्रम बच्चों की कौशल और ज्ञान संचय करने की क्षमता को कम करता है, जिससे उनकी भविष्य की उत्पादकता और आय प्रभावित होती है।
- **गरीबी और बाल श्रम की निरंतरता:** बाल श्रम अकुशल कार्य के लिये मज़दूरी को कम करता है, निर्धनता चक्र में योगदान देता है और बाल श्रम को बनाए रखता है।
- **तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास में बाधा:** बाल श्रम तकनीकी प्रगति और नवाचार को बाधित करता है; इस प्रकार यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास और प्रगति को मंद करता है।
- **अधिकारों और अवसरों का अभाव:** बाल श्रम बच्चों को उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भागीदारी के अधिकारों से वंचित करता है, जिससे उनके भविष्य के अवसर और सामाजिक गतिशीलता सीमित हो जाती है।
- **कमज़ोर सामाजिक विकास और सामंजस्य:** बाल श्रम देश के भीतर सामाजिक विकास और सामंजस्य को कमज़ोर करता है, जो स्थिरता और लोकतंत्र को प्रभावित करता है।
- **नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव:** बाल श्रम बच्चों के लिये विभिन्न खतरों, शारीरिक चोटों, बीमारियों, दुर्व्यवहार और शोषण का जोखिम उत्पन्न करता है, जिससे उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बाल श्रम को रोकने के लिये सरकार की प्रमुख पहलें

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009):** इसने संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया है जो शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के मूल अधिकार के रूप में मान्यता देता है और 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है।
- **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम (1986):** यह अधिनियम खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है।
- **कारखाना अधिनियम (1948):** यह किसी भी खतरनाक कार्य में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है और केवल गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति रखने वाले किशोरों (14 से 18 वर्ष) के लिये कार्य घंटों एवं दशाओं को नियंत्रित करता है।

नोट :

- **राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (1987):** इसका उद्देश्य बाल श्रम पर प्रतिबंध एवं विनियमन के माध्यम से बाल श्रम का उन्मूलन करना, बच्चों एवं उनके परिवारों के लिये कल्याण एवं विकास कार्यक्रम प्रदान करना और कार्यशील बच्चों के लिये शिक्षा एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
  - राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP): यह बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को गैर-औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने तथा फिर उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल करते हुए मुख्यधारा में लाने पर केंद्रित है।
- **'पेंसिल पोर्टल' (Pencil Portal):** इस मंच का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बाल श्रम का उन्मूलन करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ज़िला प्रशासन, नागरिक समाज और आम लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। इसे श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **ILO के अभिसमयों का अनुसमर्थन करना:** भारत ने वर्ष 2017 में बाल श्रम पर ILO के दो प्रमुख अभिसमयों (conventions) की पुष्टि की है।
  - 'द मिनिमम एज कन्वेंशन' (1973) – संख्या 138: यह अभिसमय राज्य पक्षकारों के लिये अनिवार्य बनाता है कि वे एक न्यूनतम आयु निर्धारित करे जिसके अंदर किसी को किसी भी व्यवसाय में नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह न्यूनतम आयु, अनिवार्य स्कूली शिक्षा पूरी करने की आयु से कम नहीं होनी चाहिये और किसी भी स्थिति में 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। हालाँकि विकासशील देश आरंभ में 14 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्दिष्ट कर सकते हैं।
  - 'द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन' (1999) – संख्या 182: यह अभिसमय दासता, बलात श्रम एवं तस्करी सहित बाल श्रम के सबसे जघन्य रूपों; सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के उपयोग; वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी एवं अवैध गतिविधियों (जैसे मादक पदार्थों की तस्करी) के लिये बच्चे के उपयोग; और खतरनाक कार्यों में बच्चों की संलग्नता (जहाँ बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुँचने की संभावना हो), के निषेध और उन्मूलन का आह्वान करता है।

इस समस्या के समाधान के लिये आगे की राह:

- **कानूनी ढाँचे और इसके प्रवर्तन को सशक्त करना:** सरकार को बाल श्रम को प्रतिबंधित एवं विनियमित करने वाले कानूनों को, अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं अभिसमयों के अनुरूप, अधिनियमित एवं संशोधित करना चाहिये।
  - सरकार को पर्याप्त संसाधन आवंटन, क्षमता, समन्वय, डेटा, जवाबदेही और राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि कानूनों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित एवं प्रवर्तित किया जाए।
  - श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिये प्रदत्त दंड, गंभीर और सुसंगत होना चाहिये।
- **सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना:** सरकार को गरीब और कमज़ोर परिवारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिये ताकि उन्हें बाल श्रम का विवशतापूर्ण सहारा लेने से रोका जा सके ।
  - इसमें नियमित नकद हस्तांतरण, सब्सिडी, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, खाद्य सुरक्षा जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
  - गरीब परिवारों की ऋण, बचत, सूक्ष्म वित्त और अन्य आजीविका अवसरों तक पहुँच को भी सुगम बनाना चाहिये।
- **सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना:** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुरूप सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो।
  - इसे पर्याप्त अवसंरचना, शिक्षक, पाठ्यक्रम, सामग्री, छात्रवृत्ति आदि प्रदान कर शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता, सुरक्षा एवं समावेशिता में भी सुधार का प्रयास करना चाहिये।
  - सरकार को स्कूल में नामांकन नहीं कराने वाले या स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये और उन्हें ब्रिज एजुकेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण या वैकल्पिक लर्निंग अवसर प्रदान करना चाहिये।
- **जागरूकता बढ़ाना:** सरकार को नागरिक समाज संगठनों, मीडिया, निगमों और नागरिकों के सहयोग से बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों तथा बाल अधिकारों के महत्त्व के बारे में जागरूकता का प्रसार करना चाहिये।
  - विभिन्न मंचों, अभियानों, नेटवर्क, गठबंधनों आदि का निर्माण कर बाल श्रम के विरुद्ध पहल हेतु कार्रवाई करनी चाहिये।
  - जागरूकता के प्रसार के लिये पंचायतों की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है।
- **आपात स्थितियों और संकटों पर प्रतिक्रिया:** सरकार को संघर्ष, आपदाओं, महामारी या आर्थिक असंतुलन जैसी आपात स्थितियों एवं संकटों पर (जो बाल श्रम के जोखिम को बढ़ा सकते हैं) प्रतिक्रिया एवं कार्रवाई के लिये तैयार रहना चाहिये।

नोट :

- प्रभावित बच्चों और परिवारों को मानवीय सहायता एवं सुरक्षा (जैसे कि खाद्य, जल, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, मनोसामाजिक समर्थन आदि) प्रदान करनी चाहिये।
- संकट के दौरान और उसके बाद शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना भी सुनिश्चित करना चाहिये।

गिग इकोनॉमी के सामाजिक सुरक्षा संजाल का परीक्षण

डिजिटल युग में व्यापक डिजिटलीकरण के प्रसार ने गिग इकोनॉमी (Gig Economy) को अभूतपूर्व ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया है, जहाँ वाणिज्यिक परिदृश्य स्थायी रूप से रूपांतरित हो गया है। चूँकि तकनीकी प्रगतियों ने लोगों के जुड़ने, उपभोग करने और सृजन करने के तरीके को व्यापक रूप से बदल दिया है, कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था में रोज़गार के परिदृश्य को व्यापक रूप से संकटपूर्ण बना दिया, जहाँ पारंपरिक उद्योग असंतुलित होने लगे।

इस अराजकता के बीच गिग इकॉनमी का उभार उम्मीद की एक किरण के रूप में हुआ, जो तेज़ी से बदलती दुनिया की उभरती मांगों की पूर्ति करते हुए लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने कौशल एवं प्रतिभा का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है।

हालाँकि जैसे ही कार्य का यह नया युग प्रकट हुआ, संबद्ध गिग वर्कर्स (Gig Workers) के लिये एक अहम मुद्दा भी सामने आया जो उनकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। कार्य करने के इस लचीलेपन और स्वतंत्रता— जिसने असंख्य गिग वर्कर्स को अपनी ओर आकर्षित किया, की एक कीमत भी चुकानी पड़ी जहाँ वे उन पारंपरिक सुरक्षा जालों (safety nets) से काफी हद तक वंचित हो गए जिनके लाभ उनके समकक्ष कामगारों को प्राप्त होते हैं।

जैसे-जैसे गिग इकॉनमी का विकास होता जा रहा है, इससे संबद्ध कामगारों की भलाई सुनिश्चित करने के लिये एक स्थायी समाधान की खोज भी वृहत रूप से व्यक्तियों और समाज दोनों के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय बनती जा रही है।

गिग इकॉनमी और गिग वर्कर:

- **गिग इकॉनमी:** गिग इकॉनमी एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है जिसमें सामान्यत: अस्थायी कार्य अवसर मौजूद होते हैं और विभिन्न संगठन अल्पकालिक संलग्नताओं के लिये स्वतंत्र कामगारों के साथ अनुबंध करते हैं।
- **गिग वर्कर:** वह व्यक्ति जो गिग कार्य व्यवस्था में भाग लेता है या कार्य करता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है।

भारत में गिग इकॉनमी का परिदृश्य:

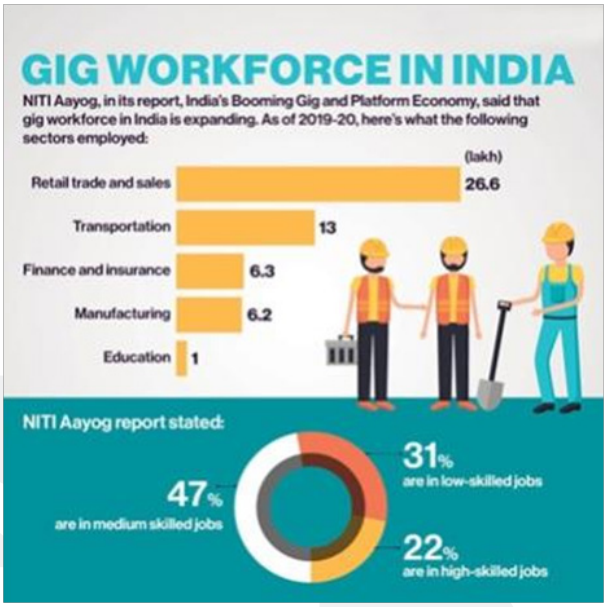

- **विकास परिदृश्य:**
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत फ्लेक्सी स्टाफिंग (flexi staffing) या गिग वर्कर्स के लिये विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में उभरा है।
  - गिग इकॉनमी पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यह लगभग 7.7 मिलियन कामगारों को रोज़गार प्रदान करती है, जिनकी संख्या वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन हो जाएगी। यह देश में कुल आजीविका का लगभग 4% होगा।
  - वर्तमान में गिग वर्क का लगभग 31% भाग निम्न-कुशल नौकरियों से (जैसे कैब ड्राइविंग एवं फूड डिलीवरी), 47% मध्यम-कुशल नौकरियों से (जैसे प्लंबिंग एवं सौंदर्य सेवाएँ) और 22% उच्च-कुशल नौकरियों से (जैसे ग्राफिक डिज़ाइन एवं ट्यूटरिंग) से संबंधित है।
- **सामाजिक सुरक्षा - एक प्रमुख मुद्दा:**
  - अस्पष्ट रोज़गार स्थिति के कारण गिग वर्कर्स प्राय: सामाजिक सुरक्षा और श्रम विधान के दायरे से बाहर हो जाते हैं।
  - सामाजिक सुरक्षा और अन्य बुनियादी श्रम अधिकार (जैसे न्यूनतम वेतन, कार्य घंटे की सीमा आदि) 'नियोजित' या 'कर्मचारी' (employee) होने के दर्जे पर आश्रित होते हैं। गिग वर्कर्स का स्वतंत्र अनुबंधकर्ता होना उन्हें इस तरह के लाभ और कानूनी सुरक्षा पाने से अपवर्जित कर देता है।
- **सरकार की प्रमुख पहलें:**
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social

नोट :

Security), 2020) में 'गिग इकॉनमी' पर एक अलग खंड शामिल है और यह गिग नियोक्ताओं (gig employers) पर दायित्व लागू करती है कि वे सरकार के नेतृत्व वाले एक बोर्ड द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) में योगदान करें।

- वेतन संहिता (Code on Wages), 2019 संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, दोनों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और निम्न वेतन सीमा (floor wage) का उपबंध करती है।

गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना क्यों आवश्यक है?

- **आर्थिक सुरक्षा:** इस क्षेत्र की 'मांग-आधारित' प्रकृति के परिणामस्वरूप रोज़गार सुरक्षा के अभाव की स्थिति बनती है और आय निरंतरता से संबद्ध अनिश्चितता के कारण यह और भी तर्कसंगत है कि उन्हें बेरोज़गारी बीमा, विकलांगता कवरेज और सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रमों जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किये जाएँ।
- **अधिक उत्पादक कार्यबल:** नियोक्ता-प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा और अन्य स्वास्थ्य देखभाल लाभों तक पहुँच का अभाव गिग वर्कर्स को अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के प्रति संवेदनशील बनाता है। उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्राथमिकता देने से एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण हो सकेगा।
- **अवसरों की समता:** पारंपरिक रोज़गार सुरक्षा से अपवर्जन असमानता पैदा करती है, जहाँ गिग वर्कर्स को शोषणकारी कार्य दशाओं और अपर्याप्त मुआवजे का सामना करना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने से एकसमान अवसर का निर्माण होगा।
- **दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा:** नियोक्ता-प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजनाओं के बिना गिग वर्कर्स अपने भविष्य के लिये पर्याप्त बचत कर सकने में अक्षम हो सकते हैं। गिग वर्कर्स को सेवानिवृत्ति के लिये बचत करने में सक्षम बनाने से उनके लिये भविष्य की वित्तीय कठिनाई और सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों पर निर्भर होने का जोखिम कम होगा।

गिग कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **वर्गीकरण:** गिग क्षेत्र की प्रकृति गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान कर सकने को मुश्किल बनाती है। स्वरोज़गार और निर्भर-रोज़गार के बीच की धुंधली सीमाएँ और कई फर्मों के लिये कार्य कर सकने या अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ सकने की स्वतंत्रता, गिग वर्कर्स के प्रति कंपनी दायित्वों की सीमा निर्धारित करना कठिन बना देती है।
- **अतिरिक्त लचीलापन:** गिग इकॉनमी को इसके लचीलेपन के लिये जाना जाता है, जहाँ कामगारों को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि वे कब, कहाँ और कितना कार्य करें। इस लचीलेपन को समायोजित कर सकने और गिग वर्कर्स की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों को डिज़ाइन करना एक जटिल कार्य है।
- **वित्तपोषण और लागत वितरण:** पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान पर निर्भर करती हैं, जहाँ नियोक्ता आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करते हैं। गिग इकॉनमी, जहाँ कर्मचारी प्राय: स्व-नियोजित होते हैं, के लिये एक उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र की पहचान करना जटिल हो जाता है।
- **समन्वय और डेटा साझाकरण:** विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये गिग वर्कर्स के आय अर्जन, योगदान एवं पात्रता का सटीक आकलन करने के लिये गिग प्लेटफॉर्म, सरकारी एजेंसियों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच कुशल डेटा साझाकरण और समन्वयन आवश्यक है। लेकिन चूँकि गिग वर्कर्स प्राय: कई प्लेटफॉर्म या क्लाइंट्स के लिये कार्य करते हैं, जिससे इस संदर्भ में समन्वय करना और उचित कवरेज सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **शिक्षा और जागरूकता:** कई गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में अपने अधिकारों और पात्रता से अनभिज्ञ भी हो सकते हैं। इनकी जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा, पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

नोट :

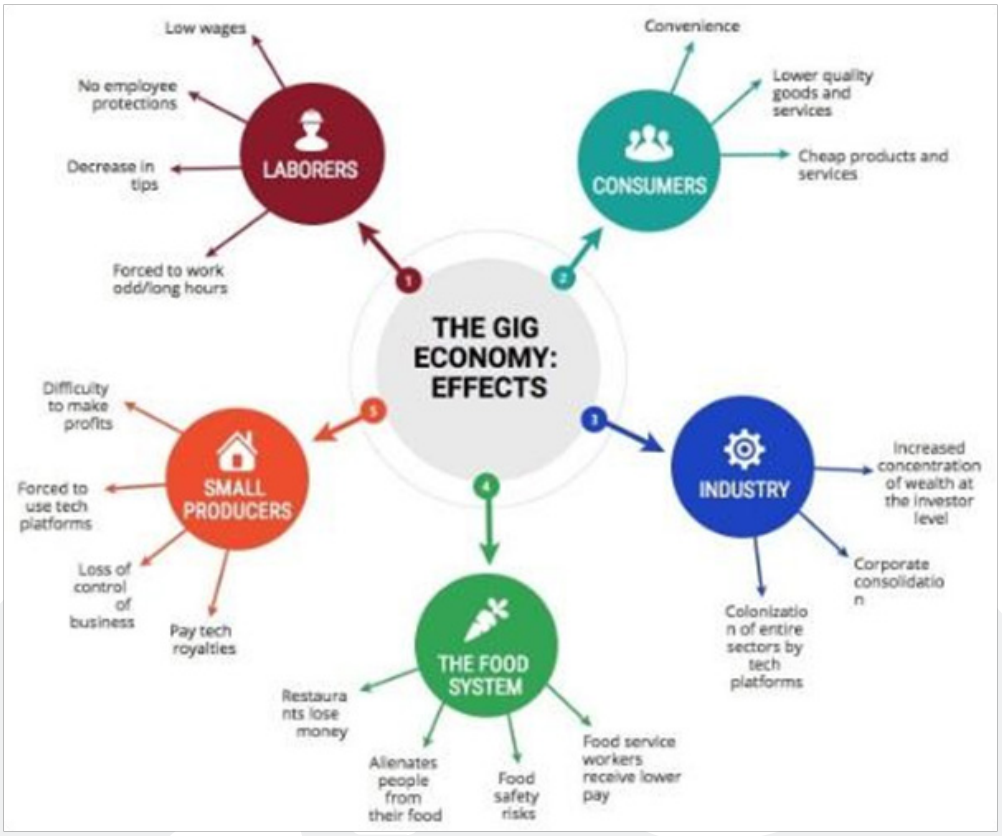

गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उपाय:

- **CSS 2020 को लागू करना:** हालाँकि सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) में गिग वर्कर्स के लिये उपबंध मौजूद हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों द्वारा इस संदर्भ में नियमों को तैयार किया जाना अभी शेष है और बोर्ड की स्थापना के संबंध में भी अधिक कुछ नहीं किया गया है। सरकार को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिये।
  - यू.के. ने गिग वर्कर्स को 'वर्कर्स' (workers) के रूप में वर्गीकृत करके एक मॉडल स्थापित किया है जो नियोजित (employees) और स्व-नियोजित (self-employed) के बीच की एक श्रेणी है। यह वर्गीकरण उनके लिये न्यूनतम वेतन, सवेतन अवकाश, सेवानिवृत्ति लाभ योजना और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षित करता है।
  - इसी प्रकार इंडोनेशिया में गिग वर्कर्स दुर्घटना, स्वास्थ्य और मृत्यु बीमा के पात्र हैं। भारत इन उदाहरणों का अनुकरण कर सकता है।
- **नियोक्ता उत्तरदायित्वों का विस्तार:** गिग वर्कर्स के लिये ठोस समर्थन उन गिग कंपनियों की ओर से होना चाहिये जो इस दक्ष एवं निम्न लागत वाली कार्यव्यवस्था से लाभान्वित होती हैं। जबकि लोकप्रिय चलन यह रहा है कि गिग वर्कर्स को स्व-नियोजित या स्वतंत्र अनुबंधकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाए, व्यवहार्यत: यह उचित नहीं भी हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, कई कंपनियाँ विभिन्न प्रदर्शन-नियंत्रण उपायों का उपयोग करती हैं जो गिग वर्कर्स को ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष अनुबंध में प्रवेश से अवरुद्ध करती हैं। ऐसे मामलों में उन्हें एक नियमित कर्मचारी के समान लाभ प्रदान किया जाना चाहिये।
- **व्यापक स्वास्थ्य कवरेज:** भारत में केवल कुछ फर्म ही ऑन-वर्क दुर्घटना बीमा प्रदान करती हैं; इसे सभी नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किया जाना चाहिये।
  - स्वास्थ्य बीमा के संबंध में, कुछ ऐप कर्मचारियों को निर्दिष्ट तृतीय-पक्ष बीमाकर्ताओं के साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल पर साइन अप करने के विकल्प प्रदान करते हैं। हालाँकि उनके निम्न स्वास्थ्य कवरेज स्तर को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं लगता है।

नोट :

- कामगारों को संकटपूर्ण समय या सेवानिवृत्ति के लिये बचत करने में मदद करना भी कंपनियों द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिये। ऐसा करने का एक तरीका यह हो सकता है कि इनके द्वारा न्यूनतम स्वैच्छिक योगदान किया जाए जो एक कॉर्पस फंड में जमा हो (जिस प्रकार बिज़नेस ट्रस्ट अपने ईपीएफ का प्रबंधन करते हैं)।

- **सरकारी सहायता:** सरकार को शिक्षा, वित्तीय सलाह, विधिक कार्य, चिकित्सा या ग्राहक प्रबंधन क्षेत्रों जैसे उच्च-कौशल गिग वर्क में निवेश करना चाहिये, जिससे भारतीय गिग वर्कर्स के लिये वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच को सुगम बनाया जाए।
  - इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की ज़िम्मेदारी साझा करने हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित करने के लिये सरकारों, गिग प्लेटफॉर्म और श्रम संगठनों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

भारत में गिग वर्क के विनियमन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दशक में इसमें दस लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। गिग वर्कर्स के लिये विनियामक ढाँचा तैयार करने में और देरी से भारत की वृद्धिशील डिजिटल इकोनॉमी और इसके कर्मियों पर असर पड़ेगा।

सरकार को गिग इकॉनमी की बारीकियों को समझने के लिये त्रिपक्षीय परामर्श करना चाहिये तथा एक उपयुक्त विधिक ढाँचा तैयार करना चाहिये जो व्यवसायों के आर्थिक विकास को गिग वर्कर्स के कल्याण के साथ संतुलित करने पर केंद्रित हो।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

सार्वभौमिक बुनियादी आय या यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income- UBI) प्रदान किया जाए या नहीं, एक ऐसा विचार है जिस पर चर्चा थमती नज़र नहीं आ रही। जहाँ पूर्व में मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रमण्यन ने वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसे 'अवधारणात्मक रूप से आकर्षक विचार' के रूप में प्रस्तावित किया था, तो वहीं वर्तमान CEA वी. अनंत नागेश्वरन ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह देश के लिये आवश्यक नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व ही प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) द्वारा सौंपी गई असमानता पर एक रिपोर्ट में भी UBI की अनुशंसा की गई थी। नीति आयोग के एक सदस्य द्वारा भी अर्द्ध-सार्वभौमिक बुनियादी ग्रामीण आय के उपबंध का समर्थन किया गया था।

वर्तमान CEA मानते हैं कि UBI की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत को अपने लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा इसे निकट अवधि के एजेंडे में शामिल नहीं होना चाहिये।

सार्वभौमिक बुनियादी आय की अवधारणा

- सार्वभौमिक बुनियादी आय एक सामाजिक कल्याण प्रस्ताव है जिसमें सभी लाभार्थियों को बिना शर्त हस्तांतरण भुगतान के रूप में नियमित रूप से एक गारंटीकृत आय प्राप्त होती है।
- एक बुनियादी आय प्रणाली के लक्ष्यों में गरीबी को कम करना और ऐसे अन्य आवश्यकता-आधारित सामाजिक कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित करना शामिल है जिसके लिये संभावित रूप से अधिक नौकरशाही संलग्नता की आवश्यकता होती है।
- UBI आम तौर पर बिना शर्तों के या न्यूनतम शर्तों के साथ सभी (या आबादी के एक अत्यंत बड़े भाग) तक पहुँच बनाने का लक्ष्य रखती है।

सार्वभौमिक बुनियादी आय के गुण एवं दोष

- **गुण:**
  - गरीबी उन्मूलन: यह सभी के लिये, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर और हाशिये पर स्थित समूहों के लिये एक न्यूनतम आय सीमा प्रदान करके गरीबी और आय असमानता को कम करती है। यह लोगों को खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को वहन करने में भी मदद कर सकती है।
  - एक स्वास्थ्य प्रोत्साहक: गरीबी और वित्तीय असुरक्षा से संबद्ध तनाव, दुश्चिंता और अवसाद को कम करके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पोषण तक पहुँच बनाने में भी सक्षम कर सकती है।
  - सरलीकृत कल्याण प्रणाली: यह विभिन्न लक्षित सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित कर मौजूदा कल्याण प्रणाली को सुव्यवस्थित कर सकती है। यह प्रशासनिक लागत को कम करती है और साधन-परीक्षण, पात्रता आवश्यकताओं एवं बेनिफिट क्लिफ (benefit cliffs) से जुड़ी जटिलताओं को समाप्त करती है।
  - व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि: UBI लोगों को वित्तीय सुरक्षा और उनके कार्य, शिक्षा एवं व्यक्तिगत जीवन के बारे में चयन की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।
  - आर्थिक प्रोत्साहक: यह प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के हाथों में धन का प्रवेश कराती है, जो उपभोक्ता व्यय को उत्प्रेरित करती है और आर्थिक विकास को गति देती है। यह स्थानीय

व्यवसायों को बढ़ावा दे सकती है, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये मांग उत्पन्न कर सकती है और रोज़गार के अवसर सृजित कर सकती है।

- यह लोगों को उद्यमशीलता की राह पर आगे बढ़ने, जोखिम उठाने और रचनात्मक या सामाजिक रूप से लाभकारी गतिविधियों में संलग्न होने के लिये सशक्त कर सकती है जो अन्यथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं भी हो सकते हैं।

- **दोष:**
  - लागत और राजकोषीय संवहनीयता: सार्वभौमिक बुनियादी आय अत्यधिक लागत रखती है और इसके वित्तपोषण के लिये उच्च करों, व्यय में कटौती या ऋण की आवश्यकता होगी। यह मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकती है, श्रम बाज़ार को विकृत कर सकती है और आर्थिक विकास को मंद कर सकती है।
  - विकृत प्रोत्साहन का निर्माण: यह काम करने की प्रेरणा को कम करती है और उत्पादकता एवं दक्षता में कमी लाती है। यह निर्भरता, पात्रता और आलस्य की एक संस्कृति का भी निर्माण कर सकती है। यह लोगों को कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने से भी हतोत्साहित कर सकती है।
    - वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार ने UBI पर आपत्ति जताई है क्योंकि यह आय-सृजन के अवसरों की तलाश के लिये लोगों को अपने स्वयं के प्रयास करने से रोकने में 'विकृत प्रोत्साहन' (perverse incentives) का निर्माण करती है।
  - मुद्रास्फीति संबंधी दबाव: यह मुद्रास्फीति संबंधी दबावों में योगदान कर सकती है। यदि सभी को एक निश्चित राशि प्राप्त होगी तो इससे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है क्योंकि व्यवसाय बाज़ार में उपलब्ध अतिरिक्त आय पर कब्जा करने के लिये अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को समायोजित करते हैं।
  - निर्भरता बढ़ाने की क्षमता: सार्वभौमिक बुनियादी आय सरकारी समर्थन पर लोगों की निर्भरता का निर्माण कर सकती है और इसमें एक जोखिम शामिल है कि कुछ लोग आत्मसंतुष्ट या मूल आय पर आश्रित बन सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिये प्रेरणा कम हो सकती है।

UBI भारत में व्यवहार्य क्यों नहीं है?

- **सामर्थ्य/वहनीयता:** भारत एक बड़ी आबादी लेकिन सीमित संसाधनों वाला उभरता हुआ देश है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को बुनियादी आय प्रदान करना बेहद महंगा सिद्ध हो सकता है, विशेष रूप से उस स्तर पर जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।
  - वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को 7,620 रुपए प्रति वर्ष की सार्वभौमिक बुनियाद आय प्रदान करने पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.9% खर्च होगा, जो खाद्य, ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर संयुक्त व्यय से भी अधिक है।
  - UBI को वित्तपोषित करने के लिये सरकार को या तो करों में वृद्धि करनी होगी, अन्य परिव्ययों में कटौती करनी होगी या उधारी में वृद्धि करनी होगी और इन सभी के अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिये नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होंगे।
- **राजनीतिक व्यवहार्यता:** सरकार के विभिन्न स्तरों, राजनीतिक दलों और हित समूहों के साथ भारत में एक जटिल एवं विविध राजनीतिक व्यवस्था मौजूद है। राजनेताओं, नौकरशाहों, लाभार्थियों और करदाताओं जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच UBI के लिये आम सहमति एवं समर्थन जुटाना जटिल सिद्ध हो सकता है।
  - मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वालों या वैचारिक आधार पर पुनर्वितरण का विरोध करने वालों द्वारा भी UBI को प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** भारत को सार्वजनिक सेवाओं के वितरण और हस्तांतरण को प्रभावी एवं कुशल तरीके से कार्यान्वित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहचान, लक्ष्यीकरण, वितरण, निगरानी और उत्तरदायित्व जैसे कई मुद्दे हैं जो मौजूदा कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं पहुँच को प्रभावित करते हैं ।
  - UBI को विश्वसनीय डेटा, प्रौद्योगिकी और संस्थानों की आवश्यकता होगी ताकि इसे उपयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा सके और लीकेज, भ्रष्टाचार एवं अपवर्जन त्रुटियों से बचा जा सके।
  - इसके अलावा, भारत ने अभी तक एक सार्वभौमिक आधार नामांकन हासिल नहीं किया है, इसलिये लाभार्थी की पहचान और सेवा के लक्ष्य-आधारित वितरण में समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- **व्यावहारिक प्रभाव:** UBI का प्राप्तकर्ताओं या वृहत रूप से समाज के व्यवहार पर अनपेक्षित या अवांछनीय प्रभाव पड़ सकता है ।
  - उदाहरण के लिये, UBI कार्य करने या कौशल हासिल करने की प्रेरणा को कम कर सकती है, जिससे उत्पादकता एवं दक्षता में कमी आ सकती है।

नोट :

- यह प्राप्तकर्ताओं के बीच निर्भरता, पात्रता या आलस्य की संस्कृति भी उत्पन्न कर सकती है।
- यह लोगों को उन सामाजिक या नागरिक गतिविधियों में भाग लेने से भी हतोत्साहित कर सकती है जो साझा भलाई में योगदान करती हैं।

UBI के स्थान पर भारत कौन-से विकल्प चुन सकता है?

- **Quasi UBRI:** अर्द्ध-सार्वभौमिक बुनियादी ग्रामीण आय (Quasi-Universal Basic Rural Income-QUBRI) सार्वभौमिक बुनियादी आय का एक रूप है, जिसे ऐसे हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो सार्वभौमिक रूप से, बिना शर्त और नकद रूप में प्रदान किया जाता है। भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को (उन परिवारों को छोड़कर जो प्रकट रूप से समृद्ध हैं और कृषि संकट का सामना कर सकते हैं) 18,000 रुपए प्रति वर्ष का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (Direct Cash Transfer) प्रदान करने का विचार पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefits Transfers- DBT):** इस योजना के तहत सब्सिडी या नकद को प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है (बजाय इसके कि बिचौलियों की मदद ली जाए या वस्तु या सेवाओं के रूप में हस्तांतरण किया जाए)। DBT का उद्देश्य कल्याणकारी वितरण की दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार के साथ-साथ लीकेज और भ्रष्टाचार को कम करना है।
  - पीएम किसान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना जैसी योजनाएँ DBT की सफलता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
- **सशर्त नकद हस्तांतरण (Conditional Cash Transfers- CCT):** इस योजना के तहत गरीब परिवारों को इस शर्त पर नकद राशि प्रदान की जाती है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने, उनका टीकाकरण कराने करना या स्वास्थ्य जाँच में भाग लेने जैसी कुछ शर्तों की पूर्ति करेंगे। CCT का उद्देश्य मानव पूंजी और गरीबों के दीर्घकालिक परिणामों में सुधार के साथ-साथ व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है।
- **अन्य आय सहायता योजनाएँ:** इन योजनाओं के तहत किसानों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगों जैसे लोगों के ऐसे विशिष्ट समूहों को नकद या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है जो इसकी आवश्यकता रखते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य इन समूहों के समक्ष विद्यमान विशिष्ट भेद्यताओं और चुनौतियों का समाधान करना है, साथ ही साथ उनके सशक्तीकरण एवं समावेशन को बढ़ावा देना है।
- **रोज़गार गारंटी योजनाएँ:** मनरेगा (MGNREGA) के साथ भारत के पास पहले से ही इसका एक सफल उदाहरण मौजूद है। ये योजनाएँ ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में निश्चित दिनों के लिये रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान करती हैं। ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण यह सुनिश्चित कर सकता है कि व्यक्तियों की रोज़गार अवसरों तक पहुँच हो और वे आजीविका कमा सकें।
- **कौशल विकास एवं प्रशिक्षण:** कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश से व्यक्तियों को स्थायी रोज़गार सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कौशल से लैस किया जा सकता है। कौशल संवर्द्धन पर ध्यान केंद्रित करके सरकार व्यक्तियों को उपयुक्त नौकरी खोजने और अपनी आय संभावनाओं में सुधार करने में सक्षम बना सकती है।
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) और प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) आदि का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिये।
- **सार्वभौमिक बुनियादी सेवाएँ (Universal Basic Services):** भारत एक सार्वभौमिक बुनियादी आय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ जल और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान को प्राथमिकता दे सकता है। सरकार सभी नागरिकों के लिये इन सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित कर समग्र जीवन स्तर में सुधार ला सकती है और असमानता को कम कर सकती है।
- **परिसंपत्ति-निर्माण नीतियाँ:** ये ऐसी नीतियाँ हैं जिनका उद्देश्य निम्न आय वाले लोगों को बचत, शिक्षा, आवास या व्यावसायिक पूंजी जैसी परिसंपत्ति का संचयन करने में मदद करना है। उनमें मैचिंग फंड, कर प्रोत्साहन, सब्सिडी या संपत्ति संचय के लिये अनुदान शामिल हो सकते हैं। परिसंपत्ति-निर्माण नीतियों के समर्थकों का तर्क है कि वे UBI की तुलना में बेहतर ढंग से दीर्घावधिक आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक गतिशीलता और निम्न आय वाले लोगों के सशक्तीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ ही, वे बचत और निवेश की संस्कृति को भी बढ़ावा दे सकते हैं।
- **समावेशी विकास:** लोगों को एक निश्चित राशि प्रदान करने के बजाय उनके लिये अधिक अवसर और क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान देना चाहिये ताकि वे अर्थव्यवस्था और समाज में भागीदारी एवं योगदान कर सकें। समावेशी विकास गरीबी और अपवर्जन के संरचनात्मक कारणों—जैसे भेदभाव और शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना एवं सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच की कमी आदि को भी संबोधित करता है।

नोट :

समेकित बाल विकास सेवा योजना का सशक्तीकरण

भारत में स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया का उच्च प्रसार अभी भी बच्चों और महिलाओं के लिये प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है। इससे निपटने के लिये भारत को अपनी मौजूदा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं, जैसे कि समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services- ICDS) को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ICDS 0-6 आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं को लक्षित करता है; अनौपचारिक प्री-स्कूल शिक्षा को संबोधित करता है; और कुपोषण, रुग्णता एवं मृत्यु दर के चक्र को तोड़ता है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना क्या है?

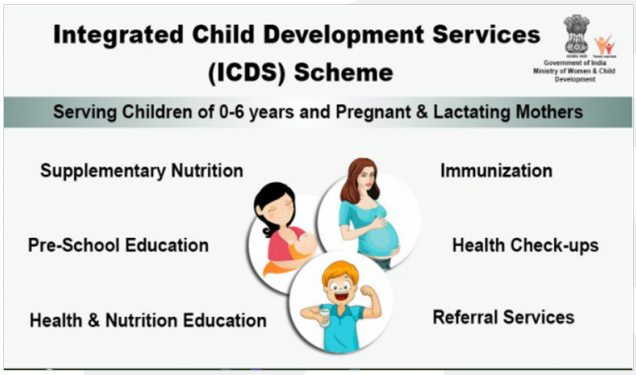

- बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाली समेकित बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार का एक लोकप्रिय प्रमुख कार्यक्रम है।
- वर्ष 1975 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है जो बच्चों के समग्र विकास के लिये विभिन्न सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करता है।
- ICDS एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना सार्वभौमिक है जो देश के सभी ज़िलों को कवर करती है।
- योजना का नया नामकरण 'आँगनवाड़ी सेवा योजना' के रूप में किया गया है।
- इन सेवाओं को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिये (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिये) सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0), जो एक एकीकृत पोषण समर्थन कार्यक्रम है, के एक अंग के रूप में पेश किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:**
  - 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना
  - बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना
  - मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल ड्रॉपआउट की स्थिति को कम करना
  - बाल विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विभागों के बीच नीति एवं कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना
  - उचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिये माताओं की सक्षमता में वृद्धि करना।
- **लाभार्थी:**
  - 0-6 आयु वर्ग के बच्चे
  - गर्भवती महिलाएँ और दुग्धपान कराने वाली माताएँ
  - आकांक्षी ज़िलों और उत्तर-पूर्वी राज्यों की किशोरियाँ (14-18 आयु वर्ग)।

ICDS की सफलता के बारे में अध्ययन क्या दर्शाते हैं?

- 'वर्ल्ड डेवलपमेंट' में प्रकाशित एक अध्ययन ने संज्ञानात्मक उपलब्धियों के मामलों में, विशेष रूप से बालिकाओं और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की बालिकाओं के बीच, ICDS के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया है।
- 'यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस जर्नल्स' के एक अन्य विशेषज्ञ समीक्षित (peer-reviewed) अध्ययन ने पाया है कि जीवन के प्रथम तीन वर्षों के दौरान ICDS का लाभ पाने वाले बच्चों ने इसके लाभ नहीं पाने वाले बच्चों की तुलना में स्कूल शिक्षा के 0.1-0.3 अधिक ग्रेड पूरे किये।
- 'नैचुरल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन' में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 13-18 आयु वर्ग के किशोर/किशोरियों, जो उपयुक्त ICDS कार्यान्वयन वाले गाँवों में पैदा हुए थे, ने स्कूल में नामांकन की 7.8% अधिक संभावना प्रदर्शित की और ICDS तक पहुँच से वंचित अपने समकक्षों की तुलना में औसतन 0.8 अतिरिक्त ग्रेड पूरे किये।

ICDS के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **अवसंरचनात्मक मुद्दे:** चिंताजनक रूप से 2.5 लाख केंद्र कार्यात्मक स्वच्छता सुविधाओं के बिना कार्यरत हैं और 1.5 लाख केंद्रों में पीने योग्य जल तक पहुँच का अभाव है। लगभग 4.15 लाख आँगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना पक्का भवन नहीं है।
- **सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग (SNP) और प्रशासनिक चुनौतियाँ:** बच्चों और माताओं को प्रदान किये जाने वाले खाद्य

नोट :

और सूक्ष्म पोषक तत्त्व प्राय: अनियमितता, गुणवत्ताहीनता, अपर्याप्तता और भ्रष्टाचार से ग्रस्त होते हैं। SNP के लिये कोई स्पष्ट नीति या दिशानिर्देश मौजूद नहीं है।

- **मानव संसाधन की उपलब्धता:** पर्याप्त संख्या में आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (AWWs) और आँगनवाड़ी सहायिकाएँ (AWHs) उपलब्ध नहीं हैं, जो आँगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) की मुख्य सेवा प्रदाता होती हैं। वे कार्य के अधिक बोझ, कम वेतन और खराब प्रशिक्षण की भी शिकार हैं।
- **आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर कम ध्यान:** आँगनवाड़ी केंद्रों में 3-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिये प्री-स्कूल शिक्षा की प्राय: अनदेखी की जाती है या इसे खराब तरीके से कार्यान्वित किया जाता है। प्री-स्कूल शिक्षा के लिये उपयुक्त अवसंरचना, पाठ्यक्रम, सामग्री या निगरानी उपलब्ध नहीं है।
- **प्रशिक्षण, निगरानी को सुदृढ़ करने से संबद्ध चुनौतियाँ:** ICDS के लिये प्रशिक्षण, निगरानी, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की स्थिति कई जगहों पर कमज़ोर है या उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षण का तरीका पुराना और अनुपयुक्त है। निगरानी व्यवस्था अनियमित और अपूर्ण है। MIS मैनुअल है और भरोसेमंद नहीं है। ICT का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है या यह अनुपलब्ध है।
- **कमज़ोर निगरानी:** डेटा उपलब्धता, विश्वसनीयता और उपयोग में अंतराल के साथ ICDS की निगरानी एवं मूल्यांकन व्यवस्था कमज़ोर और असंगत है। MIS को नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जाता है और यह ICDS के सभी प्रासंगिक संकेतकों एवं परिणामों को शामिल नहीं करता है। निगरानी डेटा पर आधारित प्रतिक्रिया/फीडबैक और सुधारात्मक कार्रवाई का भी अभाव है।
- **आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं पर ICDS से इतर कार्यों का बोझ:** प्रत्येक आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (जो वस्तुत: ICDS के तहत सेवा वितरण की मूल इकाई है) को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिकॉर्ड कीपिंग जैसे कई अन्य कार्य करने होते हैं। यह सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज को प्रभावित करता है।
  - इसके अलावा, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्राय: अन्य विभागों या प्राधिकरणों द्वारा जनगणना, चुनाव, सर्वेक्षण जैसे अन्य कर्तव्य सौंप दिये जाते है, जो उन्हें उनके ICDS संबंधी मूल कार्यों से विचलित करता है।

ICDS योजना को सशक्त करने के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- **अवसंरचना में सुधार:** आँगनवाड़ी केंद्रों की अवसंरचना में सुधार के लिये, जैसे पक्की संरचनाओं के निर्माण, स्वच्छता सुविधाएँ, पेयजल, बिजली, रसोई संबंधी साधन आदि के लिये सरकार द्वारा उन्हें अधिक धन एवं संसाधन प्रदान करना चाहिये।
  - आँगनवाड़ी केंद्रों के रखरखाव और प्रबंधन में सरकार को स्थानीय समुदाय और पंचायतों को भी शामिल करना चाहिये।
- **सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग (SNP) को सुव्यवस्थित करना:** सरकार को ICDS लाभार्थियों के लिये खाद्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की खरीद, वितरण और निगरानी को सुव्यवस्थित करना चाहिये तथा इनकी समयबद्ध एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिये। SNP में भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकने के लिये सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र भी अपनाना चाहिये।
  - सरकार को SNP के लिये स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएँ भी जारी करनी चाहिये।
- **मानव संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि करना:** सरकार को आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं की संख्या बढ़ानी चाहिये और उनके वेतन एवं अन्य वित्तीय लाभों का उचित एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित करना चाहिये।
  - सरकार को उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, समर्थन और उनके कार्य के लिये मान्यता प्रदान करनी चाहिये।
  - सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उन पर अन्य विभागों या प्राधिकरणों द्वारा ICDS से इतर कार्यों का अत्यधिक बोझ न डाला जाए।
- **आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:** सरकार को उपयुक्त अवसंरचना, पाठ्यक्रम, सामग्री एवं निगरानी प्रदान कर आँगनवाड़ी केंद्रों में 3-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिये प्री-स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं कवरेज में संवृद्धि करनी चाहिये।
  - सरकार को 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये आरंभिक प्रोत्साहन एवं लर्निंग गतिविधियों को भी बढ़ावा देना चाहिये और उनके विकास में माता-पिता एवं देखभालकर्त्ताओं (caregivers) को संलग्न करना चाहिये।
- **प्रशिक्षण, निगरानी, MIS और ICT को सुदृढ़ करना:** सरकार को स्मार्टफोन, एप्लीकेशन, बायोमीट्रिक डिवाइस जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर ICDS के लिये प्रशिक्षण, निगरानी, MIS और ICT तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिये।
  - सरकार को प्रशिक्षण मॉड्यूल और विधियों को भी अद्यतन करना चाहिये तथा सभी ICDS कार्यकारियों के लिये नियमित एवं प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करना चाहिये।

नोट :

केस स्टडी: आँगनवाड़ी केंद्रों में अतिरिक्त कार्यकर्त्ताओं के लाभ

- आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के कार्य बोझ को कम करने के लिये प्रत्येक आँगनवाड़ी केंद्र में एक अतिरिक्त आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को शामिल किया जा सकता है । इस दृष्टिकोण को लागू करने से विभिन्न लाभ प्राप्त हो सकते हैं:
- इससे बेहतर स्वास्थ्य संबंधी और शैक्षिक परिणाम प्राप्त होंगे। ICDS ढाँचे के भीतर बढ़ते कर्मी स्तर के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये तमिलनाडु में एक वृहत यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण किया गया, जिसके महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने आए।
  - एक अंशकालिक कार्यकर्त्ता को शामिल करने से शुद्ध प्री-स्कूल निर्देशात्मक समय प्रभावी रूप से दोगुना हो गया, जिससे इस कार्यक्रम में नामांकित बच्चों के लिये गणित एवं भाषा की परीक्षा के अंकों में सुधार दिखा।
- इस मॉडल के राष्ट्रव्यापी रोल-आउट की लागत इसके द्वारा प्रदत्त संभावित लाभों की तुलना में अपेक्षाकृत नगण्य है। अनुमानित दीर्घावधिक लाभ (जीवनकालीन आय अर्जन में अपेक्षित सुधार पर आधारित) व्यय का लगभग 13 से 21 गुना अधिक होगा।
- इस नई आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को केवल प्री-स्कूल और आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
  - यह पहले से मौजूद कार्यकर्त्ताओं को बाल स्वास्थ्य और पोषण के लिये अधिक समय समर्पित कर सकने का अवसर देगा।
  - इससे आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को अपनी पहुँच का विस्तार करने और परिवारों की बड़ी संख्या की सेवा करने में भी मदद मिलेगी।
- ग्रामीण समुदायों के कल्याण में सुधार के अलावा, यह स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगा। इससे पूरे भारत में महिलाओं के लिये 1.3 मिलियन नए रोज़गार सृजित होंगे।

चक्रवातों के लिये भारत कितना तैयार?

चक्रवात बिपरजॉय (Cyclone Biparjoy) एक प्रचंड चक्रवाती तूफ़ान था जिसने गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इसने अवसंरचना को व्यापक क्षति पहुँचाई और पशुधन के लिये आघात एवं मृत्यु का कारण बना, लेकिन केवल दो लोगों की ही जान गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की पूर्व चेतावनियों और तटीय क्षेत्रों से लोगों की समय पर निकासी के कारण भारत इस चक्रवात के प्रकोप से बचने में सफल रहा। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली में व्यापक सुधार हुआ है; हालाँकि भविष्य के लिये अभी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

The Vision

नोट :

चक्रवात क्या है ?

चक्रवात

परिचय

चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आस-पास तेजी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं।

चक्रवात बनाम प्रतिचक्रवात

दबाव प्रणाली	केंद्र में दबाव की स्थिति	हवा की दिशा का पैटर्न	
		उत्तरी गोलार्द्ध	दक्षिणी गोलार्द्ध
चक्रवात	निम्न	वामावर्त	दक्षिणावर्त
प्रतिचक्रवात	उच्च	दक्षिणावर्त	वामावर्त

वर्गीकरण

उष्णकटिबंधीय चक्रवात; मकर और कर्क रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं।

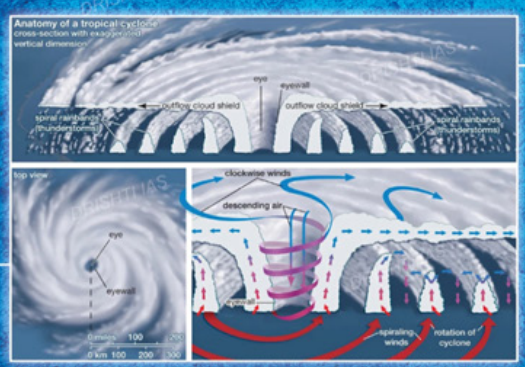

अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय/समशीतोष्ण चक्रवात; ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं।

- **गठन के लिए शर्तें:**
  - 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह।
  - कोरिओलिस बल की उपस्थिति।
  - ऊर्ध्वाधर/लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव।
  - पहले से मौजूद कमजोर निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तर-चक्रवात परिसंचरण।
  - समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन (Divergence)।
- **नामकरण:**
  - **नोडल प्राधिकरण: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)**
  - **हिंद महासागर क्षेत्र:** बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड इस क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण में योगदान करते हैं।
- **उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिये अलग-अलग नाम:**
  - **टाइफून:** दक्षिण पूर्व एशिया और चीन
  - **हरिकेन:** उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत
  - **टॉरनेडो:** पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका
  - **विली-विलीज:** उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया
  - **उष्णकटिबंधीय चक्रवात:** दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर
- **भारत में चक्रवात:**
  - **द्वि-वार्षिक चक्रवात मौसम:** मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर।
  - **हाल के चक्रवात:** ताउते, वायु, निसर्ग और मेकानु (अरब सागर में) तथा असानी, अम्फान, फोनी, निवार, बुलबुल, तितली, यास और सितरंग (बंगाल की खाड़ी में)।

नोट :

चक्रवात के विरुद्ध सामान्य शमन एवं तैयारी उपाय कौन-से हैं?

- **खतरों का मानचित्रण:**
  - चक्रवाती खतरों का मानचित्रण मानचित्र पर चक्रवात जोखिमों के मूल्यांकन के परिणामों को प्रदर्शित करता है जो विभिन्न तीव्रताओं या अवधियों की आवृत्ति/संभावना को इंगित करता है।
- **भूमि उपयोग का विनियमन:**
  - भूमि उपयोग को नियंत्रित करने और भवन संहिता लागू करने के लिये नीतियों का कार्यान्वयन।
  - ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को मानव बस्तियों के बजाय पार्कों, चरागाहों या बाढ़ अपवर्तन (flood diversion) के लिये उपयोग किया जाना चाहिये।
- **इंजीनियर्ड संरचनाएँ (Engineered Structures):**
  - सामान्य अच्छे निर्माण अभ्यास के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:
    - खंभों (stilts) या मिट्टी के टीलों (earthen mounds) पर भवनों का निर्माण करना।
    - इन भवनों को हवा और जल प्रतिरोधी होना चाहिये।
  - खाद्य सामग्री का भंडारण करने वाले भवनों को हवा और जल के खतरों से सुरक्षित होना चाहिये।
- **चक्रवात आश्रय स्थल (Cyclone Shelters):**
  - जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ प्राय: चक्रवात आते हैं, अपनी सुरक्षा के लिये चक्रवात आश्रय स्थलों की आवश्यकता रखते हैं।
  - चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण महँगा होता है, इसलिये वे आमतौर पर मदद के लिये सरकार पर या बाहरी दानकर्ताओं पर निर्भर करते हैं।
  - क्षेत्र के भूगोल का मानचित्रण करने वाली प्रणाली का उपयोग करके चक्रवात आश्रय स्थलों के लिये सर्वोत्तम स्थानों का चयन किया जा सकता है।
- **बाढ़ प्रबंधन (Flood Management):**
  - चक्रवाती तूफ़ान कई तरीकों से बाढ़ का कारण बन सकते हैं। समुद्र जल आगे बढ़ सकता है और और तटीय भूमि को निमग्न कर सकता है। भूमि के जल अवशोषित कर सकने की क्षमता की तुलना में वर्षा बहुत अधिक और तेज़ हो सकती है।
  - नदियों और समुद्र तटों के किनारे बाँधों या अवरोधों का निर्माण कर जल को उन भूमियों तक पहुँचने से रोका जा सकता है जो बाढ़ प्रवण हैं।
  - जल संग्रह लिये स्थानों का निर्माण कर, जल की गति को कम करने के लिये छोटे बाँध बनाकर और जल अपवाह/निकासी के अन्य तरीकों का उपयोग कर जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है।
- **मैंग्रोव रोपण (Plantation of Mangroves):**
  - मैंग्रोव तूफ़ानी लहरों और चक्रवातों के साथ आने वाली तेज़ हवाओं से तटीय क्षेत्र की रक्षा करते हैं।
  - समुदायों को मैंग्रोव रोपण में भागीदारी करनी चाहिये जो स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों या स्वयं समुदाय द्वारा आयोजित किये जा सकते हैं।
  - मैंग्रोव कटाव-नियंत्रण और तटीय संरक्षण में भी मदद करते हैं।
- **जन जागरूकता का निर्माण (Public Awareness Generation):**
  - सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से सूचना का प्रभावी ढंग से प्रसार करके बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। अनुसंधान ने लगातार दिखाया है कि जन जागरूकता और शिक्षा की कमी जीवन एवं आजीविका पर होने वाली क्षति में उल्लेखनीय योगदान देती है।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System):**
  - तीव्र और कुशल प्रतिक्रिया को सुगम बनाने के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली को संवृद्ध करना
  - चक्रवात संबंधी पूर्व चेतावनी संकेतों (Cyclone Early Warning Signals) के बारे में जागरूकता और पहुँच को बढ़ावा देना
  - चक्रवात पूर्व चेतावनी के लिये सूचना प्रसार चैनलों को बढ़ावा देना
- **सामाजिक सहभागिता (Community Participation):**

चूँकि स्थानीय लोग अपने क्षेत्र, स्थान, संस्कृति और रीति-रिवाजों की शक्तियों एवं कमज़ोरियों के बारे में सबसे बेहतर रूप से अवगत होते हैं, इसलिये कुछ शमनकारी उपायों को स्वयं समुदाय द्वारा विकसित किया जाना चाहिये।

इन सामुदायिक शमन गतिविधियों को सरकार और अन्य नागरिक समाज संगठनों के समर्थन से आगे बढ़ाया जा सकता है।

चक्रवात की तैयारी के लिये सरकार की प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (National Cyclone Risk Mitigation Project):**
  - भारत ने चक्रवात के प्रभावों को कम करने के लिये संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय करने के लिये इस परियोजना की शुरुआत की है।

नोट :

- परियोजना का उद्देश्य चक्रवातों और अन्य जल-मौसम संबंधी आपदाओं (hydro-meteorological calamities) के प्रभाव से भेद्य/संवेदनशील स्थानीय समुदायों की रक्षा करना है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) के गठन के बाद इस परियोजना का प्रबंधन सितंबर 2006 में NDMA को सौंप दिया गया।

- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal Zone Management- ICZM) परियोजना:**
  - ICZM का उद्देश्य तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है।
  - ICZM योजना में तटीय ज़िलों में अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं और आजीविका सुधार के साधनों की पहचान करना शामिल है।
    - मैंग्रोव का संरक्षण भी इसके घटकों में शामिल है।
  - परियोजना के राष्ट्रीय घटक में देश की तट रेखा का मानचित्रण करना और खतरे की रेखा का सीमांकन करना शामिल है।

- **तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zones- CRZ):**
  - उच्च ज्वार रेखा (High Tide Line- HTL) से 500 मीटर तक के ज्वार से प्रभावित होने वाले समुद्रों, खाड़ियों, सँकरी खाड़ियों, नदियों और बैकवाटर के तटीय क्षेत्रों और निम्न ज्वार रेखा (Low Tide Line- LTL) एवं उच्च ज्वार रेखा के बीच की भूमि को वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) घोषित किया गया।
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किये गए हैं।

- **चक्रवातों की रंग कोडिंग (Color Coding of Cyclones):**
  - यह एक मौसम संबंधी चेतावनी है जो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा प्राकृतिक खतरों से पहले लोगों को सचेत करने के लिये जारी की जाती है।
  - IMD द्वारा उपयोग किये जाने वाले चार रंगों में हरा, पीला, नारंगी और लाल शामिल हैं।

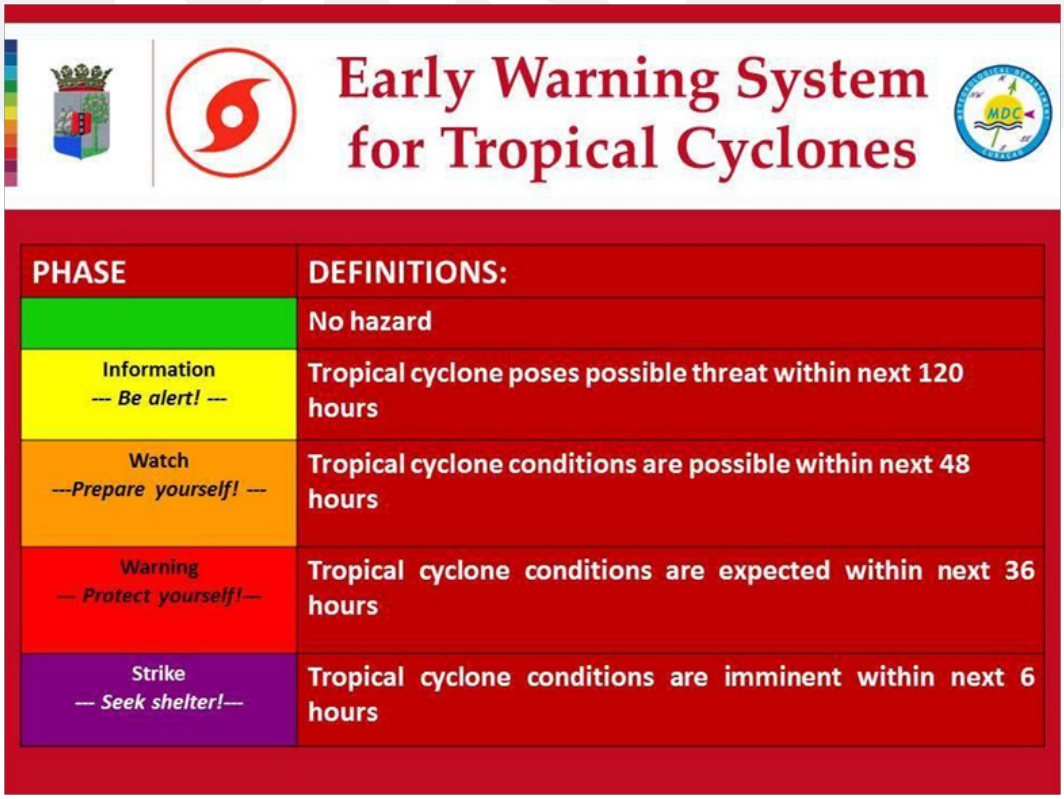

PHASE	DEFINITIONS:
	No hazard
Information --- Be alert! ---	Tropical cyclone poses possible threat within next 120 hours
Watch ---Prepare yourself! ---	Tropical cyclone conditions are possible within next 48 hours
Warning --- Protect yourself!---	Tropical cyclone conditions are expected within next 36 hours
Strike --- Seek shelter!---	Tropical cyclone conditions are imminent within next 6 hours

नोट :

चक्रवात की तैयारी से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **नेतृत्त्व के लिये सीमित समय:**
  - मौसम पूर्वानुमान के विषय में प्रगति के बावजूद चक्रवातों का सटीक प्रभाव केवल 36-60 घंटों की अपेक्षाकृत लघु समय सीमा के भीतर ही निर्धारित किया जा सकता है।
  - यह सीमित समय प्रभावी तैयारी और निकासी प्रयासों (evacuation efforts) के लिये चुनौतियाँ पेश करता है।
- **कमज़ोर तटीय अवसंरचना:**
  - तटीय क्षेत्र अपनी भौगोलिक भेद्यता के कारण चक्रवात संबंधी क्षति के लिये अतिसंवेदनशील होते हैं।
  - अनुपयुक्त अवसंरचना (भवनों, सड़कों और पुलों सहित) तेज़ हवाओं, तूफ़ानी लहरों और चक्रवाती भारी वर्षा का सामना करने में अक्षम होने की संभावना रखती है।
  - तटीय अवसंरचना का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण एक प्रमुख चुनौती है।
- **प्रभावी संचार नेटवर्क का अभाव:**
  - पूर्व चेतावनियों को प्रसारित करने, निकासी प्रयासों को समन्वित करने और चक्रवातों के दौरान वास्तविक समय अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिये कुशल संचार महत्त्वपूर्ण है।
  - हालाँकि तटीय क्षेत्रों को कमज़ोर सिग्नल, विद्युत की कटौती और क्षतिग्रस्त संचार नेटवर्क जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवधि के दौरान प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **निकासी संबंधी चुनौतियाँ:**
  - संक्षिप्त अवधि में तटवर्ती समुदायों को बाहर निकालना विभिन्न कारकों के कारण चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकती है; कुछ व्यक्ति अपने घरों को छोड़ने के लिये अनिच्छुक हो सकते हैं, विशेष रूप से यदि उनके पास गलत पूर्व चेतावनी का अनुभव रहा हो या वे अपनी संपत्तियों को लेकर चिंता रखते हों।
  - इसके अतिरिक्त, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और आश्रय स्थलों में क्षमता संबंधी सीमाओं से जुड़े मुद्दे समयबद्ध और सुचारू निकासी को बाधित कर सकते हैं।
- **विभिन्न आजीविका पैटर्न:**
  - तटीय समुदाय प्राय: अपनी आजीविका के लिये मछली पकड़ने और अन्य समुद्री गतिविधियों पर निर्भर होते हैं।
    - चक्रवात की चेतावनियाँ उनकी आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकती हैं, जिससे निकासी के प्रतिरोध या निकासी में देरी की स्थिति बन सकती है।
  - तटीय समुदायों की आर्थिक वास्तविकताओं के साथ निकासी की आवश्यकता को संतुलित करना एक जटिल चुनौती है।
- **अपर्याप्त धन और संसाधन:**
  - चक्रवात की प्रभावी तैयारी के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित कर्मी और आवश्यक साधन का होना आवश्यक है।
  - पर्याप्त धन, संसाधनों का आवंटन और विभिन्न एजेंसियों एवं हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, विशेष रूप से सीमित वित्तीय क्षमताओं वाले क्षेत्रों में, चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

चक्रवात की तैयारी को संवृद्ध करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करना:**
  - चक्रवात के खतरों और जोखिमों की निगरानी, पूर्वानुमान एवं संचार के लिये वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का विकास एवं वृद्धि करना।
  - चक्रवात पूर्वानुमानों और चेतावनियों की सटीकता, समयबद्धता और विश्वसनीयता में सुधार के लिये उपग्रहों, रडारों, संख्यात्मक मॉडलों जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करना।
  - पूर्व चेतावनी प्रणाली से संलग्न विभिन्न एजेंसियों और मंचों के बीच समन्वय एवं सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - चक्रवात संबंधी चेतावनियों और उनके प्रभावों के बारे में जन जागरूकता और समझ का विस्तार करना।
- **व्यापक तैयारी और तत्परता को बढ़ाना:**
  - राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और स्थानीय स्तर पर व्यापक एवं सहभागितापूर्ण आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास एवं कार्यान्वयन करना। संवेदनशील क्षेत्रों, आबादी और संपत्तियों की पहचान करना तथा उनका मानचित्रण।
  - उपयुक्त परिवहन, संचार और बिजली नेटवर्क की स्थापना एवं रखरखाव। आवश्यक आपूर्ति और उपकरण स्टॉक करना।
  - इमरजेंसी किट और निकासी योजना तैयार करना तथा उन्हें अद्यतन करना।
  - विभिन्न अभिकर्ताओं की तैयारी एवं तत्परता तैयारी का परीक्षण करने और इनमें सुधार लाने के लिये नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल आयोजित करना।

नोट :

- **जोखिम और भेद्यता को कम करना:**
  - चक्रवात के प्रभावों को रोकने या कम करने के लिये संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को कार्यान्वित करना।
  - सुदृढ़ एवं प्रत्यास्थी घरों, भवनों, अवसंरचना और सुविधाओं का निर्माण या इनमें सुधार करना।
  - मैंग्रोव, आर्द्रभूमि, प्रवाल भित्तियों जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित करना और उनका संरक्षण करना ।
  - तटीय क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को विनियमित करने के लिये तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंडों और भूमि उपयोग योजना को लागू करना।
  - चक्रवात प्रवण क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिये आजीविका विविधीकरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देना।
- **सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना:**
  - चक्रवात की तैयारी और प्रबंधन प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र, मीडिया, शिक्षाविदों, नागरिक समाज आदि विभिन्न हितधारकों को संलग्न करना।
  - चक्रवात जोखिम में कमी के लिये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) जैसी: क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भाग लेना।

भारत में रेल दुर्घटनाएँ: कारण एवं सुरक्षा उपाय

भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जहाँ लाखों लोग प्रति दिन परिवहन के लिये इस पर निर्भर करते हैं। आँकड़े बताते हैं कि पिछले दो दशकों में पटरी से गाड़ी उतरने के मामले (जो अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं) सहस्राब्दी के अंत में प्रति वर्ष लगभग 350 से घटकर वर्ष 2021-22 में मात्र 22 रह गए।

हालाँकि, बालासोर के बहनागा बाज़ार रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना जैसे मामले बेहतर सुरक्षा उपायों और अवसंरचना की आवश्यकता को उज़ागर करते हैं। इस दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत यह सुनिश्चित करने के महत्त्व का त्रासद अनुस्मारक है कि रेलवे उन सभी लोगों के लिये सुरक्षित हो जो इसका उपयोग करते हैं।

इस घटना की प्रतिक्रिया में रेलवे के प्रभारी लोगों से जवाबदेही की मांग की गई है, साथ ही उन प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिनका इस दुर्घटना में योगदान हो सकता है। विशेषज्ञों द्वारा भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये सुझाव दिये जा रहे हैं, जिनमें सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार करने और बेहतर तकनीक में निवेश करने जैसे सुझाव शामिल हैं।

इसके साथ ही, अन्य देशों की रेलवे प्रणालियों के साथ तुलना की गई है, जो भारत के लिये उन देशों के स्तर पर पहुँचने के लिये अपनी अवसंरचना और सुरक्षा उपायों में सुधार करने की आवश्यकता को उजागर करता है। कुल मिलाकर, इस घटना ने यह सुनिश्चित करने के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि भारतीय रेलवे उन सभी के लिये सुरक्षित और भरोसेमंद हो जो इसका उपयोग करते हैं।

रेलवे दुर्घटनाओं के पीछे के प्राथमिक कारण

- **अवसंरचनात्मक दोष:** रेलवे अवसंरचना—जिसमें पटरियाँ, पुल, ओवरहेड तार और रोलिंग स्टॉक (कोच, डब्बे, इंजन आदि) शामिल हैं, प्राय: खराब रखरखाव, पुराना होने, हमला, तोड़फोड़ या प्राकृतिक आपदाओं के कारण दोषपूर्ण हो जाती है।
  - रेलवे अवसंरचना के अधिकांश भाग का निर्माण 19वीं-20वीं शताब्दी में हुआ जिसे बढ़ती मांग और आधुनिक मानकों की पूर्ति के लिये अपग्रेड नहीं किया गया है।
  - रेलवे तंत्र धन की कमी, भ्रष्टाचार और अक्षमता से भी ग्रस्त है जो इसके विकास एवं रखरखाव को प्रभावित करती है।
  - इसके अलावा, कई रूट 100% से अधिक क्षमता पर संचालित हैं, जिससे भीड़भाड़ और ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
- **मानवीय त्रुटियाँ:** रेलवे कर्मचारी, जो ट्रेनों और पटरियों के कार्यान्वयन, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार होते हैं, थकान, लापरवाही, भ्रष्टाचार या सुरक्षा नियमों एवं प्रक्रियाओं की अवहेलना के कारण मानवीय त्रुटियों के प्रति प्रवण होते हैं।
  - मानवीय त्रुटियों के परिणामस्वरूप गलत सिग्नलिंग, दोषपूर्ण संचार, अत्यधिक गति अथवा दोषों या खतरों को अनदेखा करने की स्थिति बन सकती है।
  - रेलवे कर्मचारियों में पर्याप्त प्रशिक्षण और संचार कौशल का भी अभाव पाया जाता है, जो उनके प्रदर्शन और समन्वय क्षमता को प्रभावित करता है।
- **सिग्नलिंग संबंधी विफलताएँ:** सिग्नलिंग प्रणाली, जो पटरियों पर ट्रेनों की गति और दिशा को नियंत्रित करती है, तकनीकी खराबी, पावर आउटेज या मानवीय त्रुटियों के कारण विफल हो सकती है।
  - सिग्नल फेल होने से ट्रेनें गलत पटरियों पर जा सकती हैं, अन्य ट्रेनों या स्थिर वस्तुओं से टकरा सकती हैं या विराम स्टेशनों से आगे निकल सकती हैं।

नोट :

- उदाहरण के लिये, ओडिशा में हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटना कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुई, जिसके बारे में चालकों को सही तरीके से सूचित नहीं किया गया।

- **मानवरहित समपार (Unmanned level crossings- UMLCs):** UMLCs वे स्थान होते हैं जहाँ यातायात को नियंत्रित करने के लिये किसी बैरियर या सिग्नल के बिना रेलवे ट्रैक गुज़रते हैं।
  - UMLCs दुर्घटनाओं का उच्च जोखिम रखते हैं क्योंकि वाहन या पैदल यात्री आ रही ट्रेन से अनभिज्ञ हो सकते हैं अथवा उस समय पटरी पार करने की कोशिश कर सकते हैं जब कोई ट्रेन निकट हो।
    - वर्ष 2018-19 में भारत में सभी ट्रेन दुर्घटनाओं के 16% के लिये UMLCs ज़िम्मेदार थे।
  - रेलवे ने ब्रॉड गेज मार्गों पर सभी मानवरहित समपारों (UMLCs) को समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी भी कई मानवयुक्त समपार (MLCs) मौजूद हैं जो दुर्घटनाओं का जोखिम उत्पन्न करते हैं।

दुर्घटनाओं को कम करने के लिये रेलवे ने अब तक कौन-से कदम उठाये हैं?

- **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK):** यह महत्त्वपूर्ण परिसंपत्तियों के लिये एक सुरक्षा कोष है। इसकी स्थापना वर्ष 2017-18 में पाँच वर्ष की अवधि के लिये 1 लाख करोड़ रुपए के साथ ट्रैक नवीनीकरण, सिग्नलिंग परियोजनाओं, पुल पुनर्वास आदि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिये की गई थी।
- **तकनीकी उन्नयन:** कोच और डब्बों के बेहतर डिज़ाइन एवं विशेषताएँ। इसमें मॉडिफाइड सेंटर बफर कप्लर्स, बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम (BMBS), बेहतर सस्पेंशन डिज़ाइन और कोचों मंय ऑटोमैटिक फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम का प्रावधान शामिल है। इसमें कवच (KAVACH) को इनस्टॉल करना भी शामिल है जो स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) उपाय है।
- **LHB डिज़ाइन कोच:** मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिये हल्के और सुरक्षित कोच। ये कोच जर्मन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं और पारंपरिक ICF डिज़ाइन कोचों की तुलना में बेहतर एंटी-क्लाइम्बिंग फीचर्स, अग्निरोधी सामग्री, उच्च गति क्षमता और सुदीर्घ सेवा काल रखते हैं।
- **जीपीएस आधारित फॉग पास डिवाइस (GPS based Fog Pass Device):** धुंध की स्थिति में लोको पायलटों को नेविगेट करने में मदद करने के लिये एक डिवाइस। यह एक जीपीएस सक्षम हैंड-हेल्ड डिवाइस है जो सामने आ रहे लैंडमार्क (जैसे सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट आदि) की सटीक दूरी प्रदर्शित करता है। जब ट्रेन सिग्नल या लेवल क्रॉसिंग गेट के पास पहुँचती है तो यह लोको पायलट को एक तेज़ बज़र के साथ अलर्ट करता है।
- **आधुनिक पटरी संरचना:** मज़बूत और अधिक टिकाऊ पटरियाँ एवं पुल। इसमें प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (PSC), हायर अल्टीमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ (UTS) रेल, PSC स्लीपरों पर पंखे के आकार का लेआउट टर्नआउट, गर्डर ब्रिज पर स्टील चैनल स्लीपर आदि का उपयोग करना शामिल है।
- **अल्ट्रासोनिक दोष जाँच (Ultrasonic Flaw Detection- USFD):** दोषपूर्ण पटरियों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिये एक तकनीक। यह एक गैर-विध्वंसक परीक्षण पद्धति (non-destructive testing method) है जो पटरियों में ऐसी दरारों, दोषों या खामियों का पता लगाने के लिये उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है, जो गाड़ी के पटरी से उतरने या ऐसी अन्य दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। जाँच के बाद खराब पटरियों को नए पटरियों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
- **पटरी रखरखाव का यंत्रीकरण (Mechanization of Track Maintenance):** पटरी (ट्रैक) रखरखाव को स्वचालित और अनुकूलित करने के लिये एक प्रणाली। इसमें टैंपिंग, ड्रेसिंग, स्टेबलाइजिंग जैसे ट्रैक रखरखाव गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये ट्रैक टेम्पिंग मशीन, बलास्ट रेगुलेटिंग मशीन, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स आदि मशीनों का उपयोग करना शामिल है। यह मानवीय त्रुटियों को कम करता है और पटरियों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में सुधार करता है।
- **इंटरलॉकिंग प्रणाली (Interlocking System):** केंद्रीय रूप से पॉइंट्स और सिग्नल्स को नियंत्रित करने के लिये एक प्रणाली। यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक केंद्रीय स्थल से पॉइंट्स और सिग्नल्स को संचालित करने के लिये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करती है। यह ज़मीनी स्तर पर कर्मचारियों द्वारा पॉइंट्स और सिग्नल्स के मैन्युअल संचालन की आवश्यकता को समाप्त करती है। यह मानवीय विफलता की संभावनाओं को भी कम करती है और सुरक्षा की वृद्धि करती है।
- **मानवरहित समपारों (UMLCs) को समाप्त करना:** UMLCs को बंद करने, विलय करने, इसे मानवयुक्त करने या सबवे, अंडरब्रिज या ओवरब्रिज प्रदान कर धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है।

नोट :

रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न समितियों ने क्या अनुशंसाएँ की हैं?

- **काकोदकर समिति (2012):**
  - एक सांविधिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण (Railway Safety Authority) का गठन करना
  - सुरक्षा कार्य हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिये 1 लाख करोड़ रुपए निधि के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK) की स्थापना करना
  - ट्रैक रखरखाव और निरीक्षण के लिये उन्नत तकनीकों को अपनाना
  - मानव संसाधन विकास और प्रबंधन में सुधार लाना
  - स्वतंत्र दुर्घटना जाँच सुनिश्चित करना
- **बिबेक देबरॉय समिति (2014):**
  - रेल बजट को आम बजट से अलग करना
  - गैर-प्रमुख गतिविधियों की आउटसोर्सिंग
  - भारतीय रेलवे अवसंरचना प्राधिकरण (Railway Infrastructure Authority of India) का गठन करना
- **विनोद राय समिति (2015)**
  - एक स्वतंत्र सांविधिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण (Railway Safety Authority) का गठन करना
  - स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच करने के लिये रेलवे दुर्घटना जाँच बोर्ड (Railway Accident Investigation Board) का गठन करना।
  - रेलवे संपत्तियों के स्वामित्व और रखरखाव के लिये एक पृथक रेलवे अवसंरचना कंपनी (Railway Infrastructure Company) का निर्माण करना
  - रेलवे कर्मचारियों के लिये प्रदर्शन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (performance-linked incentive scheme) शुरू करना

भारत में रेल सुरक्षा के विस्तार के लिये और क्या किया जाना चाहिये?

- **सुरक्षा संबंधी कार्यों में निवेश बढ़ाना:** ट्रैक नवीनीकरण, रेल पुलों की मरम्मत, सिग्नलिंग अपग्रेड, कोच नवीनीकरण आदि के लिये अधिक धन का आवंटन किया जाए।
- **मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना:** पर रेलवे कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों, उपकरणों, प्रणालियों, सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं के संबंध में नियमित एवं व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- **समपार या लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना:** मानवरहित और मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग को रोड ओवरब्रिज (ROBs) या रोड अंडरब्रिज (RUBs) से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।
- **उन्नत तकनीकों को अपनाना:** 'कवच' जैसे टक्कर-रोधी उपकरण (anti-collision devices (ACDs)/ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (Train Collision Avoidance System- TCAS), ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (Train Protection Warning System- TPWS), स्वचालित ट्रेन नियंत्रण (Automatic Train Control-ATC) आदि शामिल किये जाएँ।
  - रेलवे इन तकनीकों को पटरियों के कुछ हिस्सों पर स्थापित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन पूरे नेटवर्क को कवर करने के लिये इनका विस्तार किये जाने की आवश्यकता है।
- **प्रदर्शन संबद्ध प्रोत्साहन:** रेलवे कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन और सुरक्षा नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के आधार पर पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **गैर-प्रमुख कार्यों की आउटसोर्सिंग:** अस्पतालों, कॉलेजों आदि के रखरखाव जैसी गैर-प्रमुख गतिविधियों को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे दक्षता में सुधार हो सकता है और लागत कम हो सकती है।
- **एक सांविधिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करना:** एक सांविधिक निकाय के रूप में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जाए, जिसके पास सुरक्षा मानकों को तैयार करने, सुरक्षा ऑडिट एवं निरीक्षण करने, चूक के लिये जवाबदेही एवं दंड लागू करने और दुर्घटनाओं की जाँच करने की शक्तियाँ हों।
- **नियमित सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण:** रेलवे कर्मचारियों, अवसंरचनाओं और उपकरणों के सुरक्षा प्रदर्शन की निगरानी, मूल्यांकन और लेखा-परीक्षण करना और चूक के लिये सख्त जवाबदेही एवं दंड लागू करना।
- **समन्वय और संचार को संवृद्ध करना:** रेलवे संचालन से संलग्न रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, विभिन्न डिवीजनों, उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान संगठनों आदि के बीच समन्वय एवं सुधार लाया जाए।
- **गोपनीय घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण प्रणाली (Confidential Incident Reporting and Analysis System- CIRAS) की स्थापना करना:** इसे एक ब्रिटिश विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था; एक सदृश तंत्र भारत में लागू किया जाना चाहिये जो निचले स्तर के कर्मचारियों को गोपनीयता बनाए रखते हुए वास्तविक समय में विचलन की रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित करे।

नोट :

- इस प्रणाली को आवश्यक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये, ताकि यह सभी कर्मचारियों के लिये सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सके।
- इसके साथ ही, प्रबंधन की मानसिकता को दोष ढूँढने और दंडित करने के दृष्टिकोण से एक ऐसे दृष्टिकोण में परिणत किया जाए जो सुरक्षा के लिये साझा प्रतिबद्धता पर बल देता हो, दंड के बजाय सुधार पर ध्यान केंद्रित करता हो और सभी स्तरों पर कर्मचारियों की आवाज़ को सक्रिय रूप से सुनता हो।
- रेलवे सुरक्षा के मामलों में, सभी स्तरों पर पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये दोष ढूँढने एवं दंडित करने के पारंपरिक दृष्टिकोण से साझा प्रतिबद्धता के दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ना चाहिये।

- **भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) योजना पर पुनर्विचार करना:** IRMS योजना और निष्ठा, स्वामित्व एवं सुरक्षा प्रबंधन पर इसके प्रभाव का गहन मूल्यांकन किया जाए। विशिष्ट विषयों या विभागों के प्रति विशेषज्ञता एवं निष्ठा की भावना को बनाए रखने के लिये और सुरक्षा के प्रति मज़बूत प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिये योजना को पुनरीक्षित या संशोधित करने पर विचार करने की आवश्यकता है।

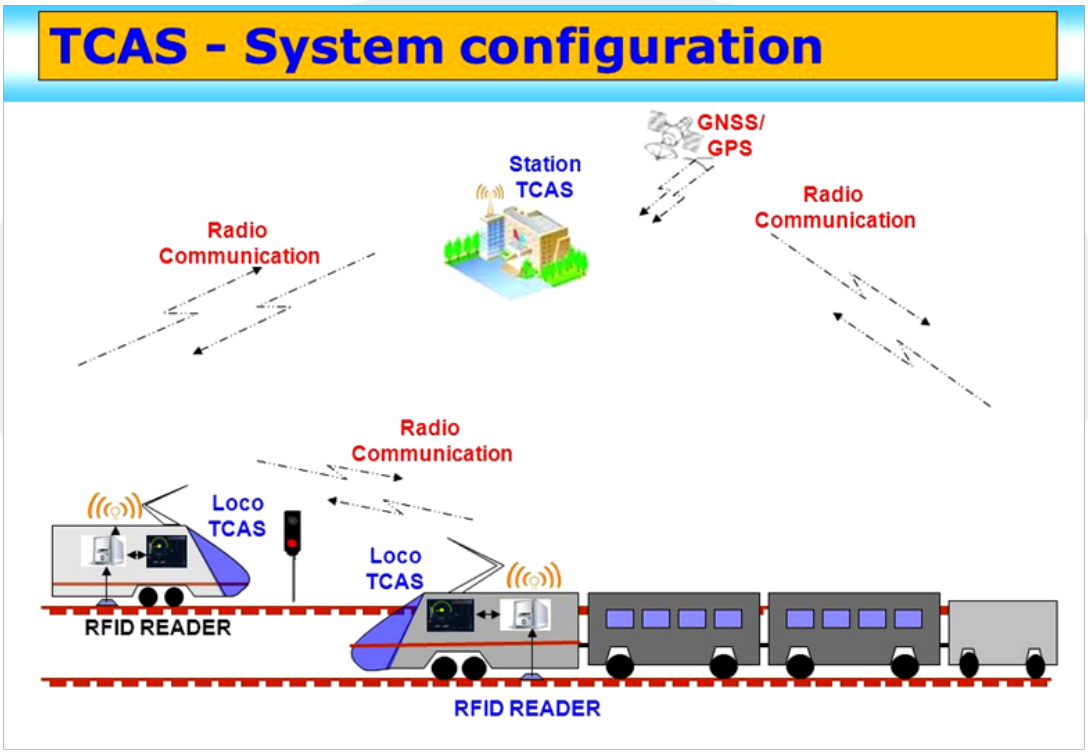

कुछ सर्वोत्तम वैश्विक प्रयासों के उदाहरण

- **यूनाइटेड किंगडम:** UK में ,यूरोप में सबसे कम रेल दुर्घटनाओं की दर वाले देशों में से एक है। यूके ने विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू किया है, जैसे:
  - ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम (TPWS), जो खतरे की स्थिति में या गति सीमा से अधिक होने पर सिग्नल से गुज़रती ट्रेनों को स्वचालित रूप से रोक देता है।
  - यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ETCS), जो ट्रेनों और सिग्नलिंग केंद्रों के बीच निरंतर संचार प्रदान करता है।
  - रेल एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्रांच (RAIB), जो रेल दुर्घटनाओं एवं अन्य घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच करती है।
- **जापान:** जापान को अपनी हाई-स्पीड ट्रेनों के लिये जाना जाता है, जैसे कि शिंकानसेन या बुलेट ट्रेन, जो 320 किमी/घंटा तक की गति से चलती हैं। जापान ने वर्ष 1964 में शिंकानसेन के परिचालन शुरू होने के बाद से शून्य यात्री मृत्यु के साथ सुरक्षा का एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड हासिल किया है। जापान ने विभिन्न सुरक्षा उपायों को अपनाया है, जैसे:

नोट :

- ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल (ATC) प्रणाली, जो ट्रेनों की गति एवं ब्रेकिंग की निगरानी और नियंत्रण करती है।
- व्यापक स्वचालित ट्रेन निरीक्षण प्रणाली (Comprehensive Automatic Train Inspection System- CATIS), जो सेंसर और कैमरों का उपयोग कर ट्रेनों में दोषों का पता लगाती है।
- भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली (Earthquake Early Warning System- EEWS), जो भूकंपीय गतिविधि के मामले में ट्रेनों को रोकने या धीमा करने के लिये सचेत करती है।

भारतीय औषधियों के समक्ष नियामक चुनौतियाँ

भारत विश्व में फार्मास्युटिकल उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, जो जेनेरिक दवाओं (generic drugs) की वैश्विक मांग के लगभग 20% की पूर्ति करता है। भारत विश्व में जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology) के लिये शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिये तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। वर्ष 2022 में भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि के साथ 80.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर लिया।

भारत के फार्मा उद्योग ने दुनिया भर में, विशेषकर विकासशील देशों में लाखों लोगों के लिये स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और सस्ती दवाओं तक पहुँच में योगदान दिया है। हालाँकि, भारत के फार्मा उद्योग को गुणवत्ताहीन, दूषित या हानिकारक दवाओं के उत्पादन के विभिन्न आरोपों और घटनाओं का भी सामना करना पड़ा है, जिसके कारण श्रीलंका, गाम्बिया, उज़्बेकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि कई देशों में रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और मौतें भी हुईं ।

इन घटनाओं ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा/अहानिकारकता (quality and safety) और मानकों एवं मानदंडों (standards and norms) के अनुपालन को सुनिश्चित करने में भारतीय दवा नियामक की भूमिका एवं प्रभावशीलता के बारे में गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है।

दवाओं के अपर्याप्त सुरक्षा मानकों के संभावित कारण कौन-से हैं?

- **उपयुक्त विनियमन और प्रवर्तन का अभाव:**
  - भारत का दवा विनियमन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) के तहत शासित है, जो पुराना हो चुका है और आधुनिक फार्मा बाज़ार की जटिलताओं एवं चुनौतियों से निपटने के लिये अनुपयुक्त है।
  - यह अधिनियम नैदानिक परीक्षण (clinical trials), जैव-समतुल्यता अध्ययन (bioequivalence studies), सुव्यवस्थित विनिर्माण अभ्यासों (good manufacturing practices) जैसे कई पहलुओं को दायरे में नहीं लेता, जो दवाओं की गुणवत्ता और इनसे जुड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं।
  - इसके अलावा, अधिनियम का कार्यान्वयन कमज़ोर और खंडित है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य स्तर पर कई प्राधिकरणों को संलग्न करता है जिनके बीच क्षेत्राधिकार और उत्तरदायित्व के ओवरलैपिंग की स्थिति बनती है।
- **अपर्याप्त संसाधन:**
  - दवा निर्माण इकाइयों और उनके उत्पादों के प्रभावी निरीक्षण (inspection), परीक्षण (testing), निगरानी (monitoring) एवं अवेक्षण (surveillance) के लिये जनशक्ति, अवसंरचना, धन और प्रौद्योगिकी की कमी की समस्या भी मौजूद है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव:**
  - भारत का दवा नियामक- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO) अपनी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, परिणामों आदि के बारे में आम लोगों या मीडिया को अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है।
  - गुणवत्ताहीन या नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में इसके कार्य-प्रदर्शन या प्रभाव का मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है।
    - यह सुनिश्चित करने के लिये भी कोई तंत्र मौजूद नहीं है कि भारत का दवा नियामक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सरकार या उद्योग के बाह्य प्रभावों या दबाव से मुक्त है।
    - CDSCO के कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, कुछ फार्मा कंपनियों के साथ मिलीभगत और हितों के टकराव के आरोप भी लगे हैं।
- **फार्मा कंपनियों में जागरूकता और अनुपालन की कमी :**
  - भारत में कुछ फार्मा कंपनियाँ दवाओं के निर्माण, परीक्षण, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण के लिये निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का पालन नहीं करती हैं।
    - कुछ फार्मा कंपनियां लागत में कटौती या मुनाफा बढ़ाने के लिये अनैतिक या अवैध अभ्यासों का भी सहारा लेती हैं, जैसे गुणवत्ताहीन या नकली कच्चे माल का उपयोग करना, दवाओं में मिलावट करना या उन्हें तनु करना, डेटा या दस्तावेजों में गलत दावे या हेराफेरी करना आदि।

नोट :

- वे विभिन्न बाज़ारों या देशों के लिये नियामक आवश्यकताओं या दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता या ज्ञान का अभाव भी रखते हैं।
- उनके पास अपने उत्पादों में त्रुटियों या दोषों का पता लगाने अथवा उन पर अंकुश लगाने के लिये पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों या तंत्रों का अभाव भी हो सकता है।

अप्रभावी विनियमों के क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं?

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य का नुकसान:**
  - भारतीय फार्मा उत्पादों की खराब गुणवत्ता और सुरक्षा इनका सेवन करने वाले रोगियों में संक्रमण, एलर्जी, अंग क्षति, विषाक्तता जैसे प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुँचा सकती है।
  - इससे उन रोगियों में उपचार विफलता, दवा प्रतिरोध, जटिलताएँ या मृत्यु की स्थिति बन सकती है जो एचआईवी/एड्स, तपेदिक, मलेरिया, कैंसर जैसी गंभीर या प्राणघातक बीमारियों से पीड़ित हैं।
  - सार्वजनिक विश्वास की हानि:
  - अप्रभावी विनियमन फार्मा उत्पादों के प्रति रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के भरोसे को कमज़ोर करता है।
- **आर्थिक विकास का नुकसान:**
  - भारतीय फार्मा उत्पादों की खराब गुणवत्ता एवं सुरक्षा वैश्विक बाज़ार में भारत के फार्मा उद्योग की प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित कर आर्थिक विकास को नुकसान पहुँचा सकती है।
  - यह विदेशी नियामकों या ग्राहकों द्वारा उत्पादों पर प्रतिबंध, रिकॉल या अस्वीकृति के कारण भारतीय फार्मा कंपनियों के लिये बाज़ार हिस्सेदारी, राजस्व और मुनाफे की हानि का कारण बन सकता है।
  - इसके परिणामस्वरूप, भारतीय फार्मा क्षेत्र के लिये विदेशी मुद्रा आय अर्जन, रोज़गार अवसरों और निवेश के नुकसान की स्थिति बन सकती है।
  - ये अन्य देशों के कानूनों या मानदंडों का उल्लंघन करने के लिये भारत के फार्मा उद्योग को कानूनी देनदारियों या दंड का भागी बना सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नुकसान:**
  - भारतीय फार्मा उत्पादों की खराब गुणवत्ता एवं सुरक्षा वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में एक ज़िम्मेदार एवं विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की छवि एवं साख को प्रभावित करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुँचा सकती है।
  - इससे भारत और भारत से प्राप्त हुए घटिया या हानिकारक दवाओं से प्रभावित अन्य देशों के बीच राजनयिक तनाव या संघर्ष पैदा हो सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नुकसान:**
  - ये पैंडेमिक, एपिडेमिक जैसे साझा स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में अन्य देशों या संगठनों के साथ भारत के सहयोग या सहकार्यता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

भारत में औषधियों और फार्मास्युटिकल को विनियमित करने वाली प्रमुख संस्थाएँ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	वाणिज्य मंत्रालय	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	पर्यावरण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS)	औषधि विभाग	पेटेंट कार्यालय	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)	विनिर्माण के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)				
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), जिसकी अध्यक्षता भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) करते हैं + वैधानिक समितियाँ + सलाहकार समितियाँ	राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA); औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO) 2013	पेटेंट महानियंत्रक (Controller General of Patent)	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) प्रयोगशालाएँ	

नोट :

आगे की राह

- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन करना:**
  - सरकार को फार्मा क्षेत्र के सभी पहलुओं और चुनौतियों को संबोधित करने के लिये दवा विनियमन हेतु मौजूद कानूनी ढाँचे को अद्यतन करना चाहिये तथा विभिन्न श्रेणियों की दवाओं एवं बाज़ारों के लिये स्पष्ट और एकसमान मानक एवं मानदंड प्रदान करना चाहिये।
- **दवा नियामक संरचना एवं कार्यकरण को सुव्यवस्थित और युक्तिसंगत बनाना:**
  - सरकार को संपूर्ण फार्मा क्षेत्र को विनियमित करने और दवा कानूनों एवं मानदंडों के प्रभावी प्रवर्तन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त शक्तियों, संसाधनों, विशेषज्ञता एवं स्वायत्तता के साथ एक एकल केंद्रीय प्राधिकरण का गठन करना चाहिये।
- **फार्मा उद्योग में गुणवत्ता एवं सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना:**
  - मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन करने और उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाओं का उत्पादन करने के साथ ही स्वैच्छिक स्व-नियमन और गुणवत्ता प्रमाणन योजनाओं को अपनाने के लिये फार्मा उद्योग को प्रेरित करने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन, मान्यता, समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिये।

स्थानीय निकाय निर्वाचन एवं चिंताएँ

राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission-SEC) एक स्वायत्त एवं संवैधानिक निकाय है जो किसी राज्य में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराने के लिये उत्तरदायी है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये निर्दिष्ट आधारों और रीति के अलावा अन्य किसी प्रकार से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहरहित तरीके से आयोजित किये जाएँ तथा वह मतदाता सूची को अद्यतन करने और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC) लागू करने में भी भूमिका निभाता है।

स्थानीय निकाय चुनाव भारत में लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि वे ज़मीनी स्तर पर लोगों को शासन एवं विकास गतिविधि में भागीदारी हेतु सशक्त बनाते हैं। हालाँकि, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में इन चुनावों में राजनीतिक हिंसा और भयादोहन के दृष्टांत देखने को मिले हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधि के शासन को कमज़ोर करते हैं।

स्थानीय चुनाव में हिंसा के कारण और परिणाम

- **कारण:**
  - शक्ति और संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा:
    - जब चुनावों को एक 'ज़ीरो-सम गेम' के रूप में देखा जाता है, जहाँ विजेता को सब कुछ प्राप्त होता है और पराजित को कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर सब कुछ दाँव पर लगा होता है और हिंसा की प्रेरणा प्रबल होती है। इससे फिर राजनीतिक विरोधियों, समर्थकों या चुनाव अधिकारियों को धमकी देने, उनके उत्पीड़न या हत्या करने जैसी स्थिति बन सकती है।
  - जातीय या धार्मिक ध्रुवीकरण:
    - जब चुनाव जातीय या धार्मिक आधार पर लड़े जाते हैं तो वे पहले से मौजूद आपसी दरारों और शिकायतों को बढ़ा सकते हैं तथा कुछ समूहों के लिये अस्तित्व संबंधी खतरे की भावना उत्पन्न कर सकते हैं।
    - ये विद्वेषपूर्ण भाषण (Hate Speech), भेदभाव या सांप्रदायिक झड़पों के कारण बन सकते हैं।
  - कमज़ोर संस्थाएँ और विधि का शासन:
    - जब चुनाव सुप्रबंधित, पारदर्शी या विश्वसनीय नहीं होते हैं तो वे चुनावी प्रक्रिया और इसके परिणाम में भरोसे एवं वैधता को कमज़ोर कर सकते हैं।
    - इससे पराजित पक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन, दंगे या परिणामों को अस्वीकार करने की स्थिति बन सकती है।
  - संगठित हिंसा के अन्य रूप:
    - जब चुनाव ऐसे परिदृश्यों में आयोजित होते हैं जब गृह युद्ध, विद्रोह, आतंकवाद या आपराधिक गतिविधियों की स्थिति हो तो वे हिंसा के इन रूपों से प्रभावित हो सकते हैं या नई तरह की हिंसा को प्रेरित कर सकते हैं।
    - इससे चुनावी प्रक्रिया या मतदाताओं के लिये व्यवधान, उनके भयादोहन या उन पर दबाव निर्माण की स्थिति बन सकती है।
- **परिणाम:**
  - मानव अधिकारों और गरिमा का उल्लंघन:
    - राजनीतिक हिंसा पीड़ितों और उनके परिवारों के लिये शारीरिक क्षति, मनोवैज्ञानिक आघात, विस्थापन या मृत्यु का कारण बन सकती है।
  - चुनावी अखंडता और जवाबदेही को कमज़ोर करना:
    - राजनीतिक हिंसा लोगों की इच्छा को विकृत कर सकती है, मतदान प्रतिशत को कम कर सकती है अथवा भय या पक्षपात के रूप में मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकती है।

नोट :

- यह चुनावी विवादों की प्रभावी निगरानी, अवलोकन या न्यायनिर्णयन को भी रोक सकता है।

- भरोसे और सामाजिक सामंजस्य की हानि:
  - राजनीतिक हिंसा चुनावी संस्थानों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा एवं वैधता को नुकसान पहुँचा सकती है।
  - यह समाज में विभिन्न समूहों के बीच ध्रुवीकरण, आक्रोश या शत्रुता को भी बढ़ा सकती है।
- विकास और स्थिरता के लिये बाधा:
  - राजनीतिक हिंसा आर्थिक गतिविधियों, सार्वजनिक सेवाओं या आधारभूत संरचना को बाधित कर सकती है।
  - यह असुरक्षा, अनिश्चितता या अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है जो निवेश, विकास या सहयोग को बाधित कर सकती है।

हिंसा पर अंकुश लगाने में राज्य चुनाव आयोग की भूमिका

- राजनीतिक हिंसा पर अंकुश लगाने में राज्य चुनाव आयोग (SEC) की भूमिका यह सुनिश्चित करने के रूप में प्रकट होती है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्वाग्रहरहित तरीके से आयोजित किये जाएँ।
- SEC के पास मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों एवं नगर निकायों के सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति है।
- SEC प्रत्येक चुनाव से पहले विभिन्न उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा पालन किये जाने वाले आदर्श आचार संहिता को भी लागू करता है ताकि चुनावी प्रक्रिया की मर्यादा बनी रहे।
- SEC बूथ कैप्चरिंग, धांधली, हिंसा और अन्य अनियमितताओं के मामले में चुनाव रद्द करने की भी शक्ति रखता है।
- SEC से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है।

SEC के कार्यकरण में विद्यमान चुनौतियाँ

- **स्वायत्तता का अभाव:**
  - हालाँकि राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न अवसरों पर भारत के संविधान में निहित अपने कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें अपनी स्वायत्तता प्रकट कर सकने के लिये संघर्ष भी करना पड़ा है। उदाहरण के लिये:
  - महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयुक्त ने बलपूर्वक अभिव्यक्त किया था कि उनके पास महापौर, उप-महापौर, सरपंच और उप-सरपंच पदों के लिये चुनाव कराने की शक्ति होनी चाहिये ।
  - लेकिन राज्य विधानसभा ने उनके अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों के संबंध में कथित संघर्ष के मामले में उन्हें विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी पाया और मार्च 2008 मंन दो दिनों के लिये जेल भेज दिया।
- **राज्य चुनाव आयुक्त के लिये सुरक्षा का अभाव:**
  - हालाँकि राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये निर्दिष्ट आधार एवं रीति के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से नहीं हटाने का उपबंध है (अनुच्छेद 243K(2)), लेकिन कई दृष्टांतों में इसका पालन नहीं किया गया है।
  - अपारमिता प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राज्यपाल के पास नियम द्वारा कार्यकाल तय करने या निर्धारित करने की शक्ति है तो उन्हें कार्यकाल की अवधि बढ़ाने के लिये या उसे कम करने के लिये नियम में संशोधन करने की भी शक्ति प्राप्त है।
  - एक बार जब निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो निवर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त पद से हट जाता है और यह पद से हटाने के समान नहीं होता है।
- **राज्य चुनाव आयुक्तों के लिये गैर-समान सेवा शर्तें:**
  - अनुच्छेद 243K(2) में कहा गया है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार निर्देशित की जाएगी और इस प्रकार प्रत्येक राज्य चुनाव आयुक्त एक पृथक राज्य अधिनियम द्वारा शासित होता है।
  - यह राज्यों को नियमों में एकतरफा तरीके से संशोधन करने की शक्ति देता है और यहाँ तक कि कई बार वे विधायी संवीक्षा को दरकिनार करने के लिये अध्यादेश का भी उपयोग करते हैं (जैसा कि हाल में आंध्र प्रदेश में दिखा)।

राज्य चुनाव आयोग को सशक्त करने के उपाय

राज्य चुनाव आयोग को सशक्त करने से स्थानीय चुनावों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने मंत मदद मिल सकती है, साथ ही राजनीतिक हिंसा को रोकने या कम करने में भी मदद मिल सकती है। राज्य चुनाव आयोग को सशक्त करने के कुछ संभावित उपाय निम्नलिखित हैं:

- **पर्याप्त संसाधन और कर्मी सुनिश्चित करना:**
  - राज्य चुनाव आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा करने के लिये पर्याप्त धन, कार्मिक, साधन और अवसंरचना होनी चाहिये।

नोट :

- राज्यपाल को राज्य चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने चाहिये जो उसके कार्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों।

- **स्वतंत्रता और जवाबदेही बढ़ाना:**
  - राज्य चुनाव आयोग को किसी भी स्रोत से राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाव या प्रभाव से मुक्त होना चाहिये।
  - राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये निर्दिष्ट आधार एवं रीति के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जाना चाहिये। राज्य चुनाव आयोग को अपने कार्यों एवं निर्णयों के लिये जनता और कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिये।
- **चुनावी प्रबंधन और विवाद समाधान की स्थिति में सुधार करना:**
  - राज्य चुनाव आयोग को मतदाता पंजीकरण, मतदाता शिक्षा, मतदान व्यवस्था, गिनती और परिणामों की घोषणा जैसे चुनावी प्रबंधन के लिये सर्वोत्तम अभ्यासों एवं मानकों को अपनाना चाहिये।
  - राज्य चुनाव आयोग के पास चुनाव संबंधी विवादों, आक्षेपों एवं शिकायतों को समय पर और निष्पक्ष तरीके से हल करने के लिये एक प्रभावी तंत्र भी होना चाहिये।

पोषक अनाजों का घटता कृषि क्षेत्र

मोटे अनाज/कदन्न या मिलेट्स (Millets), जिन्हें पोषक अनाज फसलों के रूप में भी जाना जाता है, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन और ऐसे कई अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व प्रदान करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की वृहत आबादी के बीच सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी के उच्च प्रसार को देखते हुए, इन पोषक अनाज फसलों के शस्य या खेती क्षेत्र (cultivation area) में आ रही कमी पोषण सुरक्षा के लिये एक उल्लेखनीय खतरा उत्पन्न करती है।

इन फसलों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए और उपभोक्ताओं के बीच उनके उपभोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में मोटे अनाजों का नाम बदलकर पोषक अनाज करने की अधिसूचना जारी करने के रूप में एक सक्रिय कदम उठाया था।

किसानों को मोटे अनाज उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये केंद्र ने नियमित रूप से इन फसलों के लिये आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की है। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद पोषक अनाज फसलों के खेती क्षेत्र में गिरावट की प्रवृत्ति जारी है।

पोषक अनाजों के खेती क्षेत्र में गिरावट क्यों जारी है?

- **हरित क्रांति का प्रभाव:**
  - हरित क्रांति (Green Revolution) ने खाद्य सुरक्षा की वृद्धि करने के साथ ही फसल पैटर्न में कुछ अवांछनीय परिवर्तनों को भी प्रेरित किया है। इसके कारण जल-गहन फसलों (धान, गन्ना, केला, गेहूँ आदि) के कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि जल की कम खपत करने वाले पोषक अनाज फसलों का कृषि क्षेत्र वर्ष 1965-66 में 44.34 मिलियन हेक्टेयर (mha) से तेज़ी से घटकर वर्ष 2021-22 में 22.65 मिलियन हेक्टेयर रह गया (49% गिरावट)।
- **निम्न उत्पादकता और कमज़ोर अवसंरचना:**
  - निम्न उत्पादकता, बीजों की कम उपलब्धता, अपर्याप्त प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन सुविधाएँ और पोषक अनाजों के लिये कमज़ोर बाज़ार लिंकेज।
  - पोषक अनाजों को ऐतिहासिक रूप से 'निर्धनों का खाद्य' (poor man's food) माना जाता रहा है और चावल एवं गेहूँ के लिये बढ़ती प्राथमिकता के कारण इनकी मांग में कमी आई है।
  - अपर्याप्त बाज़ार मांग और निम्न मूल्य प्रदान करने वाले प्रोत्साहन उपाय किसानों को इन पोषक अनाजों की खेती में निवेश करने से हतोत्साहित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निम्न उत्पादकता की स्थिति बनती है।
- **आहार संबंधी प्राथमिकताओं का बदलना:**
  - लोगों की खान-पान की आदतें और प्राथमिकताएँ समय के साथ बदलती रहती हैं। यदि अन्य प्रकार के ब्रेकफास्ट खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में उल्लेखनीय बदलाव आये या सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के लिये प्राथमिकता की वृद्धि हो तो यह पोषक अनाजों की मांग को प्रभावित कर सकता है।
- **प्रतिस्पर्द्धा की वृद्धि:**
  - अनाज बाज़ार अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी है जहाँ उपभोक्ताओं के लिये कई विकल्प उपलब्ध हैं।
    - नए ब्रेकफास्ट उत्पादों का प्रसार हो सकता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के अनाज, ग्रेनोला (granolas), ब्रेकफास्ट बार या दही-आधारित ब्रेकफास्ट विकल्प शामिल हैं।
    - प्रतिस्पर्द्धा की इस वृद्धि से पोषक अनाजों की बाज़ार हिस्सेदारी में गिरावट आ सकती है।
- **विपणन और नवाचार का अभाव:**
  - प्रभावी विपणन रणनीतियों या उत्पाद विकास में नवाचार की कमी हो तो पोषक अनाज को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

नोट :

- उपभोक्ता प्राय: नए और रोमांचक उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिये यदि पोषक अनाज विपणन अभियानों के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करने में विफल रहते हैं या नए संस्करण या स्वाद (flavors) पेश करने में विफल रहते हैं तो इससे बिक्री में गिरावट आ सकती है।

- **धारणा और स्वाद संबंधी प्राथमिकताएँ:**
  - स्वाद संबंधी प्राथमिकताएँ (Taste Preferences) खाद्य उत्पादों की सफलता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। यदि उपभोक्ताओं को पोषक अनाज स्वाद के मामले में फीके या अरुचिकर लगते हैं तो वे ऐसे अन्य ब्रेकफास्ट विकल्पों को चुनते हैं जिन्हें अधिक स्वादिष्ट या बेहतर मानते हैं।

Widening gap

Trends in nutri cereals area Vs paddy + wheat area in India CHART

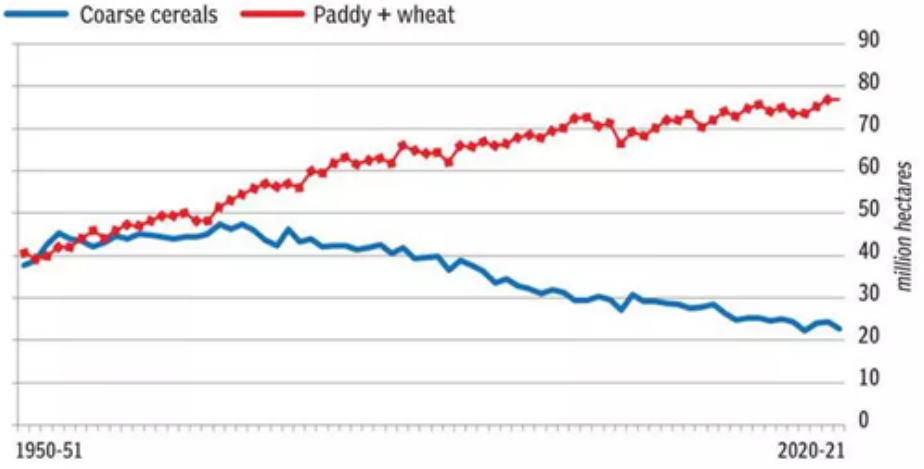

Profitability of nutri-cereal crops Vs other crops in 2019-20 *(value in ₹/ha)* TABLE

Crop's name	Leading State	Paid-out cost (A2+FL)	Total cost (C2)	Value of output	Profit/loss	
					In relation to cost A2+FL	In relation to cost C2
Paddy	Andhra Pradesh	69,412	1,00,107	1,07,400	37,988	7,293
Wheat	Punjab	37,823	72,236	94,583	56,760	22,347
Jowar	Maharashtra	41,569	57,066	41,552	-17	-15,514
Bajra	Rajasthan	27,647	35,530	19,850	-7,797	-15,680
Ragi	Maharashtra	60,047	67,389	30,295	-29,752	-37,094
Maize	Rajasthan	43,868	55,791	36,223	-7,645	-19,568
Tur	Karnataka	29,491	42,459	44,672	15,181	2,213
Gram	Rajasthan	30,868	43,757	50,955	200,87	7,198
Groundnut	Gujarat	65,334	84,342	85,140	19,806	798
Rapeseed & Mustard	Rajasthan	35,557	49,514	65,235	29,678	15,721
Cotton	Gujarat	65,198	86,458	94,271	29,073	7,813

नोट :

पोषक अनाजों की खेती बढ़ाने के क्या फायदे हैं?

- **पोषण:**
  - पोषक अनाज आहार फाइबर, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। वे पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में पोषण संबंधी कमी के विरुद्ध ढाल के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- **जलवायु प्रत्यास्थता:**
  - पोषक अनाज सूखा-सहिष्णु एवं कीट-प्रतिरोधी होते हैं और कम लागत के साथ सीमांत भूमि में उगाये जा सकते हैं। वे बदलती जलवायु दशाओं के अनुकूल ढल सकते हैं और फसल विफलता के जोखिम को कम कर सकते हैं।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:**
  - पोषक अनाज जल एवं ऊर्जा की कम आवश्यकता रखते हैं और मृदा स्वास्थ्य एवं जैव विविधता में सुधार कर सकते हैं। वे चावल एवं गेहूँ की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जल प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:**
  - पोषक अनाज छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिलाओं और आदिवासी समुदायों के लिये आय के अवसर प्रदान कर सकते हैं, जो इन फसलों के मुख्य उत्पादक हैं।
  - वे ग्रामीण उद्यमियों के लिये मूल्य-वर्द्धन और प्रसंस्करण क्षमता भी उत्पन्न कर सकते हैं।

कुछ उदाहरण:

- **ज्वार (Sorghum):** यह एक ग्लूटेन-मुक्त अनाज है जो प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।
- **बाजरा (Pearl millet):** यह एक सूखा-सहिष्णु अनाज है जो प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं जिंक जैसे खनिजों से समृद्ध होता है। यह एनीमिया को रोकने और पाचन में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- **रागी (Finger millet):** यह ऐसा अनाज है जिसमें सभी अनाजों की तुलना में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह आयरन, फाइबर और अमीनो एसिड का भी अच्छा स्रोत है। यह हड्डियों एवं दाँतों को मज़बूत बनाने और मधुमेह को रोकने में मदद कर सकता है।
- **काकुन (Foxtail millet):** यह प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अनाज है। यह रक्तचाप एवं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- **कोदों (Kodo millet):** एक अनाज जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (glycemic index) निम्न है और इसमें फाइबर एवं फाइटोकेमिकल्स की मात्रा अधिक होती है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और मोटापे को रोकने में मदद कर सकता है।
- **साँवा (Barnyard millet):** एक अनाज जिसमें अन्य सभी मोटे अनाजों से अधिक फाइबर सामग्री होती है। इसमें आयरन और कैल्शियम की भी उच्च मात्रा होती है। यह कब्ज को रोकने और रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- **कुटकी (Little millet):** एक अनाज जो प्रोटीन, फाइबर और आयरन, ज़िंक एवं पोटैशियम जैसे खनिजों से भरपूर होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोगों को रोकने में मदद कर सकता है।
- **चेना/बैरी (Proso millet):** यह प्रोटीन, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह मांसपेशियों एवं तंत्रिका कार्यों को बेहतर बनाने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने में मदद कर सकता है।

मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख सरकारी पहलें

- **अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (International Year of Millets):**
  - वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों के महत्त्व को चिह्नित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' (भारत द्वारा प्रायोजित) के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव अपनाया।
  - यह पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने और सतत कृषि को बढ़ावा देने में मोटे अनाजों के महत्त्व को उजागर करता है। भारत में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी खेती एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2018 को 'राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' (National Year of Millets) के रूप में मनाया गया।
- **'री-ब्रांडिंग':**
  - मोटे अनाजों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने उनके पोषण मूल्य पर बल देते हुए उन्हें आधिकारिक तौर पर पोषक अनाज या 'न्यूट्री-सीरियल्स' (Nutri-Cereals) के रूप में नामित किया है।

नोट :

- **किसान हितैषी योजनाएँ:**
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2011-12 में मोटे अनाजों को पोषक अनाज के रूप में बढ़ावा देने के लिये 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया।
    - इस योजना का उद्देश्य एकीकृत उत्पादन और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना था, जिसका एक स्पष्ट प्रभाव उत्पन्न हो जो देश भर में मोटे अनाज उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा।
  - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पोषक अनाजों के लिये कृषि क्षेत्र, उत्पादन और उपज को बढ़ावा देने के लिये 600 करोड़ रुपए की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।
    - इसका लक्ष्य स्थानीय स्थलाकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ पोषक अनाजों की खेती को संगत बनाना है। सरकार किसानों को भारत के विविध 127 कृषि-जलवायु क्षेत्रों के साथ अपने फसल पैटर्न को संरेखित करने के लिये भी प्रोत्साहित कर रही है।
- **सीड किट और उपकरणों का प्रावधान:**
  - सरकार पोषक अनाजों की खेती को समर्थन देने के लिये किसानों को सीड किट (seed kits) और आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा रही है।
  - इसके अतिरिक्त, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सहायता के माध्यम से मूल्य शृंखला का निर्माण करने और पोषक अनाजों की विपणन क्षमता का समर्थन करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि:**
  - मोटे अनाजों के महत्त्व को चिह्नित करते हुए सरकार ने इन फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की है, जहाँ किसानों को उल्लेखनीय मूल्य प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस वृद्धि से कृषि क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समावेशन:**
  - मोटा अनाज उपज के लिये एक स्थिर बाज़ार सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में शामिल किया है। यह कदम उपभोक्ताओं के लिये मोटे अनाजों की पहुँच एवं उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे उनकी खपत को और बढ़ावा मिलता है।

आगे की राह

- **खाद्य उद्योग के साथ सहयोग:**
  - बाज़ार में उपलब्ध पोषक अनाज उत्पादों की शृंखला का विस्तार करने के लिये खाद्य निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - विभिन्न उपभोक्ता खंडों की मांग की पूर्ति के लिये नए स्वादों, सुविधाजनक पैकेजिंग विकल्पों और उत्पाद नवाचारों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **विद्यालयी और सामुदायिक कार्यक्रमों का संचालन:**
  - पोषक अनाज को विद्यालय के भोजन कार्यक्रमों और स्वस्थ आहार आदतों को बढ़ावा देने वाले सामुदायिक पहलों में एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - इसमें विद्यालय मध्याह्न भोजन में पोषक अनाज उपलब्ध कराना, पोषण कार्यशालाएँ आयोजित करना और उनके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये स्थानीय संगठनों के साथ सहयोग करना शामिल हो सकता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ सहयोग:**
  - विभिन्न स्वास्थ्य दशाओं के लिये आहार संबंधी अनुशंसाओं और उपचार योजनाओं में पोषक अनाजों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिये स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, आहार विशेषज्ञों एवं पोषण विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।
    - इससे उपभोक्ताओं के बीच साख एवं भरोसे के निर्माण में मदद मिल सकती है।
- **उपभोक्ता संलग्नता को प्रोत्साहित करना:**
  - प्रतियोगिताओं, 'चैलेंज' और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता भागीदारी को प्रोत्साहित करना जो पोषक अनाजों के उपभोग को बढ़ावा दे।
  - आहार में पोषक अनाज को शामिल करने से संबंधित अनुभवों, नए व्यंजनों और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिये एक मंच का निर्माण किया जाना चाहिये।

भारतीय संघवाद की जटिलता

संघवाद (Federalism) सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों, जैसे केंद्र और राज्यों अथवा प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन की अनुमति देता है।

भारतीय संविधान कुछ एकात्मक विशेषताओं (unitary features) के साथ एक संघीय प्रणाली (federal system) स्थापित करता है। इसे कभी-कभी अर्द्ध-संघीय प्रणाली (quasi-federal system) भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 'फ़ेडरेशन' और 'यूनियन' दोनों के तत्व शामिल होते हैं। संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी, प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियों के

नोट :

वितरण को निर्दिष्ट करता है। विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो संघ सरकार एवं राज्य सरकारों को प्रदत्त शक्तियों और उनके बीच साझा की गई शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। संविधान राजनीतिक शक्ति वितरण के कई तरीकों के साथ एक बहुस्तरीय या बहु-संस्तरीय संघ (multilevel or multilayered federation) की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

भारतीय संघवाद अपने संदर्भ में अद्वितीय है, क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के तहत प्रचलित एकात्मक प्रणाली से स्वतंत्रता के बाद एक संघीय प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। भारतीय संघवाद को समय के साथ कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे कि रियासतों (princely states) का एकीकरण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, क्षेत्रीय आंदोलन एवं स्वायत्तता की मांग, केंद्र-राज्य संबंध एवं संघर्ष, राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) एवं संसाधन साझाकरण, सहकारी संघवाद (cooperative federalism), अंतर-राज्य समन्वय आदि।

संघीय प्रणालियों के विभिन्न प्रकार

- **'होल्डिंग टूगेदर फ़ेडरेशन' (Holding Together Federation):** इस प्रकार के संघ में संपूर्ण इकाई में विविधता को समायोजित करने के लिये विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। यहाँ शक्तियाँ आम तौर पर केंद्रीय सत्ता की ओर झुकी होती हैं। उदाहरण: भारत, स्पेन, बेल्जियम।
- **'कमिंग टूगेदर फ़ेडरेशन' (Coming Together Federation):** इस प्रकार के संघ में स्वतंत्र राज्य एक बड़ी इकाई बनाने के लिये एक साथ आते हैं। यहाँ राज्यों को 'होल्डिंग टूगेदर फ़ेडरेशन' के रूप में गठित संघ की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड।
- **असममित संघ (Asymmetrical Federation):** इस प्रकार के संघ में कुछ घटक इकाइयों के पास ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारणों से अन्य की तुलना में अधिक शक्तियाँ या विशेष स्थिति होती है। उदाहरण: कनाडा (क्यूबेक), रूस (चेचन्या), इथियोपिया (टाइग्रे)।

संघ के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **क्षेत्रवाद (Regionalism):**
  - भाषाई, जातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान पर आधारित क्षेत्रीय दलों और आंदोलनों के उदय ने भारत की राष्ट्रीय अखंडता एवं एकता के लिये चुनौती पेश की है।
  - कुछ क्षेत्रों या समूहों ने अधिक स्वायत्तता, विशेष दर्जा या यहाँ तक कि भारतीय संघ से अलग होने की मांग की है।
    - उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, असम में बोडोलैंड की मांग आदि।
- **शक्तियों का विभाजन (Division of Powers):**
  - केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट और संतुलित नहीं है।
  - केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ एवं संसाधन हैं और वह राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की भूमिका, केंद्रीय कानून आदि विभिन्न माध्यमों से उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्यों के पास अपने स्वयं के विकास और कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाने के लिये सीमित स्वायत्तता एवं वित्तीय अवसर मौजूद हैं।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 2016 में संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर केंद्र द्वारा अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया।
- **राजकोषीय संघवाद का अभाव (Absence of Fiscal Federalism):**
  - केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध न्यायसंगत एवं पारदर्शी नहीं हैं। अधिकांश करों का संग्रह केंद्र द्वारा किया जाता है और वह अपने विवेक या कुछ मानदंडों के अनुसार राज्यों को इसका वितरण करता है।
  - राज्य सहायता अनुदान, ऋण और अन्य हस्तांतरण के लिये केंद्र पर निर्भर होते हैं। राज्यों के पास कराधान शक्तियाँ और उधार लेने की क्षमताएँ सीमित होती हैं।
    - उदाहरण के लिये, कई राज्यों ने जीएसटी कार्यान्वयन के कारण हुए राजस्व घाटे के लिये अपर्याप्त मुआवजे के संबंध में शिकायत की है।
- **इकाइयों का असमान प्रतिनिधित्व (Unequal Representation of Units):**
  - संसद और अन्य संघीय संस्थानों में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या, क्षेत्र या योगदान के अनुपात में नहीं है। कुछ राज्यों के अति प्रतिनिधित्व तो अन्य राज्यों के अल्प प्रतिनिधित्व की समस्या उत्पन्न हुई है।
- उदाहरण के लिये, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं जबकि सिक्किम में केवल एक लोकसभा सीट है। यह राष्ट्रीय निर्णयन और संसाधन आवंटन में विभिन्न राज्यों की आवाज़ और असर को प्रभावित करता है।

नोट :

- **केंद्रीकृत संशोधन शक्ति (Centralized Amendment Power):**
  - संविधान में संशोधन करने की शक्ति विशेष बहुमत वाली संसद में निहित है। राज्यों को प्रभावित करने वाले कुछ मामलों को छोड़कर संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की कोई भूमिका या मत नहीं है।
    - उदाहरण के लिये, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने का केंद्र का निर्णय राज्य सरकार या अन्य हितधारकों से किसी परामर्श के बिना किया गया था।
    - आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य के निर्माण का आंध्र प्रदेश ने विरोध किया था और इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन एवं हिंसा की घटनाएँ हुईं।

संघवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों ?

- **विविधता और बहुलता का संरक्षण:**
  - केंद्र या प्रमुख समूहों की ओर से बढ़ते समरूपीकरण और आत्मसातीकरण दबाव (homogenization and assimilation pressures) के समक्ष भारत के समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म आदि की विविधता एवं बहुलता (diversity and pluralism) की रक्षा और संरक्षण के लिये संघवाद आवश्यक है।
- **स्वायत्तता और अधिकारों की सुरक्षा:**
  - बढ़ते केंद्रीकरण और केंद्र या अन्य बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप की स्थिति में राज्यों और अन्य उप-राष्ट्रीय इकाइयों की स्वायत्तता एवं अधिकारों की सुरक्षा एवं संवृद्धि के लिये संघवाद आवश्यक है।
- **शासन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार:**
  - राज्यों एवं अन्य उप-राष्ट्रीय इकाइयों को उनकी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाने तथा उसका प्रवर्तन करने के लिये सशक्त और सक्षम बनाकर विभिन्न स्तरों पर शासन एवं सेवा वितरण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाने और उनकी सुनिश्चिता के लिये संघवाद आवश्यक है।
- **संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देना:**
  - सरकार के विभिन्न स्तरों या इकाइयों के बीच संसाधनों और अवसरों का समान एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करके भारत के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के संतुलित और समावेशी विकास एवं कल्याण को बढ़ावा देने तथा इसकी प्राप्त के लिये संघवाद आवश्यक है।
- **सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देना:**
  - टकराव और दबाव के बजाय संवाद एवं परामर्श के माध्यम से विवादों और संघर्षों को हल करके सरकार के विभिन्न स्तरों या इकाइयों के बीच सद्भाव एवं सहयोग को बढ़ावा देने तथा इसे बनाए रखने के लिये संघवाद आवश्यक है।

कौन-सी संस्थाएँ संघवाद को बढ़ावा दे रही हैं ?

- **सर्वोच्च न्यायालय (SCI):**
  - यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और संविधान के संरक्षक एवं व्याख्याकार के रूप में कार्य करती है।
  - इसके पास केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति है।
- **अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council):**
  - यह सामान्य हित एवं चिंता के मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
  - इसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
- **वित्त आयोग (FC):**
  - यह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की अनुशंसा करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
  - यह राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने और ज़रूरतमंद राज्यों को सहायता अनुदान देने के उपाय भी सुझाता है।
- **नीति आयोग (NITI Aayog):**
  - इसकी स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग (Planning Commission) के स्थान पर की गई थी।
  - यह आर्थिक और सामाजिक विकास के मामलों पर केंद्र और राज्यों के लिये एक थिंक टैंक एवं सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
  - यह नीति निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों को शामिल करके सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देता है।
    - इसमें एक अध्यक्ष (प्रधानमंत्री), एक उपाध्यक्ष, एक कार्यकारी अधिकारी/सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य (सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल) और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं।

नोट :

भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने के लिये आगे की राह

- **शक्तियों और संसाधनों का हस्तांतरण बढ़ाना:**
  - संवैधानिक सूचियों को संशोधित करके, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता एवं लचीलापन प्रदान करने जैसे कदमों के माध्यम से राज्यों और स्थानीय निकायों की ओर शक्तियों एवं संसाधनों के हस्तांतरण को बढ़ाकर संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **बेहतर प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना:**
  - राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में राज्यों का अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करके संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिये उन्हें राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में संलग्न करके, उन्हें संघीय संस्थानों (जैसे जीएसटी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग आदि) में अधिक आवाज़ एवं वोटिंग देकर सबल किया जा सकता है।
- **सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देना:**
  - राज्यों के बीच सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देकर संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिये उन्हें साझा मुद्दों एवं चुनौतियों पर साथ मिलकर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने, उनके बीच सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नवाचारों को बढ़ावा देने, बेहतर प्रदर्शन एवं परिणामों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देने जैसे कदम उठाये जा सकते हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को संबोधित करना:**
  - पिछड़े और वंचित क्षेत्रों या समूहों को विशेष सहायता एवं समर्थन प्रदान करने, विभिन्न क्षेत्रों या समूहों के बीच संसाधनों एवं अवसरों का उचित एवं पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय विकास परिषदों या प्राधिकरणों का निर्माण करने के रूप में क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को संबोधित कर संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **संघीय सिद्धांतों एवं भावना का सम्मान करना:**
  - संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों एवं मानदंडों का पालन करने, केंद्र या राज्यों द्वारा मनमानी या एकतरफा कार्रवाई या हस्तक्षेप से बचने, संवाद या न्यायिक तंत्र के माध्यम से विवादों या संघर्षों को हल करने आदि के रूप में सभी मामलों में संघीय सिद्धांतों एवं भावना का सम्मान करके संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है।

भारत-अमेरिका संबंध और भावी भविष्य

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाना (अमेरिका में आगंतुक किसी विदेशी नेता के लिये एक दुर्लभ सम्मान) इस तथ्य को प्रकट करता है कि भारत-अमेरिका संबंध गहन एवं व्यापक बनते जा रहे हैं और इसकी परिकल्पना इस रूप में की गई है कि यह "एक ऐतिहासिक प्रगति है जो न केवल अमेरिका और भारत के लिये लाभप्रद है, बल्कि समग्र विश्व के लिये लाभप्रद है।"

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध विभिन्न कारकों पर आधारित हैं, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते बाज़ार आकार, अमेरिकी व्यापार एवं राजनीति में भारतीय प्रवासियों के बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ चीनी आक्रामकता को रोकने की समय की आवश्यकता पर उनकी आपसी सहमति शामिल है।

जैसे-जैसे अमेरिका अपने हिन्द-प्रशांत (Indo-Pacific) संलग्नता को गहरा करता जा रहा है और भारत अपनी क्षेत्रीय शक्ति को सुदृढ़ कर रहा है, इन लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच बनी साझेदारी में भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात को नया आकार देने की क्षमता है।

भारत-अमेरिका संबंधों का वर्तमान परिदृश्य

- **आर्थिक प्रगति:**
  - वर्ष 2000 के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में दस गुना वृद्धि हुई है जो वर्ष 2022 में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँच गया और वर्ष 2021 में भारत अमेरिका का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। वस्तुओं एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार की वृद्धि वर्ष 2021 में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई।
  - अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे महत्त्वपूर्ण निर्यात बाज़ार है। यह उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष (trade surplus) की स्थिति रखता है। वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था।
- **राजनीतिक विचारधारा में समानता:**
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में निरंतर विकास, शांति और समृद्धि के लिये IPEF की दक्षता के बारे में दोनों देश समान विचार रखते हैं।
    - भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले 'समृद्धि के लिये हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा' (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity-IPEF) में भी शामिल हुआ है।
  - हालाँकि रूस-यूक्रेन संकट, अफगानिस्तान के मुद्दे और ईरान को लेकर दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं में व्यापक विरोधाभास भी रहा है।
- **रक्षा सहयोग:**
  - भारत—जो शीत युद्ध (Cold War) की अवधि में

नोट :

अमेरिकी हथियारों तक पहुँच नहीं बना सका था—ने पिछले दो दशकों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी हथियार खरीदे हैं।

- हालाँकि, यहाँ अमेरिका के लिये प्रेरणा यह रही है कि वह भारत को अपनी सैन्य आपूर्ति के लिये रूस पर ऐतिहासिक निर्भरता में कमी लाने में मदद दे, जो स्वयं उसके हित में भी है।

- भारत और अमेरिका की सशस्त्र सेनाएँ व्यापक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों ('युद्ध अभ्यास', 'वज्र प्रहार') में और 'क्वाड' समूह में चार भागीदारों के साथ लघुपक्षीय अभ्यास ('मालाबार') में संलग्न होती हैं।
- अमेरिका और भारत मध्य-पूर्व एशिया में गठित एक अन्य समूह में इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ शामिल हुए हैं जिसे I2U2 (India, Israel, UAE and the US) के रूप में जाना जाता है। इस समूह जो नया क्वाड (new Quad) भी कहा जा रहा है।

- **आगामी प्रगति:**
  - अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में एक नई सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिये अगले पाँच वर्षों में लगभग 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी।
    - इसमें आगे 60,000 भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण के साथ-साथ एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिये 4 वर्षों में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना भी शामिल है।
  - भारत के हलके लड़ाकू विमानों के लिये भारत में GE के F414 इंजनों के लाइसेंस अंतर्गत निर्माण के लिये अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारत के HAL के बीच संपन्न समझौता हाल की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रगति है। यह समझौता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अस्वीकरण (technology denial regime) के अंत का प्रतीक है।

- **भारत, एक अमेरिकी सहयोगी के रूप में:**
  - दोनों देशों के व्यापक पारस्परिक एवं रणनीतिक हितों के बावजूद चूँकि भारत अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता (non-alignment) का दृष्टिकोण रखता है, इसलिये उसे 'अमेरिकी सहयोगी' (US Ally) नहीं कहा जा सकता।
    - भारतीय नेताओं ने, वे किसी भी राजनीतिक दल के रहे हों, लंबे समय से विश्व के प्रति भारत के दृष्टिकोण की एक केंद्रीय विशेषता के रूप में विदेश नीति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है।
  - विशेष रूप से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, भारतीय नेताओं ने अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार का प्रयास किया है, लेकिन इसके लिये विदेश नीति के प्रति भारत के स्वतंत्र दृष्टिकोण से कोई समझौता नहीं किया है।

- **भारत की 'बहुपक्षीय' विदेश नीति:**
  - भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारतीय कूटनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिये 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (world as one family) के दर्शन पर बल दिया है।
    - इस दृष्टिकोण को बहुपक्षीयता या 'बहुसंरेखण' (multialignment) कहा गया है – जो जहाँ तक संभव हो सकारात्मक संबंधों की तलाश पर लक्षित है।
  - इस सिद्धांत के अनुरूप ही भारत ने सऊदी अरब के साथ ही ईरान के साथ; इज़राइल के साथ ही फिलिस्तीन के साथ और अमेरिका के साथ ही रूस के साथ भी अपने संबंधों को सजगता से प्रबंधित किया है।
    - भारत ने उन देशों के साथ भी संलग्नता रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है जो अमेरिका के सहयोगी नहीं हैं (जैसे रूस, ईरान और यहाँ तक कि चीन), यदि उसके राष्ट्रीय हित ऐसी आवश्यकता निर्धारित करते हैं।

भारत-अमेरिका संबंध की प्रमुख चुनौतियाँ

- **अमेरिका द्वारा भारतीय विदेश नीति की आलोचना:**
  - भारतीय अभिजात वर्ग ने लंबे समय से विश्व को गुटनिरपेक्षता के चश्मे से देखा है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही गठबंधन संबंध (alliance relationships) अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में रहा है।
    - भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, विशेषकर शीत युद्ध के दौरान, हमेशा पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका के लिये चिंता का विषय रही है।
  - 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने भारत से अफगानिस्तान में सेना भेजने की मांग की थी लेकिन भारतीय सेना ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था।
    - वर्ष 2003 में जब अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया, तब भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सैन्य समर्थन से इनकार कर दिया था।

नोट :

- अभी हाल में भी, रूसी-यूक्रेन युद्ध पर भारत ने अमेरिका के दृष्टिकोण का पालन करने से इनकार कर दिया और राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप सस्ते रूसी तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर जारी रखा है।
  - भारत को 'इतिहास के सही पक्ष' में लाने की मांग को लेकर प्राय: अमेरिका समर्थक आवाज़ें उठती रही हैं।

- **अमेरिका के विरोधियों के साथ भारत की संलग्नता:**
  - भारत ने ईरान और वेनेजुएला के तेल के खुले बाज़ार पहुँच पर अमेरिकी प्रतिबंध की आलोचना की है।
  - ईरान को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में लाने के लिये भारत ने भी सक्रिय रूप से कार्य किया है।
  - चीन समर्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (AIIB) में प्रमुख भागीदार बने रहने के अलावा भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिये चीन के साथ 18 दौर की वार्ता भी संपन्न की है।
- **अमेरिका द्वारा भारतीय लोकतंत्र की आलोचना:**
  - विभिन्न अमेरिकी संगठन और फ़ाउंडेशन, कुछ अमेरिकी कांग्रेस एवं सीनेट सदस्यों के मौन समर्थन के साथ, भारत में लोकतांत्रिक विमर्श, प्रेस और धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति को प्रश्नगत करने वाली रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं।
    - अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 और भारत पर मानवाधिकार रिपोर्ट 2021 ऐसी कुछ चर्चित रिपोर्ट्स रही हैं।
- **आर्थिक तनाव:**
  - 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' ने अमेरिका में इस आशंका का प्रसार किया है कि भारत तेज़ी से एक संरक्षणवादी बंद बाज़ार अर्थव्यवस्था में परिणत होता जा रहा है।
  - अमेरिका ने जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को प्राप्त शुल्क-मुक्त लाभों की समाप्ति का निर्णय लिया (जून 2019 से प्रभावी), जिससे भारत के दवा, कपड़ा, कृषि उत्पाद और ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे निर्यात-उन्मुख क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **बहु-संरेखण के साथ आगे बढ़ना:** यूक्रेन-रूस संघर्ष के साथ वैश्विक शक्तियाँ नए समूहों में संगठित हो रही हैं। भारत के लिये रूस और अमेरिका के बीच एक कठिन राह पर चलने की चुनौती है। भारत का दृष्टिकोण अब तक यह रहा है कि अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित में कार्य करे और इसे आगे भी जारी रहना चाहिये।
  - भारत को इस संतुलनकारी कार्य का सामंजस्य करना होगा और प्रबल मतभेदों को दूर करने के लिये संवाद एवं कूटनीति पर बल देना होगा। भारत को उस लगातार बढ़ती खाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिये जिससे विश्व शांति के लिये खतरा ही उत्पन्न हो सकता है।
- **सर्वोत्तम साझा हित का लाभ उठाना:** नई भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी एक ऐसे एशिया की कल्पना करना संभव बनाती है जो किसी एक शक्ति के प्रभुत्व के समक्ष असुरक्षित नहीं होगी।
  - दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की वृद्धि से भारत को अमेरिका के मज़बूत समर्थन के साथ चीन के साथ अपनी सैन्य क्षमताओं में भारी अंतर को दूर करने में भी मदद मिलेगी।
  - एशियाई शक्ति संतुलन को स्थिर करने और चीन के उदय एवं एशिया में उसकी आक्रामकता से उत्पन्न भूराजनीतिक मंथन से निपटने में भारत और अमेरिका दोनों ही गहन हित रखते हैं।
- **आर्थिक अंतर्संबंध:** भारत-अमेरिका आर्थिक संलग्नता को निवेश एवं व्यापार के वृहत प्रवाह के साथ और अधिक स्थिरता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। भारत में अमेरिकी निवेश 54 बिलियन डॉलर आँका गया है जो इसके वैश्विक निवेश के 1% से भी कम है। इसके साथ ही, भारत को भी अमेरिका में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों देशों के बीच परस्पर निर्भरता का सृजन करना महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत के लिये विनिर्माण-आधारित निर्यात वृद्धि और अवसंरचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करके एक विकसित राष्ट्र बनने के लिये अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अमेरिकी बाज़ार तक अधिक पहुँच और प्रौद्योगिकीय सहयोग के बिना यह सफल नहीं हो सकता।
    - भारत-अमेरिका iCET सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
  - भारत का आर्थिक उत्थान अमेरिका के उतने ही हित में होगा जितना कि प्रौद्योगिकी सक्षमकारिता एवं वैश्विक मामलों में अमेरिका का नेतृत्व भारत के हित में।
    - इस वास्तविकता को विश्व मंच पर भारत की तटस्थता और नाटो जैसे गुट से संबद्ध होने से इसके इनकार के शोर में नहीं खो नहीं जाना चाहिये।
- **सतत् विकास में सहयोग:**
  - संशोधित भारत-अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (US-India Strategic Clean Energy

नोट :

Partnership- SCEP) जैसी पहलें भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन के विकास को बढ़ावा देने में सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

- अमेरिका भारत के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिये धन तक पहुँच को सुविधाजनक बनाकर और भी सहायता कर सकता है।

- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई पर साझेदारी को गहरा कर दोनों देश आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए अपने वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

- **निजी क्षेत्रों को शामिल करना:** विभिन्न कंपनियों के CEOs अब अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने के लिये 'चाइना प्लस वन' की रणनीति अपना रहे हैं। हाल ही में, Apple द्वारा भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर स्थापित करने का निर्णय न केवल अन्य तकनीकी कंपनियों के लिये देश के आकर्षण को बढ़ाता है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक का उत्पादन करने और अपनी विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने की इसकी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है।
  - यह कदम एक महत्त्वपूर्ण संकेत है कि विभिन्न कंपनियाँ चीन से दूर अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता ला रही हैं।
  - भारत अमेरिका की सहायता से चिप विनिर्माण और केस विनिर्माण का 'हब' बनने के लिये अपनी तत्परता का संकेत भी दे सकता है।
- **खाद्य सुरक्षा के कवरेज का विस्तार:** राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही खाद्य सुरक्षा भी भारत के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। बढ़ते तापमान के साथ जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के लिये बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है जहाँ गरीब देश असंगत रूप से प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इसका अपवाद नहीं है।
  - अमेरिका न केवल रक्षा, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर्स में बल्कि कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकियों में भी अग्रणी देश है।
  - अमेरिका-भारत सहयोग के अगले दौर में खाद्य और कृषि को सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में से एक के रूप में शामिल करने का विशेष प्रयास करना चाहिये।
    - इसमें विकासशील विश्व के अधिकतम लोगों (चाहे वे एशिया में हों या अफ्रीका में) का कल्याण करने की क्षमता है।

निष्कर्ष

- भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन के दौरान कहा कि "पिछले कुछ वर्षों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई प्रगतियाँ हुई हैं। इसके साथ ही, एक अन्य AI यानी अमेरिका एंड इंडिया में और भी महत्त्वपूर्ण विकास हुए हैं।" उनका यह वक्तव्य हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों को भलीभांति प्रकट करता है।

न्यायपूर्ण (समान) नागरिक संहिता

भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के संबंध में सार्वजनिक मत और प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। UCC भारत में एक अत्यधिक विवादित और राजनीतिक रूप से ज्वलंत मुद्दा रहा है। UCC पर विधि आयोग का पूर्व में यह रुख रहा था कि यह न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय। UCC एक प्रस्ताव है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के पर्सनल लॉ को सभी नागरिकों के लिये कानूनों के एक साझा समूह से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

- **परिचय:**
  - समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
    - अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि "राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"
  - ये निदेशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
    - UCC का कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है तो कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिये खतरा बताकर इसका विरोध किया जाता है।
  - भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाये रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।
  - शेष भारत में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉज़ (personal laws) का पालन किया जाता है।

- **भारत में व्यक्तिगत कानून:**
  - वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं।
    - व्यक्तिगत कानून धार्मिक पहचान के आधार पर निर्धारित होते हैं।
  - संशोधित हिंदू पर्सनल लॉ में अभी भी कुछ पारंपरिक प्रथाएँ शामिल हैं।
  - अंतर तब उत्पन्न होते हैं जब हिंदू और मुस्लिम विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत विवाह करते हैं, जहाँ हिंदू अब भी हिंदू पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं।

UCC को लागू करने की राह की चुनौतियाँ

- **विविध व्यक्तिगत कानून और पारंपरिक प्रथाएँ:**
  - भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है।
    - प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून और रीति-रिवाज हैं जो उनके नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं।
    - ये कानून और प्रथाएँ विभिन्न क्षेत्रों, संप्रदायों और समूहों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं।
  - ऐसी विविधता के बीच एक समान आधार और एकरूपता पा सकना अत्यंत कठिन एवं जटिल है।
  - इसके अलावा, कई व्यक्तिगत कानून संहिताबद्ध या प्रलेखित नहीं हैं, बल्कि मौखिक या लिखित स्रोतों पर आधारित हैं जो प्राय: अस्पष्ट या विरोधाभासी होते हैं।
- **धार्मिक और अल्पसंख्यक समूहों की ओर से प्रतिरोध:**
  - कई धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह UCC को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
  - उन्हें भय है कि समान नागरिक संहिता एक बहुसंख्यकवादी या समरूप कानून लागू करेगी जो उनकी पहचान एवं विविधता की उपेक्षा करेगी।
    - वे यह तर्क भी देते हैं कि UCC अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। अनुच्छेद 25 "अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता" प्रदान करता है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति और सर्वसम्मति का अभाव:**
  - UCC को लाने और उसे लागू करने के संबंध में सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं सर्वसम्मति की कमी है।
  - ऐसी भी आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं कि UCC समाज में सांप्रदायिक तनावों और संघर्षों को भड़का सकती है।
- **व्यावहारिक कठिनाइयाँ और जटिलताएँ:**
  - UCC को लागू करने के लिये भारत में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉज़ और प्रथाओं का मसौदा तैयार करने, उन्हें संहिताबद्ध करने, उनके बीच सामंजस्य लाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने की व्यापक कवायद की आवश्यकता होगी ।
  - इसके लिये धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के व्यापक परामर्श और भागीदारी की आवश्यकता होगी।
  - लोगों द्वारा UCC के अनुपालन और स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिये प्रवर्तन एवं जागरूकता के एक सुदृढ़ तंत्र की भी आवश्यकता होगी।

नोट :

UCC के लाभ

- **राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता:**
  - समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी।
  - इससे विभिन्न पर्सनल लॉज़ के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक और पंथ-संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।
  - यह सभी के लिये समानता, बंधुता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को भी संपुष्ट करेगी।
- **लैंगिक न्याय और समानता:**
  - समान नागरिक संहिता विभिन्न पर्सनल लॉज़ के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके लैंगिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित करेगी।
  - यह विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण-पोषण आदि मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और दर्जा प्रदान करेगी।
  - यह महिलाओं को उन पितृसत्तात्मक और प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिये भी सशक्त बनाएगी जो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- **कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरण:**
  - समान नागरिक संहिता विभिन्न पर्सनल लॉज़ की जटिलताओं और विरोधाभासों को दूर करके कानूनी प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाएगी।
  - यह विभिन्न पर्सनल लॉज़ के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों और खामियों को दूर करके नागरिक और आपराधिक कानूनों में सामंजस्य स्थापित करेगी।
  - यह कानून को आम लोगों के लिये अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाएगी।
- पुरानी एवं प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार:
  - समान नागरिक संहिता कुछ पर्सनल लॉज़ में प्रचलित पुरानी एवं प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और इसमें सुधार करेगी।
  - यह उन प्रथाओं को समाप्त कर देगी जो भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों और मूल्यों के विरुद्ध हैं, जैसे तीन तलाक़, बहुविवाह, बाल विवाह, आदि।
  - यह बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को भी समायोजित करेगी।

UCC से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

- **शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान (1985):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला के लिये इद्दत अवधि की समाप्ति के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार की पुष्टि की।
    - न्यायालय ने माना कि समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करने में मदद करेगी।
- **सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को समाप्त किये बिना इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता।
  - इस मामले में भी कहा गया कि UCC इस तरह के धोखाधड़ीपूर्ण धर्मांतरण और द्विविवाह की घटनाओं पर रोक लगाएगी।
- **शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक़ की प्रथा को असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा एवं समानता का उल्लंघन करार दिया।
  - इसने यह अनुशंसा भी की कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक़ को विनियमित करने के लिये एक कानून का निर्माण करना चाहिये।

आगे की राह

- **एकता और एकरूपता:**
  - अनुशंसित समान नागरिक संहिता को भारत के बहुसंस्कृतिवाद (multiculturalism) को प्रतिबिंबित करने और इसकी विविधता को संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिये।
    - एकता (Unity) एकरूपता (uniformity) से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
  - भारतीय संविधान सांस्कृतिक मतभेदों को समायोजित करने के लिये एकीकरणवादी और नियंत्रित, दोनों तरह के बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोणों की अनुमति देता है।
- **हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श:**
  - इसके अलावा, समान नागरिक संहिता को विकसित करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया में धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिये।

नोट :

- इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि समान नागरिक संहिता में विभिन्न समूहों के विविध दृष्टिकोण एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है और इसे सभी नागरिकों द्वारा निष्पक्ष एवं वैध माना जाता है।

- **संतुलन का निर्माण:**
  - विधि आयोग का लक्ष्य केवल उन प्रथाओं को समाप्त करना होना चाहिये जो संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं करती हैं।
  - सांस्कृतिक प्रथाओं को वास्तविक समानता और लैंगिक न्याय लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिये।
  - विधि आयोग को विभिन्न समुदायों के बीच प्रतिक्रियाशील संस्कृतिवाद में योगदान करने से परहेज करने की आवश्यकता है।
  - मुस्लिम उलेमाओं को भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी मुद्दों की पहचान करके और प्रगतिशील विचारों को अवसर देकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिये।
- **संवैधानिक परिप्रेक्ष्य:**
  - भारतीय संविधान सांस्कृतिक स्वायत्तता के अधिकार की पुष्टि करता है और सांस्कृतिक समायोजन का लक्ष्य रखता है।
  - अनुच्छेद 29(1) सभी नागरिकों की विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण करता है।
  - मुसलमानों को यह विचार करने की ज़रूरत है कि बहुविवाह और मनमाने ढंग से एकतरफा तलाक़ जैसी प्रथाएँ उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं या नहीं।
  - हमारा ध्यान एक ऐसी न्यायसंगत संहिता प्राप्त करने पर होना चाहिये जो समानता और न्याय को बढ़ावा दे।

बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार

बहुपक्षीय विकास बैंक (Multilateral development banks- MDBs) ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो विकासशील देशों को उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। MDBs में विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक आदि शामिल हैं। MDBs निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LICs and MICs) के विकास का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है जिससे निर्धनता, अवसंरचनात्मक विकास, मानव पूंजी निर्माण आदि विषयों को हल किया गया है।

हालाँकि, MDBs को विभिन्न चुनौतियों और सीमाओं का भी सामना करना पड़ रहा है जो बदलते वैश्विक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इस परिदृश्य में डिजिटल क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने के लिये MDBs को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने हेतु इनके सुधार एवं सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

MDBs में सुधार की आवश्यकता:

- MDBs का वर्तमान विधिक और संस्थागत ढाँचा पुराना हो गया है और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तेज़ी से हो रहे बदलावों एवं जटिलताओं से निपटने के लिये यह अपर्याप्त है।
  - वर्तमान ढाँचा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अल्पविकसित देशों की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण एवं विकास आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिये स्थापित किया गया था।
  - वर्तमान ढाँचा विकासशील देशों, विशेष रूप से 'वैश्विक दक्षिण' (Global South) की समकालीन वास्तविकताओं एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- **विकासशील देशों की सहायता में उनकी प्रासंगिकता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये:**
  - MDBs की वर्तमान क्रियान्वयन रणनीतियाँ और व्यवसाय मॉडल समावेशी एवं सतत् विकास को आगे बढ़ाने में विकासशील देशों की विविध एवं उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये इष्टतम नहीं हैं।
  - वर्तमान रणनीतियाँ और मॉडल संसाधन एवं साझेदारी जुटाने, नीति संवाद एवं सरेखण को बढ़ावा देने, प्रगति की निगरानी एवं मूल्यांकन करने तथा अंतराल एवं चुनौतियों का समाधान करने के मामले में MDBs की पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
  - वर्तमान रणनीतियाँ और मॉडल विभिन्न संदर्भों एवं क्षेत्रों के लिये अनुरूप एवं लचीले समाधान प्रदान करने हेतु साधनों एवं तौर-तरीकों के अपने पोर्टफोलियो में विविधता नहीं लाते हैं।
  - वर्तमान रणनीतियाँ और मॉडल विकास समाधानों के लिये नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन नहीं करते हैं, विशेष रूप से अनुकूलन एवं लचीलेपन के लिये।
- **शासन और जवाबदेही में सुधार के लिये:**
  - MDBs की वर्तमान शासन संरचना उनके शेयरधारकों और हितधारकों की आवश्यकताओं एवं हितों के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
  - वर्तमान संरचना वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकसित और विकासशील देशों के बीच शक्ति एवं प्रभाव के बदलते संतुलन को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

नोट :

- वर्तमान संरचना निर्णयन प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की प्रभावी भागीदारी एवं अभिव्यक्ति को सुनिश्चित नहीं करती है।
- वर्तमान संरचना MDBs के क्रियान्वयन और प्रभावों की पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण को सुनिश्चित नहीं करती है।

MDBs में सुधार की राह की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **उभरती वैश्विक चुनौतियों के अनुकूल बनना:**
  - MDBs को महामारी, संघर्ष, सीमा-पार मुद्दों जैसी उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये अपने क्रियान्वयन एवं वित्तपोषण तंत्र को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
  - उनके पास तेज़ी से बदलती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने और प्रभावित देशों को समय पर सहायता प्रदान करने हेतु लचीलापन होना चाहिये।
- **संसाधनों की कमी:**
  - MDBs को विकास वित्तपोषण की बढ़ती मांगों को पूरा करने में संसाधन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - संभव है कि मौजूदा वित्तपोषण स्तर विकासशील देशों के सामने विद्यमान चुनौतियों के वृहत स्तर को संबोधित कर सकने के लिये पर्याप्त सिद्ध नहीं हो (विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में)।
- **प्रक्रियात्मक बाधाएँ:**
  - MDBs को प्राय: नौकरशाही प्रक्रियाओं में फँसे होने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ता है, जो परियोजना कार्यान्वयन और निर्णयन को धीमा कर सकता है।
- **निजी क्षेत्र से निवेश जुटाना:**
  - MDBs को विकास परियोजनाओं के लिये निजी क्षेत्र से निवेश जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - उन्हें एक सक्षमकारी वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है जो जोखिमों को हल कर और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर निजी पूंजी को आकर्षित करे।
- **जलवायु परिवर्तन को हल करना:**
  - MDBs जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास पहल का समर्थन करने संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
  - इसके लिये उनकी नीतियों, रणनीतियों और परियोजना वित्तपोषण निर्णयों में जलवायु संबंधी विचारों को शामिल करने की आवश्यकता है।

भारत के लिये इसके निहितार्थ:

- वैश्विक दक्षिण के एक नेता और भागीदार के रूप में भारत MDBs के सुधारों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी एवं भूमिका रखता है ताकि विभिन्न मुद्दों और अवसरों को हल कर सकने में इन संस्थानों को अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी बनाया जा सके।
- भारत MDBs (विशेष रूप से विश्व बैंक समूह और एशियाई विकास बैंक) का एक प्रमुख उधारकर्ता एवं लाभार्थी भी है।
  - भारत को इन संस्थानों से अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिये ऋण एवं अनुदान प्राप्त हुआ है।
- भारत MDBs का योगदानकर्ता और शेयरधारक भी है।
  - भारत ने इन संस्थानों को उनके क्रियान्वयन और ऋण देने की क्षमता का समर्थन करने के लिये पूंजी एवं संसाधन प्रदान किये हैं।
  - भारत ने उनके शासन और निर्णयन प्रक्रियाओं में भी भागीदारी की है।

निर्धनता और असमानता को दूर करने में MDBs की भूमिका:

- **SDGs के कार्यान्वयन का समर्थन करना:**
  - सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals- SDGs) 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह हैं जिनका उद्देश्य निर्धनता का उन्मूलन करना, पृथ्वी की रक्षा करना और सभी के लिये शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करना है।
  - MDBs विकासशील देशों को उनकी राष्ट्रीय नीतियों एवं रणनीतियों को SDGs के साथ संरेखित करने, संसाधन एवं साझेदारी जुटाने, प्रगति की निगरानी एवं मूल्यांकन करने और अंतराल एवं चुनौतियों को संबोधित करने में मदद कर सकते हैं।
  - MDBs लैंगिक समानता, मानवाधिकार, शासन जैसे विकास के हर पहलू से व्यापक रूप से संबद्ध मुद्दों का भी समर्थन कर सकते हैं, जो SDGs की प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं।
- **रियायती वित्त एवं अनुदान प्रदान करना:**
  - LICs एवं FCSs को रियायती वित्त एवं अनुदान उपलब्ध कराना:
    - निम्न आय वाले देश (LICs) और कमज़ोर एवं संघर्ष-प्रभावित राज्य (Fragile and Conflict-

नोट :

affected States- FCSs) निम्न विकास, उच्च ऋण, कमज़ोर संस्थान, सामाजिक अशांति, हिंसा जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जो उनकी विकास संभावनाओं को बाधित करते हैं और आघातों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं।

- MDBs इन देशों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने, प्रत्यास्थता का निर्माण करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और आर्थिक रूपांतरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिये रियायती ऋण एवं अनुदान प्रदान कर सकते हैं।

- **समावेशी विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना:**
  - मध्यम आय वाले देश (MICs) ऐसे देशों का एक विविध समूह है जिन्होंने निर्धनता को कम करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है लेकिन अभी भी विद्यमान असमानताओं एवं सामाजिक अपवर्जन का सामना कर रहे हैं।
  - MDBs ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन कर MICs को इन चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं जो उत्पादकता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता, नवाचार, विविधीकरण आदि को बढ़ावा दें, साथ ही समाज के सभी वर्गों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, अवसंरचना आदि तक पहुँच में सुधार लाएँ।
  - MDBs मध्यम आय वाले देशों को जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, डिजिटलीकरण जैसे उभरते मुद्दों से निपटने में भी मदद कर सकते हैं, जिनका उनके विकास प्रक्षेपवक्र पर प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष:

- MDBs में सुधार एक महत्त्वपूर्ण और सामयिक पहल है जो न केवल वर्तमान विधिक व्यवस्था को उन्नत कर सकती है बल्कि भारत में प्रौद्योगिकी के विनियमन की रूपरेखा को भी पुनर्परिभाषित कर सकती है।
- MDBs में सुधार का अवसरों और चुनौतियों के संदर्भ में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र एवं इसके हितधारकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।
- MDBs में सुधार के लिये विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक परामर्श एवं विचार-विमर्श की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समावेशी, भागीदारीपूर्ण और भविष्य की चुनौतियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल है।
- MDBs के सुधार में भारत को एक प्रमुख भूमिका एवं ज़िम्मेदारी निभानी है ताकि इन्हें वैश्विक दक्षिण के विकास के लिये अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी बनाया जा सके।

ई-कॉमर्स निर्यात

भारत में अपने ई-कॉमर्स निर्यात की वृद्धि करने की व्यापक क्षमता मौजूद है जो वर्तमान में मात्र 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की है (वर्ष 2022-23 में भारत के कुल निर्यात 447.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 0.5 प्रतिशत से भी कम)। वर्ष 2025 तक वैश्विक ई-कॉमर्स निर्यात के 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है और भारत वर्ष 2030 तक 200-250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखते हुए इस अवसर का लाभ उठा सकता है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारत को एक ई-कॉमर्स निर्यात नीति (e-Commerce Export policy) का निर्माण करने की आवश्यकता है जो लघु एवं मध्यम उद्यम (Small and Medium enterprises- SMEs) से संबद्ध निर्यातकों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का समाधान करे।

ई-कॉमर्स निर्यात में SMEs के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **शिपिंग और क्लीयरेंस लागत:**
  - SMEs को अपने उत्पादों के परिवहन के लिये उच्च शिपिंग लागत और कस्टम क्लीयरेंस का वहन करना पड़ता है, जो उनके लाभ मार्जिन और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम कर सकता है।
- **भुगतान संग्रहण एवं नियमितीकरण :**
  - SMEs को विदेशी ग्राहकों से बिक्री प्राप्ति (sales realisation) के संग्रह के लिये पेमेंट गेटवे या एग्रीगेटर्स को उच्च शुल्क चुकाना पड़ता है ।
  - उन्हें अपने निर्यात बिल के नियमितीकरण (regularisation) के लिये अधिकृत डीलर बैंकों में भौतिक दस्तावेज भी जमा करना पड़ता है, जो बोझिल और लागतपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- **व्यापार बाधाएँ और नियामक बाधाएँ:**
  - SMEs को विदेशी बाज़ारों में विभिन्न व्यापार बाधाओं (Trade Barriers) और नियामक बाधाओं (Regulatory Hurdles) का सामना करना पड़ता है, जैसे टैरिफ, कोटा, मानक, प्रमाणन, लाइसेंस इत्यादि।
  - इससे निर्यात के समय और लागत में वृद्धि हो सकती है तथा उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित हो सकती है।
- **ज्ञान और वित्त संबंधी अंतराल:**
  - SMEs के पास प्राय: अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच एवं प्रतिस्पर्द्धा के मामले में आवश्यक ज्ञान और वित्तपोषण की कमी होती है।

नोट :

- उनके पास बाज़ार अवसरों, ग्राहक प्राथमिकताओं, सांस्कृतिक अंतरों, विधिक आवश्यकताओं आदि के बारे में पर्याप्त सूचना के अभाव की स्थिति हो सकती है।
- उन्हें अपनी निर्यात गतिविधियों के समर्थन हेतु ऋण, बीमा या अन्य वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

- **ई-कॉमर्स अंगीकरण से संबद्ध मुद्दे:**
  - SMEs को ई-कॉमर्स अंगीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे तकनीकी अवसंरचना, ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा, साइबर घोटाले, ग्राहक सेवा आदि।
  - उन्हें अपने उत्पादों या सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और वैश्विक बाज़ार के अनुरूप अनुकूलित करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

व्यापक ई-कॉमर्स नीति की आवश्यकता क्यों है?

- **एकसमान अवसर प्रदान करना:**
  - इसमें घरेलू एवं विदेशी ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के साथ-साथ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिये निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा और एकसमान अवसर सुनिश्चित करने के लिये बाज़ार पहुँच, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कराधान, उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।
- **WTO में और अन्य क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर वार्ता को सुविधाजनक बनाना:**
  - इसमें सीमा-पार डेटा प्रवाह, डिजिटल व्यापार सुविधा, डिजिटल कराधान आदि ई-कॉमर्स मुद्दों पर भारत के हितों और इसके रुख को स्पष्ट करना शामिल है ताकि भारत को ई-कॉमर्स पर वैश्विक नियमों एवं रूपरेखाओं में भागीदारी करने और लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके।
- **भविष्य की प्रगतियों और नवाचारों के लिये नीतिगत अवसर बनाए रखना:**
  - एक लचीला और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की बदलती गतिशीलता और रुझानों के अनुरूप ई-कॉमर्स क्षेत्र को विकास एवं नवोन्मेष को अवसर देने के लिये सुविधा और विनियमन के उद्देश्यों को संतुलित करे।
- **ई-कॉमर्स निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता और समावेशिता को बढ़ावा देना:**
  - ई-कॉमर्स निर्यातकों, विशेष रूप से SMEs को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच बनाने और प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाने के लिये वित्तीय, तकनीकी एवं विधिक सहायता प्रदान करना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मानकों एवं प्रमाणन में सामंजस्य बनाना आदि।
- **भारत की डेटा संप्रभुता एवं सुरक्षा की रक्षा करना:**
  - एक डेटा संरक्षण कानून को अपनाना जो भारतीय नागरिकों और व्यवसायों की गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण, स्थानांतरण, प्रकटीकरण और विलोपन को नियंत्रित करे।

भारत में ई-कॉमर्स के लिये नियामक ढाँचा

- भारत में ऐसा कोई विशिष्ट कानून या विनियमन नहीं है जो विशेष रूप से ई-कॉमर्स गतिविधियों को नियंत्रित करता हो।
  - इसके बजाय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग ई-कॉमर्स के विभिन्न पहलुओं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता संरक्षण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कराधान, प्रतिस्पर्द्धा, डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा आदि से स्वयं निपटते हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021):**
  - ये इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, मध्यस्थ दायित्व आदि के लिये कानूनी मान्यता एवं ढाँचा प्रदान करते हैं।
  - ये ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म सहित डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के कंटेंट और आचरण को भी विनियमित करते हैं।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 (Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020):**
  - इनका उद्देश्य ई-कॉमर्स लेनदेन, जैसे निष्पक्ष व्यापार अभ्यास, सूचना का खुलासा, शिकायत निवारण आदि में उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है।
  - वे ई-कॉमर्स संस्थाओं को पंजीकरण, सत्यापन, रिफंड नीति जैसे दायित्व और देयता भी सौंपते हैं।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) और**

नोट :

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (Foreign Direct Investment Policy):

- ये भारत में विदेशी मुद्रा और विदेशी निवेश के प्रवाह एवं बहिर्वाह को नियंत्रित करते हैं।
- ये ई-कॉमर्स गतिविधियों, जैसे इन्वेंट्री-बेस्ड मॉडल, मार्केटप्लेस मॉडल, सिंगल-ब्रांड खुदरा व्यापार, मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार आदि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये क्षेत्र-विशिष्ट दिशा-निर्देश और नियंत्रण भी निर्धारित करते हैं।

- **अन्य देशों से तुलना:**
  - ई-कॉमर्स का दायरा और परिभाषा:
  - भारत में ई-कॉमर्स की कोई स्पष्ट और सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है तथा विभिन्न प्रकार की ई-कॉमर्स गतिविधियों, जैसे B2B, B2C, C2C, इन्वेंट्री-बेस्ड, मार्केटप्लेस-बेस्ड आदि पर अलग-अलग कानून और नियम लागू हो सकते हैं।
    - अन्य देशों, जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन आदि ने ई-कॉमर्स की अधिक व्यापक एवं सुसंगत परिभाषाओं को अपनाया है जो ऑनलाइन लेनदेन के विभिन्न पहलुओं और रूपों को कवर करते हैं।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:
  - भारत ने ई-कॉमर्स गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कई नियंत्रण और शर्तें आरोपित कर रखी हैं, जैसे केवल मार्केटप्लेस-बेस्ड मॉडल की अनुमति (इन्वेंट्री-बेस्ड मॉडल की नहीं), विशेष सौदों एवं प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण पर रोक, लोकल सोर्सिंग एवं डेटा स्टोरेज को अनिवार्य करना आदि।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों में ई-कॉमर्स गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर अधिक उदार और लचीली नीतियाँ कार्यान्वित हैं, जो इन्वेंट्री-बेस्ड एवं मार्केटप्लेस-बेस्ड मॉडल दोनों की अनुमति देती हैं, नवाचार एवं प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करती हैं और डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता कानूनों को अपनाती हैं।
  - उपभोक्ता संरक्षण:
  - भारत ने ई-कॉमर्स लेनदेन में उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिये हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 लागू किया है।
  - ये कानून और नियम ई-कॉमर्स संस्थाओं पर विभिन्न दायित्वों एवं देयताओं, जैसे पंजीकरण, सत्यापन, सूचना का खुलासा, शिकायत निवारण , रिफंड नीति आदि को लागू करते हैं।
    - चीन जैसे कुछ अन्य देशों ने भी ई-कॉमर्स लेनदेन में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये ऐसे ही कानून और नियम लागू किये हैं।
  - ई-कॉमर्स का कराधान:
  - यूरोपीय संघ जैसे अन्य समूह/देशों ने भी ई-कॉमर्स लेनदेन पर विभिन्न कर लगाए हैं, जैसे डिजिटल सेवा कर (DST) आदि।
  - भारत ने ई-कॉमर्स लेनदेन में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिरोपित किया है।
    - इसने विदेशी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा भारतीय ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर समतुल्य लेवी (equalization levy) भी लगाया है।
  - हालाँकि ई-कॉमर्स लेनदेन के कराधान पर कोई वैश्विक सहमति या समन्वय मौजूद नहीं है।

एक व्यापक ई-कॉमर्स निर्यात नीति के लिये अनुशंसाएँ

- **एक राष्ट्रीय व्यापार पारितंत्र का विकास करना:**
  - सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण और कस्टम क्लीयरेंस प्रक्रियाओं के साथ ई-कॉमर्स निर्यात के लिये एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करने हेतु RBI, कस्टम, DGFT, GSTN (GST नेटवर्क), इंडिया पोस्ट, कूरियर, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और निर्यातकों जैसे विभिन्न हितधारकों को एकीकृत करना।
- **वित्तीय, तकनीकी और विधिक सहायता प्रदान करना:**
  - ई-कॉमर्स निर्यातकों, विशेष रूप से SMEs को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच बनाने और प्रतिस्पर्द्धी बन सकने में मदद करने के लिये सब्सिडी, अनुदान, ऋण, बीमा, प्रशिक्षण, परामर्श आदि की पेशकश करना।
- **मानकों और प्रमाणन का सामंजस्य:**
  - ई-कॉमर्स निर्यात के लिये मानकों और प्रमाणन को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों एवं सर्वोत्तम अभ्यासों के साथ संरेखित करके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - विदेशी खरीदारों के साथ व्यापार करना आसान बनाकर सीमा-पार ई-व्यापार को बढ़ावा देना।
- **कराधान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना:**
  - सभी प्रकार के ई-कॉमर्स लेनदेन के लिये सार्वभौमिक GST दर को अपनाना और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिये कर प्रोत्साहन एवं छूट प्रदान करना।

नोट :

- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना:**
  - एक डेटा सुरक्षा कानून को अपनाना जो ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण, स्थानांतरण, प्रकटीकरण और विलोपन को नियंत्रित करे।
  - SMEs को घोटालों की पहचान करने और उनसे बचने के बारे में सूचना प्रदान करना, साथ ही उन्हें साइबर हमलों से उबरने में मदद करने के लिये संसाधन प्रदान करना।
- **नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना:**
  - ई-कॉमर्स क्षेत्र में डिजिटल उद्यमिता और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर, हब, नेटवर्क आदि का सृजन करना।
  - निर्यात सुविधा सेल (Export Facilitation Cells-EFCs) स्थापित करने के लिये ज़िला उद्योग केंद्रों (DICs) के साथ संलग्न होना, जो SMEs को उन उत्पादों और बाज़ारों की पहचान करने में मदद करेगा जिनकी विदेशों में मांग है।
- **क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संवाद को सशक्त करना:**
  - सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी, डेटा का आदान-प्रदान करने, मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, विवादों को हल करने और ई-कॉमर्स निर्यात नीतियों के प्रति भरोसे के निर्माण के लिये विभिन्न मंचों, समझौतों, वार्ताओं आदि से संलग्न होना।
  - ई-कॉमर्स निर्यात नीति को कस्टम, DGFT और RBI द्वारा संयुक्त रूप से अपने नियमों में आवश्यक परिवर्तनों के साथ तैयार किया जाना चाहिये, जिसमें विक्रेता उत्तरदायित्वों को पुनर्परिभाषित करना और भुगतान सुविधा, खातों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है।

दृष्टि The Vision

नोट :

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

1. सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के एक भाग के रूप में विकसित नया संसद भवन संसदीय कार्यकरण में व्याप्त अवसंरचनात्मक बाधाओं पर भी विचार करता है। चर्चा कीजिये।
2. भारत के समक्ष खिलौना निर्माण और निर्यात के संदर्भ में एक वैश्विक केंद्र बनने की वृहत क्षमता मौजूद है। भारत के खिलौना उद्योग के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये।
3. जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्यों के राजस्व में कमी को दूर करने का एक अल्पकालिक उपाय थी। इसका दीर्घकालीन समाधान क्या हो सकता है? चर्चा कीजिये।
4. ग्रीन जीडीपी की अवधारणा और इसके लाभों तथा चुनौतियों के बारे में बताते हुए आगे की राह बताइये।
5. भारत के विकास और सुरक्षा के लिये जेनरेटिव AI के संभावित लाभों एवं चुनौतियों की चर्चा कीजिये। इससे संबंधित अवसरों का दोहन करने तथा जेनरेटिव AI के जोखिमों को कम करने के लिये भारत द्वारा किये जा सकने वाले कुछ उपाय भी सुझाइये।
6. भारत कच्चे तेल की अपनी मांग की पूर्ति के लिये ओपेक देशों पर अत्यधिक निर्भर है। ओपेक कच्चे तेल के अपने उत्पादन को कम कर रहा है और उसने उत्पादन में आगे और कटौती करने का निर्णय लिया है। इस कटौती के निहितार्थ की चर्चा कीजिये और इसके प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु कुछ सुझाव दीजिये।
7. भारत में सुदृढ़ डेटा शासन को लागू करने में विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए देश में डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिये आवश्यक रणनीतियों का सुझाव दीजिये।
8. भारत की ऊर्जा संक्रमण यात्रा में राज्यों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भारत के ऊर्जा संक्रमण में राज्यों की भूमिका से संबद्ध चुनौतियों की चर्चा कीजिये और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये।
9. सतत् और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
10. मतदाताओं को राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज़ देने के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
11. हाल ही में स्वीकृत 'सहकारी समितियों के माध्यम मेगा स्टोरेज योजना' का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये कुछ उपाय भी सुझाइये।
12. ''दुष्प्रचार के खतरों के बारे में सीखना, स्वयं में एक शिक्षा है।'' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा हाल ही में पाठ्य पुस्तकों में किये जाने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में उक्त कथन की चर्चा कीजिये।
13. बाल श्रम एक वैश्विक चुनौती है जो लाखों बच्चों को प्रभावित करने के साथ उनके आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विकास को बाधित करती है। भारत में बाल श्रम के कारण, परिणाम और समाधान पर चर्चा कीजिये।
14. वे कौन-सी प्रमुख बाधाएँ हैं जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच बनाने और इसका अधिकतम लाभ उठाने से वंचित करती हैं? इन बाधाओं को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित किया जा सकता है?
15. सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) के गुण एवं दोषों पर विचार कीजिये और भारतीय संदर्भ में इसकी व्यवहार्यता एवं प्रभावशीलता पर अपनी राय दीजिये।
16. समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना कवरेज, गुणवत्ता, प्रभाव और शासन के मामले में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ICDS योजना के प्रदर्शन एवं चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये और इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।

नोट :

17. "हाल की घटनाओं में प्रकट चुनौतियों और सीखे गए सबक के आलोक में प्रचंड चक्रवातों के प्रभाव को कम करने में भारत की चक्रवात तैयारी उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये।"
18. विश्व के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेल नेटवर्क में से एक भारतीय रेलवे के लिये सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में रेल दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों एवं उनके समाधान के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायों की चर्चा कीजिये।
19. वैश्विक बाज़ार में भारतीय फार्मा उत्पादों की खराब गुणवत्ता एवं सुरक्षा के कारणों और इसके परिणामों की विवेचना कीजिये। भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में सुधार के लिये और वैश्विक दक्षिण की फार्मेसी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता की संवृद्धि के लिये कुछ उपाय सुझाइये।
20. भारत में स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में राज्य चुनाव आयोगों की भूमिका एवं महत्त्व की चर्चा कीजिये। उनके समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ मौजूद हैं और उनसे निपटने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं?
21. सतत् कृषि, आहार विविधता और ग्रामीण आजीविका में योगदान कर सकने के मामले में पोषक अनाज की संभावना पर विचार कीजिये।
22. संघवाद की प्राप्ति में निहित चुनौतियों एवं अवसरों और अंतर-सरकारी संबंधों के लिये इसके निहितार्थ की विवेचना कीजिये।
23. ''हालाँकि रूस, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के मामले में भारत और अमेरिका की नीतियाँ अलग-अलग हैं, चीन एक ऐसा हित है जो दोनों देशों को एक साथ संरेखित करता है और इसलिये सहयोग की एक अच्छी संभावना प्रदान करता है।'' टिप्पणी कीजिये।
24. भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के संवैधानिक, विधिक और सामाजिक-सांस्कृतिक निहितार्थों का विश्लेषित कीजिये। UCC की चुनौतियों और अवसरों को लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से कैसे संबोधित किया जा सकता है?
25. किसी देश के समक्ष संसाधनों और विकास वित्त एवं सहायता के लिये भागीदारी जुटाने के संबंध में बहुपक्षीय विकास बैंक के संदर्भ में कौन-से मुख्य अवसर और चुनौतियाँ मौजूद हैं?
26. ई-कॉमर्स निर्यात भारतीय MSMEs के लिये विकास और रोज़गार के संभावित स्रोत के रूप में उभरा है। ई-कॉमर्स निर्यात की चुनौतियों एवं अवसरों की चर्चा कीजिये और उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं बाज़ार पहुँच को बढ़ाने के उपाय सुझाइये।

नोट :